



M.P. STATE AGRO INDUSTRIES DEVELOPMENT CORPORATION LTD.
PANCHANAN, 3RD FLOOR, MALVIYA NAGAR, BHOPAL-462003
☎- 0755- 2551652, 2551756 Fax - 0755 2557305 email - mpagrohbpl@gmail.com
website : www.mpstateagro.nic.in - CIN No. U01119MP1969SGC001055

क्रमांक : मुख्या/विपणन/वाटर टैंकर/2026-27/1108

दिनांक : 23.07.2026

प्रति,

जिला प्रबंधक (समस्त),
क्षेत्रीय प्रबंधक (समस्त),

विषय : WATER TANKER MOUNTED ON TWO WHEEL TRACTOR TRAILER (MS/GI) की दरों के प्रसारण के संबंध में।

संदर्भ : मुख्यालय द्वारा WATER TANKER MOUNTED ON TWO WHEEL TRACTOR TRAILER (MS/GI) हेतु जारी आर.सी.ओ. दिनांक 22.05.2026

निगम के माध्यम से WATER TANKER MOUNTED ON TWO WHEEL TRACTOR TRAILER (5000 लीटर, 5500 लीटर तथा 5000 लीटर फायर फायटर - MS/GI) हेतु "ऑन-लाईन" रेट कॉन्ट्रैक्ट ऑफर आमंत्रित किया गया था, आपर में प्राप्त न्यूनतम एल-1 दरों के आधार पर समिति द्वारा की गयी अनुशंसा अनुसार निर्माताओं से सहमति प्राप्त कर अनुबंध संपादित किया गया है। अनुबंधित प्रदायक का विवरण एवं निगम की कय-विकय दरें FOR DESTINATION (प्रदाय स्थल तक पहुंचाकर) लोडिंग एवं अनलोडिंग सहित निम्नानुसार रहेंगी :-

M/S BALAJI LAGHU UDYOG AND KRISHI YANTRA OFFICE ADDRESS - 185 AGAR ROAD IN FRONT OF R.D. GARDI MEDICAL COLLEGE VILL. SURSA DISTT. UJJAIN (MP)
CONTECT PERSON - RITESH VYAS : 7000351200, 9584301120

S.N.	NAME OF ITEM	PURCHASE PRICE			SELLING PRICE			
		BASIC PRICE	GST @ 18% ON (A)	TOTAL PURCHASE PRICE (A+B)	BASIC PRICE	CORPORATION MARGIN @ 5% ON BASIC	GST @ 18% ON (D+ E)	FINAL SALLING PRICE (D+E+F)
M.S. WATER TANKER		A	B	C	D	E	F	G
1	M.S. WATER TANKER MOUNTED ON TWO WHEEL TRACTOR TRAILER CAPACITY 5500 LITER WITH 900x16 NEW TYRES. MODEL - 3	103150	18567	121717	103150	5158	19495	127803
2	M.S. WATER TANKER MOUNTED ON TWO WHEEL TRACTOR TRAILER CAPACITY 5500 LITER WITH 900x20 NEW TYRES. MODEL - 4	101400	18252	119652	101400	5070	19165	125635
G.I. WATER TANKER								
3	G.I. WATER TANKER MOUNTED ON TWO WHEEL TRACTOR TRAILER CAPACITY 5500 LITER WITH 900x16 NEW TYRES. MODEL - 9	118800	21384	140184	118800	5940	22453	147193
4	G.I. WATER TANKER MOUNTED ON TWO WHEEL TRACTOR TRAILER CAPACITY 5500 LITER WITH 900x20 NEW TYRES. MODEL - 10	130100	23418	153518	130100	6505	24589	161194

प्रदाय से संबंधित अन्य नियम एवं शर्तें निम्नानुसार रहेंगी :-

- दरों की प्रभावशीलता :** उपरोक्त कय एवं विकय दरें समस्त कर (जी.एस.टी, इयूटी, अन्य व्यय), परिवहन/निरीक्षण शुल्क, सहित एफ.ओ.आर. डेस्टीनेशन (विकासखण्ड स्तर तक) पहुंचाकर प्रथम पत्र प्रसारण की दिनांक से आगामी 03 माह तक लागू रहेंगी।
- आदेश की प्रक्रिया :** जिला प्रबंधक प्रदायक/निर्माता कम्पनी के अनुशंसा के साथ प्राप्त मांग को निगम के क्षेत्रीय प्रबंधक को अग्रेषित करेंगे एवं क्षेत्रीय प्रबंधक द्वारा विभाग से राशि प्राप्ति की सुनिश्चितता करते हुए संबंधित प्रदायक/निर्माता कम्पनी के पक्ष में "ऑन-लाईन" रेट कॉन्ट्रैक्ट ऑफर डाक्यूमेंट की शर्तानुसार प्रदाय आदेश जारी करेंगे।



- (अ) प्रदाय आदेश में सामग्री का विवरण, प्रदाय दर, प्रदाय शर्तें, प्रदाय स्थल की जानकारी एवं निगम के GSTN नम्बर आदि का स्पष्ट उल्लेख किया जावे।
- (ब) प्रदाय आदेश में प्रदायगी की समयसीमा का उल्लेख किया जावे। जिला प्रबंधक यह सुनिश्चित करेंगे कि प्रदायक द्वारा आदेशित सामग्री का प्रदाय सही हालत एवं समयसीमा में किया जावे। विलम्ब की स्थिति में प्राप्तकर्ता विभाग की सहमति प्राप्त होने के उपरांत ही प्रदायगी स्वीकार की जावे।
- (स) क्षेत्रीय प्रबंधक द्वारा आदेश जारी करने के पूर्व यह अवश्य ध्यान रखा जावे कि जिला प्रबंधकों द्वारा जो मांग दी जा रही है वह निश्चित व्यवसाय के विरुद्ध है।
3. **सामग्री की प्रदायगी** – प्रदायगी क्षेत्रीय प्रबंधक द्वारा लिखित प्रदाय आदेश जारी करने के उपरांत प्रदायक/निर्माता कम्पनी द्वारा प्रदाय आदेश में दिये गये निर्देशों के अनुरूप की जावे।
- (अ) प्रदायक द्वारा देयक पर निगम का GST NO. 23AACCM0330Q1ZM का उल्लेख किया जाना आवश्यक है। देयक में CGST एवं SGST की राशि का भी उल्लेख किया जावेगा। प्रदायक का उत्तरदायित्व है कि GST का भुगतान नियमानुसार समय से किया जावे व मासिक रिटर्न GSTR-1 में दर्शाया जावे। किसी प्रकार की विसंगति के कारण निगम को कोई हानि होती है तो तदनुसार हानि की राशि की कटौती प्रदायक/निर्माता कम्पनी के देयक से की जावेगी।
- (ब) प्रदायक/निर्माता कम्पनी द्वारा आदेशित सामग्री के प्रदाय के उपरांत देयक तीन प्रतियों में भुगतान हेतु संबंधित जिला प्रबंधक को प्रस्तुत किया जावेगा। देयक के साथ जियो टैगिंग फोटोग्राफ, पावती/संतुष्टि प्रमाण पत्र, सेल लेटर एवं थर्डपार्टी गुणवत्ता रिपोर्ट प्रस्तुत की जानी होगी।
- (स) आदेशित सामग्री का प्रदाय करते समय प्रदाय की जा रही सामग्री का भौतिक निरीक्षण निगम के जिला प्रबंधक एवं संबंधित विभाग के सक्षम अधिकारी द्वारा किया जावेगा। तदोपरांत पावती एवं संतुष्टि प्रमाण पत्र संयुक्त हस्ताक्षर से जारी किये जावेंगे।
4. **प्राइज़ फार क्लॉस** – निगम के माध्यम से प्रसारित की जा रही विक्रय दरें किसी अन्य शासकीय संस्था/उपक्रम अथवा बाजार में कम्पनी की विक्रय दरों के समतुल्य है। यदि भविष्य में बाजार अथवा अन्य संस्था में विक्रय दरों का कम होना निगम के संज्ञान में आता है तो प्रदायकर्ता द्वारा निगम के साथ किये गये अनुबंध दिनांक से उक्त स्थिति के प्रमाणित होने तक प्रदाय की गयी समस्त सामग्री पर वही दर लागू मानते हुए अंतर की राशि की वसूली प्रदायक के लंबित देयकों से की जावेगी। साथ ही निगम प्रदायक के अनुबंध को निरस्त करने हेतु निगम स्वतंत्र रहेगा, जिसके लिए प्रदायक स्वयं उत्तरदायी रहेगा।
5. **सामग्री की गुणवत्ता** –
- (अ) निगम के माध्यम से प्रदाय की जाने वाली सामग्री की गुणवत्ता के लिए प्रदायक / निर्माता कम्पनी पूर्ण रूप से उत्तरदायी होंगे। निर्माता द्वारा जो सामग्री प्रदाय की जावेगी वह निगम द्वारा जारी आर.सी.ओ. में दिये गये स्पेसिफिकेशन, मापदण्ड अनुसार रहेगी। गुणवत्ता के संबंध में किसी भी स्तर पर शिकायत प्राप्त होने पर इसकी सूचना जिला प्रबंधक संबंधित प्रदायक को देते हुए शिकायत का निराकरण करायेंगे एवं की गयी कार्यवाही से क्षेत्रीय प्रबंधक को अवगत करायेंगे। यदि समयसीमा में शिकायत का निराकरण संबंधित प्रदायक/निर्माता कम्पनी द्वारा नहीं किया जाता है तो प्रदाय सामग्री में से विधिवत सैम्पल का परीक्षण किसी मान्यता प्राप्त शासकीय संस्था को गुणवत्ता की जांच के लिए भिजवाया जावे एवं क्षेत्रीय कार्यालय एवं निगम मुख्यालय को सूचित किया जावे, सामग्री की गुणवत्ता उचित मापदण्ड अनुसार नहीं होने पर संबंधित प्रदायक/निर्माता कम्पनी के विरुद्ध अनुबंध एवं आर.सी.ओ. की शर्तों अनुसार कार्यवाही की जा सके। निरीक्षण की फीस प्रदायक को वहन करनी होगी।



- (ब) सामग्री की गुणवत्ता का परीक्षण निगम द्वारा जारी आर.सी.ओ. में उल्लेखित अधिकृत थर्डपार्टी एजेन्सी द्वारा किया जावेगा। गुणवत्ता परीक्षण रिपोर्ट प्रदायक द्वारा देयक के साथ संलग्न की जावेगी, जिसमें क्षेत्रीय प्रबंधक द्वारा जारी आदेश की दिनांक एवं संख्या व अन्य पूर्ण विवरण रहेगा। बिना परीक्षण रिपोर्ट के भुगतान नहीं किया जावेगा। निर्माता यह सुनिश्चित करें कि निर्धारित थर्डपार्टी परीक्षण समय पर हो जावे इसके लिए वह स्वयं थर्डपार्टी को अग्रिम में सूचित करेंगे।
6. **भुगतान** – प्रदायक के देयक का भुगतान आदेशानुसार सामग्री प्राप्त होने के उपरांत संबंधित विभाग/कंता से विधिवत पावती, संतुष्टि प्रमाण पत्र, निगम को पूर्ण राशि प्राप्त होने पर **“भुगतान पश्चात् भुगतान”** की शर्त पर तथा थर्डपार्टी निरीक्षण रिपोर्ट प्राप्त होने पर निगम के संबंधित जिला प्रबंधक द्वारा किया जावेगा।
7. **तकनीकी मापदण्ड** : सामग्री के तकनीकी मापदण्ड मुख्यालय द्वारा WATER TANKER MOUNTED ON TWO WHEEL TRACTOR TRAILER हेतु जारी आनलाईन आर.सी.ओ. दिनांक 22.05.2026 में दिये गये हैं। आदेश के साथ तकनीकी मापदण्डों की प्रति भी संलग्न की जावे ताकि प्रदायक यह सुनिश्चित करे कि सामग्री इन्हीं तकनीकी मापदण्ड अनुसार प्रदाय हो सके। (निगम द्वारा जारी आर.सी.ओ. दिनांक 22.05.2026 एवं तकनीकी मापदण्ड निगम के वेबसाइट www.mpagro.org पर उपलब्ध हैं जिला प्रबंधक/क्षेत्रीय प्रबंधक उक्त आर.सी.ओ. एवं तकनीकी मापदण्डों की एक प्रति वेबसाइट से प्रिंट कर रिकार्ड में रखे ताकि प्रदायगी के समय सामग्री की गुणवत्ता का निरीक्षण किया जा सके)
8. **सेल लेटर** : जिला प्रबंधक वाटर टैंकर प्रदायगी में प्रत्येक वाटर टैंकर का ट्रांसपोर्ट विभाग द्वारा निर्धारित **“सेल लेटर”** निर्माता से प्राप्त किया जाकर संबंधित कंता विभाग को उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित करेंगे। टैंकर का ट्रांसपोर्ट विभाग में पंजीयन कराने की जिम्मेवारी कंता विभाग की रहेगी। निगम मात्र संबंधित प्रपत्र उपलब्ध करावेगा। निगम के क्षेत्रीय प्रबंधक अपने आदेश में सेल लेटर का स्पष्ट उल्लेख करें एवं आदेश की प्रति कंता विभाग को उपलब्ध करायें।
9. **अधिरोपित शास्ति** : In case the supplier does not produce the ordered material within the specified time limit penalty will be imposed as under :-
- | No. | WEEKS | Rate of penalty imposed |
|-----|--|---|
| 1 | 1 st to 2 nd week | 0.25% per week |
| 2 | 3 rd to 4th week | 0.50% per week |
| 3 | in Case the supplier refuse to supply the ordered material | Cancelling the supply order and termination of Agreement and Black listing for 1-5 years. |
10. **वारण्टी** : आर.सी.ओ. की कंडिका क्रमांक 14 अनुसार प्रदाय किये जाने वाले WATER TANKER MOUNTED ON TWO WHEEL TRACTOR TRAILER की वारण्टी अवधि 1 वर्ष रहेगी, का उल्लेख आदेश में आवश्यक रूप से किया जावे।
Warranty of Tyre Tube will be as per company rules. if any defect occur in the Tyre Tube within the Warrantee Period then it will be replaced by the Vender. Remolded Tyre will not be allowed at any cost .
11. **ट्रेड सार्टिफिकेट** : वाटर टैंकर प्रदायगी के पूर्व जिला प्रबंधक यह सुनिश्चित करेंगे कि प्रदायक/ निर्माता द्वारा ट्रेड सार्टिफिकेट की वैधता अवधि में सामग्री का प्रदाय किया गया है। जिला प्रबंधक/ क्षेत्रीय प्रबंधक प्रदायक से ट्रेड सार्टिफिकेट की प्रति प्राप्त करें। यदि प्रदायक/निर्माता द्वारा ट्रेड सार्टिफिकेट की वैधता अवधि समाप्ति के उपरांत वाटर टैंकर का प्रदाय किया जाता है तो जिला प्रबंधक को उक्त प्रदाय आदेश निरस्त करने का अधिकार होगा। ऐसी स्थिति में क्षतिपूर्ति के लिए निर्माता/प्रदायक पूर्ण रूप से उत्तरदायी है।
12. **दरों की एक मात्र मान्यता** : अनुमोदित दरें केवल निगम के माध्यम से प्रदायगी हेतु हैं, अन्य किसी विभाग द्वारा इन दरों पर व्यवसाय करने की स्थिति में निगम किसी भी प्रकार से उत्तरदायी नहीं होगा।



13. **अन्य नियम एवं शर्तें :** उपरोक्त के अतिरिक्त अन्य नियम एवं शर्तें मुख्यालय द्वारा WATER TANKER MOUNTED ON TWO WHEEL TRACTOR TRAILER 5000 लीटर, 5500 लीटर तथा 5000 लीटर फायर फायटर (MS/GI) के प्रदाय हेतु जारी ऑनलाईन आर.सी.ओ. दिनांक 22.05.2026 अनुसार रहेगी।

इस परिपत्र प्रसारण के जारी होने की दिनांक से मुख्यालय द्वारा WATER TANKER MOUNTED ON TWO WHEEL TRACTOR TRAILER 5000 लीटर, 5500 लीटर तथा 5000 लीटर फायर फायटर (MS/GI) हेतु उपरोक्त प्रदायक की पूर्व प्रसारित समस्त दरें निरस्त मानी जावेगी।

प्रतिलिपि :-

1109
23-5-26

1. आयुक्त, म.प्र.शासन, उद्यानिकी एवं खादय प्रसंस्करण विभाग की ओर सूचनार्थ।
2. कलेक्टर (समस्त) की ओर सूचनार्थ।
3. आयुक्त, आर्थिक एवं सांख्यिकी संचालनालय, भूतल - विन्ध्याचल भवन, भोपाल (म.प्र.)
4. संचालक कृषि अभियांत्रिकी, आफिस काम्पलेक्स, बी-ब्लॉक, गौतम नगर, भोपाल।
5. आयुक्त नगरीय प्रशासन एवं विकास, पालिका भवन, नियर 6 नम्बर बस स्टाप, शिवाजी नगर, भोपाल - 462016
6. निज सहायक मा. प्रबंध संचालक, मुख्यालय, भोपाल की ओर सूचनार्थ।
7. महाप्रबंधक (वित्त), मुख्यालय, भोपाल की ओर सूचनार्थ।
8. **M/S BALAJI LAGHU UDYOG AND KRISHI YANTRA OFFICE ADDRESS - 185 AGAR ROAD IN FRONT OF R.D. GARDI MEDICAL COLLEGE VILL. SURSA DISTT. UJJAIN (MP)**

प्रबंधक (विपणन)
23/5/26

प्रबंधक (विपणन)
23/5/26





M.P. STATE AGRO INDUSTRIES DEVELOPMENT CORPORATION LTD.
PANCHANAN, 3RD FLOOR, MALVIYA NAGAR, BHOPAL-462003
☎- 0755- 2551652, 2551756 Fax - 0755 2557305 email - mpagrohbpl@gmail.com
website : www.mpstateagro.nic.in - CIN No. U01119MP19695GC001055

क्रमांक : मुख्या/विपणन/वाटर टैंकर/2026-27/ 1110

दिनांक : 23.07.2026

प्रति,

जिला प्रबंधक (समस्त),
क्षेत्रीय प्रबंधक (समस्त),

विषय : WATER TANKER MOUNTED ON TWO WHEEL TRACTOR TRAILER (MS/GI) की दरों के प्रसारण के संबंध में।
संदर्भ : मुख्यालय द्वारा WATER TANKER MOUNTED ON TWO WHEEL TRACTOR TRAILER (MS/GI) हेतु जारी आर.सी.ओ. दिनांक 22.05.2026

निगम के माध्यम से WATER TANKER MOUNTED ON TWO WHEEL TRACTOR TRAILER (5000 लीटर, 5500 लीटर तथा 5000 लीटर फायर फायटर - MS/GI) हेतु "ऑन-लाईन" रेट कॉन्ट्रैक्ट ऑफर आमंत्रित किया गया था, आपर में प्राप्त न्यूनतम एल-1 दरों के आधार पर समिति द्वारा की गयी अनुशंसा अनुसार निर्माताओं से सहमति प्राप्त कर अनुबंध संपादित किया गया है। अनुबंधित प्रदायक का विवरण एवं निगम की कय-विकय दरें FOR DESTINATION (प्रदाय स्थल तक पहुंचाकर) लोडिंग एवं अनलोडिंग सहित निम्नानुसार रहेंगी :-

M/S JAY COMPANY - OFFICE ADDRESS - 62, BARWANI ROAD, ANJAD DIST. BARWANI
(MP) CONTACT PERSON- SHRI DEEPAK PATIDAR MO-9993332450

S.N.	NAME OF ITEM	PURCHASE PRICE			SELLING PRICE			
		BASIC PRICE	GST @ 18% ON (A)	TOTAL PURCHASE PRICE (A+B)	BASIC PRICE	CORPORATION MARGIN @ 5% ON BASIC	GST @ 18% ON (D+ E)	FINAL SALLING PRICE (D+E+F)
M.S. WATER TANKER		A	B	C	D	E	F	G
1	M.S. WATER TANKER MOUNTED ON TWO WHEEL TRACTOR TRAILER CAPACITY 5000 LITER WITH 900x16 NEW TYRES. MODEL - 1	101700	18306	120006	101700	5085	19221	126006
2	M.S. WATER TANKER MOUNTED ON TWO WHEEL TRACTOR TRAILER CAPACITY 5000 LITER WITH NEW 900x20 TYRES. MODEL - 2	104131	18744	122875	104131	5207	19681	129018
3	M.S. WATER TANKER MOUNTED ON TWO WHEEL TRACTOR TRAILER CAPACITY 5500 LITER WITH 900x16 NEW TYRES. MODEL - 3	103150	18567	121717	103150	5158	19495	127803
4	M.S. WATER TANKER MOUNTED ON TWO WHEEL TRACTOR TRAILER CAPACITY 5500 LITER WITH 900x20 NEW TYRES. MODEL - 4	101400	18252	119652	101400	5070	19165	125635
5	M.S. WATER TANKER MOUNTED ON TWO WHEEL TRACTOR TRAILER CAPACITY 5000 LITER WITH FIRE FIGHTING PUMP AND 900x16 NEW TYRES. MODEL - 5	135000	24300	159300	135000	6750	25515	167265
6	M.S. WATER TANKER MOUNTED ON TWO WHEEL TRACTOR TRAILER CAPACITY 5000 LITER WITH FIRE FIGHTING PUMP AND 900x20 NEW TYRES. MODEL - 6	142200	25596	167796	142200	7110	26876	176186
G.I. WATER TANKER								
7	G.I. WATER TANKER MOUNTED ON TWO WHEEL TRACTOR TRAILER CAPACITY 5000 LITER WITH 900x16 NEW TYRES. MODEL - 7	113200	20376	133576	113200	5660	21395	140255



8	G.I. WATER TANKER MOUNTED ON TWO WHEEL TRACTOR TRAILER CAPACITY 5000 LITER WITH NEW 900x20 TYRES. MODEL - 8	117600	21168	138768	117600	5880	22226	145706
9	G.I. WATER TANKER MOUNTED ON TWO WHEEL TRACTOR TRAILER CAPACITY 5500 LITER WITH 900x16 NEW TYRES. MODEL - 9	118800	21384	140184	118800	5940	22453	147193
10	G.I. WATER TANKER MOUNTED ON TWO WHEEL TRACTOR TRAILER CAPACITY 5500 LITER WITH 900x20 NEW TYRES. MODEL - 10	130100	23418	153518	130100	6505	24589	161194
11	G.I. WATER TANKER MOUNTED ON TWO WHEEL TRACTOR TRAILER CAPACITY 5000 LITER WITH FIRE FIGHTING PUMP AND 900x16 NEW TYRES. MODEL - 11	143200	25776	168976	143200	7160	27065	177425
12	G.I. WATER TANKER MOUNTED ON TWO WHEEL TRACTOR TRAILER CAPACITY 5000 LITER WITH FIRE FIGHTING PUMP AND 900x20 NEW TYRES. MODEL - 12	156600	28188	184788	156600	7830	29597	194027

प्रदाय से संबंधित अन्य नियम एवं शर्तें निम्नानुसार रहेंगी :-

1. **दरों की प्रभावशीलता** : उपरोक्त क्रय एवं विक्रय दरें समस्त कर (जी.एस.टी, ड्यूटी, अन्य व्यय), परिवहन/निरीक्षण शुल्क, सहित एफ.ओ.आर. डेस्टीनेशन (विकासखण्ड स्तर तक) पहुंचाकर प्रथम पत्र प्रसारण की दिनांक से आगामी 03 माह तक लागू रहेंगी।

2. **आदेश की प्रक्रिया** : जिला प्रबंधक प्रदायक/निर्माता कम्पनी के अनुशंसा के साथ प्राप्त मांग को निगम के क्षेत्रीय प्रबंधक को अग्रप्रेषित करेंगे एवं क्षेत्रीय प्रबंधक द्वारा विभाग से राशि प्राप्ति की सुनिश्चितता करते हुए संबंधित प्रदायक/निर्माता कम्पनी के पक्ष में "ऑन-लाईन" रेट कांट्रैक्ट ऑफर डाक्यूमेंट की शर्तानुसार प्रदाय आदेश जारी करेंगे।

(अ) प्रदाय आदेश में सामग्री का विवरण, प्रदाय दर, प्रदाय शर्तें, प्रदाय स्थल की जानकारी एवं निगम के GSTIN नम्बर आदि का स्पष्ट उल्लेख किया जावे।

(ब) प्रदाय आदेश में प्रदायगी की समयसीमा का उल्लेख किया जावे। जिला प्रबंधक यह सुनिश्चित करेंगे कि प्रदायक द्वारा आदेशित सामग्री का प्रदाय सही हालत एवं समयसीमा में किया जावे। विलम्ब की स्थिति में प्राप्तकर्ता विभाग की सहमति प्राप्त होने के उपरांत ही प्रदायगी स्वीकार की जावे।

(स) क्षेत्रीय प्रबंधक द्वारा आदेश जारी करने के पूर्व यह अवश्य ध्यान रखा जावे कि जिला प्रबंधकों द्वारा जो मांग दी जा रही है वह निश्चित व्यवसाय के विरुद्ध है।

3. **सामग्री की प्रदायगी** - प्रदायगी क्षेत्रीय प्रबंधक द्वारा लिखित प्रदाय आदेश जारी करने के उपरांत प्रदायक/निर्माता कम्पनी द्वारा प्रदाय आदेश में दिये गये निर्देशों के अनुरूप की जावे।

(अ) प्रदायक द्वारा देयक पर निगम का GST NO. 23AACCM0330Q12M का उल्लेख किया जाना आवश्यक है। देयक में CGST एवं SGST की राशि का भी उल्लेख किया जावेगा। प्रदायक का उत्तरदायित्व है कि GST का भुगतान नियमानुसार समय से किया जावे व मासिक रिटर्न GSTR-1 में दर्शाया जावे। किसी प्रकार की विसंगति के कारण निगम को कोई हानि होती है तो तदनुसार हानि की राशि की कटौती प्रदायक/निर्माता कम्पनी के देयक से की जावेगी।

(ब) प्रदायक/निर्माता कम्पनी द्वारा आदेशित सामग्री के प्रदाय के उपरांत देयक तीन प्रतियों में भुगतान हेतु संबंधित जिला प्रबंधक को प्रस्तुत किया जावेगा। देयक के साथ जियो टैगिंग फोटोग्राफ, पावती/संतुष्टि प्रमाण पत्र, सेल लेटर एवं थर्डपार्टी गुणवत्ता रिपोर्ट प्रस्तुत की जानी होगी।

(स) आदेशित सामग्री का प्रदाय करते समय प्रदाय की जा रही सामग्री का भौतिक निरीक्षण निगम के जिला प्रबंधक एवं संबंधित विभाग के सक्षम अधिकारी द्वारा किया जावेगा। तदोपरांत पावती एवं संतुष्टि प्रमाण पत्र संयुक्त हस्ताक्षर से जारी किये जावेंगे।



4. **प्राइज फार क्लॉस** – निगम के माध्यम से प्रसारित की जा रही विक्रय दरें किसी अन्य शासकीय संस्था/उपक्रम अथवा बाजार में कम्पनी की विक्रय दरों के समतुल्य है। यदि भविष्य में बाजार अथवा अन्य संस्था में विक्रय दरों का कम होना निगम के संज्ञान में आता है तो प्रदायकर्ता द्वारा निगम के साथ किये गये अनुबंध दिनांक से उक्त स्थिति के प्रमाणित होने तक प्रदाय की गयी समस्त सामग्री पर वही दर लागू मानते हुए अंतर की राशि की वसूली प्रदायक के लंबित देयकों से की जावेगी। साथ ही निगम प्रदायक के अनुबंध को निरस्त करने हेतु निगम स्वतंत्र रहेगा, जिसके लिए प्रदायक स्वयं उत्तरदायी रहेगा।
5. **सामग्री की गुणवत्ता** –
- (अ) निगम के माध्यम से प्रदाय की जाने वाली सामग्री की गुणवत्ता के लिए प्रदायक / निर्माता कम्पनी पूर्ण रूप से उत्तरदायी होंगे। निर्माता द्वारा जो सामग्री प्रदाय की जावेगी वह निगम द्वारा जारी आर.सी.ओ. में दिये गये स्पेसिफिकेशन, मापदण्ड अनुसार रहेगी। गुणवत्ता के संबंध में किसी भी स्तर पर शिकायत प्राप्त होने पर इसकी सूचना जिला प्रबंधक संबंधित प्रदायक को देते हुए शिकायत का निराकरण करावेंगे एवं की गयी कार्यवाही से क्षेत्रीय प्रबंधक को अवगत करावेंगे। यदि समयसीमा में शिकायत का निराकरण संबंधित प्रदायक/निर्माता कम्पनी द्वारा नहीं किया जाता है तो प्रदाय सामग्री में से विधिवत सैम्पल का परीक्षण किसी मान्यता प्राप्त शासकीय संस्था को गुणवत्ता की जांच के लिए भिजवाया जावे एवं क्षेत्रीय कार्यालय एवं निगम मुख्यालय को सूचित किया जावे, सामग्री की गुणवत्ता उचित मापदण्ड अनुसार नहीं होने पर संबंधित प्रदायक/निर्माता कम्पनी के विरुद्ध अनुबंध एवं आर.सी.ओ. की शर्तों अनुसार कार्यवाही की जा सके। निरीक्षण की फीस प्रदायक को वहन करनी होगी।
- (ब) सामग्री की गुणवत्ता का परीक्षण निगम द्वारा जारी आर.सी.ओ. में उल्लेखित अधिकृत थर्डपार्टी एजेन्सी द्वारा किया जावेगा। गुणवत्ता परीक्षण रिपोर्ट प्रदायक द्वारा देयक के साथ संलग्न की जावेगी, जिसमें क्षेत्रीय प्रबंधक द्वारा जारी आदेश की दिनांक एवं संख्या व अन्य पूर्ण विवरण रहेगा। बिना परीक्षण रिपोर्ट के भुगतान नहीं किया जावेगा। निर्माता यह सुनिश्चित करें कि निर्धारित थर्डपार्टी परीक्षण समय पर हो जावे इसके लिए वह स्वयं थर्डपार्टी को अग्रिम में सूचित करेंगे।
6. **भुगतान** – प्रदायक के देयक का भुगतान आदेशानुसार सामग्री प्राप्त होने के उपरांत संबंधित विभाग/क्रेता से विधिवत पावती, संतुष्टि प्रमाण पत्र, निगम को पूर्ण राशि प्राप्त होने पर **“भुगतान पश्चात् भुगतान”** की शर्त पर तथा थर्डपार्टी निरीक्षण रिपोर्ट प्राप्त होने पर निगम के संबंधित जिला प्रबंधक द्वारा किया जावेगा।
7. **तकनीकी मापदण्ड** : सामग्री के तकनीकी मापदण्ड मुख्यालय द्वारा WATER TANKER MOUNTED ON TWO WHEEL TRACTOR TRAILER हेतु जारी आनलाईन आर.सी.ओ. दिनांक 22.05.2026 में दिये गये हैं। आदेश के साथ तकनीकी मापदण्डों की प्रति भी संलग्न की जावे ताकि प्रदायक यह सुनिश्चित करे कि सामग्री इन्हीं तकनीकी मापदण्ड अनुसार प्रदाय हो सके। (निगम द्वारा जारी आर.सी.ओ. दिनांक 22.05.2026 एवं तकनीकी मापदण्ड निगम के वेबसाइट www.mpagro.org पर उपलब्ध हैं जिला प्रबंधक/क्षेत्रीय प्रबंधक उक्त आर.सी.ओ. एवं तकनीकी मापदण्डों की एक प्रति वेबसाइट से प्रिंट कर रिकार्ड में रखे ताकि प्रदायगी के समय सामग्री की गुणवत्ता का निरीक्षण किया जा सके)
8. **सेल लेटर** : जिला प्रबंधक वाटर टैंकर प्रदायगी में प्रत्येक वाटर टैंकर का ट्रांसपोर्ट विभाग द्वारा निर्धारित **“सेल लेटर”** निर्माता से प्राप्त किया जाकर संबंधित क्रेता विभाग को उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित करेंगे। टैंकर का ट्रांसपोर्ट विभाग में पंजीयन कराने की जिम्मेवारी क्रेता विभाग की रहेगी। निगम मात्र संबंधित प्रपत्र उपलब्ध करावेगा। निगम के क्षेत्रीय प्रबंधक अपने आदेश में सेल लेटर का स्पष्ट उल्लेख करें एवं आदेश की प्रति क्रेता विभाग को उपलब्ध करावें।
9. **अधिरूपित शास्ति** : In case the supplier does not produce the ordered material within the specified time limit penalty will be imposed as under :-

No.	WEEKS	Rate of penalty imposed
1	1 st to 2 nd week	0.25% per week
2	3 rd to 4th week	0.50% per week
3	in Case the supplier refuse to supply the ordered material	Cancelling the supply order and temination of Agreement and Black listing for 1-5 years.



10. **वारण्टी** : आर.सी.ओ. की कंडिका कमांक 14 अनुसार प्रदाय किये जाने वाले WATER TANKER MOUNTED ON TWO WHEEL TRACTOR TRAILER की वारण्टी अवधि 1 वर्ष रहेगी, का उल्लेख आदेश में आवश्यक रूप से किया जावे।

Warranty of Tyre Tube will be as per company rules. if any defect occur in the Tyre Tube within the Warrantee Period then it will be replaced by the Vender. Remolded Tyre will not be allowed at any cost .

11. **ट्रेड सार्टिफिकेट** : वाटर टैंकर प्रदायगी के पूर्व जिला प्रबंधक यह सुनिश्चित करेंगे कि प्रदायक/ निर्माता द्वारा ट्रेड सार्टिफिकेट की वैधता अवधि में सामग्री का प्रदाय किया गया है। जिला प्रबंधक/ क्षेत्रीय प्रबंधक प्रदायक से ट्रेड सार्टिफिकेट की प्रति प्राप्त करें। यदि प्रदायक/निर्माता द्वारा ट्रेड सार्टिफिकेट की वैधता अवधि समाप्ति के उपरांत वाटर टैंकर का प्रदाय किया जाता है तो जिला प्रबंधक को उक्त प्रदाय आदेश निरस्त करने का अधिकार होगा। ऐसी स्थिति में क्षतिपूर्ति के लिए निर्माता/प्रदायक पूर्ण रूप से उत्तरदायी है।
12. **दरों की एक मात्र मान्यता** : अनुमोदित दरें केवल निगम के माध्यम से प्रदायगी हेतु हैं, अन्य किसी विभाग द्वारा इन दरों पर व्यवसाय करने की स्थिति में निगम किसी भी प्रकार से उत्तरदायी नहीं होगा।
13. **अन्य नियम एवं शर्तें** : उपरोक्त के अतिरिक्त अन्य नियम एवं शर्तें मुख्यालय द्वारा WATER TANKER MOUNTED ON TWO WHEEL TRACTOR TRAILER 5000 लीटर, 5500 लीटर तथा 5000 लीटर फायर फायटर (MS/GI) के प्रदाय हेतु जारी ऑनलाईन आर.सी.ओ. दिनांक 22.05.2026 अनुसार रहेगी।

इस परिपत्र प्रसारण के जारी होने की दिनांक से मुख्यालय द्वारा WATER TANKER MOUNTED ON TWO WHEEL TRACTOR TRAILER 5000 लीटर, 5500 लीटर तथा 5000 लीटर फायर फायटर (MS/GI) हेतु उपरोक्त प्रदायक की पूर्व प्रसारित समस्त दरें निरस्त मानी जावेगी।

प्रतिलिपि :- 23-5-26

1. आयुक्त, म.प्र.शासन, उद्यानिकी एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग की ओर सूचनार्थ।
2. कलेक्टर (समस्त) की ओर सूचनार्थ।
3. आयुक्त, आर्थिक एवं सांख्यिकी संचालनालय, भूतल - विन्ध्याचल भवन, भोपाल (म.प्र.)
4. संचालक कृषि अभियांत्रिकी, आफिस काम्पलेक्स, बी-ब्लॉक, गौतम नगर, भोपाल।
5. आयुक्त नगरीय प्रशासन एवं विकास, पालिका भवन, नियर 6 नम्बर बस स्टाप, शिवाजी नगर, भोपाल - 462016
6. निज सहायक मा. प्रबंध संचालक, मुख्यालय, भोपाल की ओर सूचनार्थ।
7. महाप्रबंधक (वित्त), मुख्यालय, भोपाल की ओर सूचनार्थ।
8. **M/S JAY COMPANY - OFFICE ADDRESS** - 62, BARWANI ROAD, ANJAD DIST. BARWANI (MP)



प्रबंधक (विपणन)
23/5/26

प्रबंधक (विपणन)
23/5/26



M.P. STATE AGRO INDUSTRIES DEVELOPMENT CORPORATION LTD.
PANCHANAN, 3RD FLOOR, MALVIYA NAGAR, BHOPAL-462003
☎- 0755- 2551652, 2551756 Fax - 0755 2557305 email - mpagrohbpl@gmail.com
website : www.mpstateagro.nic.in - CIN No. U01119MP1969SGC001055

क्रमांक : मुख्या/विपणन/वाटर टैंकर/2026-27/1112

दिनांक : 23.07.2026

प्रति,

जिला प्रबंधक (समस्त),
क्षेत्रीय प्रबंधक (समस्त),

विषय : WATER TANKER MOUNTED ON TWO WHEEL TRACTOR TRAILER (MS/GI) की दरों के प्रसारण के संबंध में।
संदर्भ : मुख्यालय द्वारा WATER TANKER MOUNTED ON TWO WHEEL TRACTOR TRAILER (MS/GI) हेतु जारी आर.सी.ओ. दिनांक 22.05.2026

निगम के माध्यम से WATER TANKER MOUNTED ON TWO WHEEL TRACTOR TRAILER (5000 लीटर, 5500 लीटर तथा 5000 लीटर फायर फायटर - MS/GI) हेतु "ऑन-लाईन" रेट कॉन्ट्रैक्ट ऑफर आमंत्रित किया गया था, आपर में प्राप्त न्यूनतम एल-1 दरों के आधार पर समिति द्वारा की गयी अनुशंसा अनुसार निर्माताओं से सहमति प्राप्त कर अनुबंध संपादित किया गया है। अनुबंधित प्रदायक का विवरण एवं निगम की कय-विक्रय दरें FOR DESTINATION (प्रदाय स्थल तक पहुंचाकर) लोडिंग एवं अनलोडिंग सहित निम्नानुसार रहेंगी :-

M/S SHRI SHIV SHAKTI KRISHI YANTRA OFFICE ADDRESS - KHIMLASA (KHURAI)
DISTT. SAGAR (MP) CONTECT PERSON - MANISH RICHARIYA - 9893549074

S.N.	NAME OF ITEM	PURCHASE PRICE			SELLING PRICE			
		BASIC PRICE	GST @ 18% ON (A)	TOTAL PURCHASE PRICE (A+B)	BASIC PRICE	CORPORATION MARGIN @ 5% ON BASIC	GST @ 18% ON (D+ E)	FINAL SALLING PRICE (D+E+F)
M.S. WATER TANKER		A	B	C	D	E	F	G
1	M.S. WATER TANKER MOUNTED ON TWO WHEEL TRACTOR TRAILER CAPACITY 5000 LITER WITH 900x16 NEW TYRES. MODEL - 1	101700	18306	120006	101700	5085	19221	126006
2	M.S. WATER TANKER MOUNTED ON TWO WHEEL TRACTOR TRAILER CAPACITY 5000 LITER WITH NEW 900x20 TYRES. MODEL - 2	104131	18744	122875	104131	5207	19681	129018
3	M.S. WATER TANKER MOUNTED ON TWO WHEEL TRACTOR TRAILER CAPACITY 5500 LITER WITH 900x16 NEW TYRES. MODEL - 3	103150	18567	121717	103150	5158	19495	127803
4	M.S. WATER TANKER MOUNTED ON TWO WHEEL TRACTOR TRAILER CAPACITY 5500 LITER WITH 900x20 NEW TYRES. MODEL - 4	101400	18252	119652	101400	5070	19165	125635
5	M.S. WATER TANKER MOUNTED ON TWO WHEEL TRACTOR TRAILER CAPACITY 5000 LITER WITH FIRE FIGHTING PUMP AND 900x16 NEW TYRES. MODEL - 5	135000	24300	159300	135000	6750	25515	167265
6	M.S. WATER TANKER MOUNTED ON TWO WHEEL TRACTOR TRAILER CAPACITY 5000 LITER WITH FIRE FIGHTING PUMP AND 900x20 NEW TYRES. MODEL - 6	142200	25596	167796	142200	7110	26876	176186
G.I. WATER TANKER								
7	G.I. WATER TANKER MOUNTED ON TWO WHEEL TRACTOR TRAILER CAPACITY 5000 LITER WITH 900x16 NEW TYRES. MODEL - 7	113200	20376	133576	113200	5660	21395	140255



8	G.I. WATER TANKER MOUNTED ON TWO WHEEL TRACTOR TRAILER CAPACITY 5000 LITER WITH NEW 900x20 TYRES. MODEL - 8	117600	21168	138768	117600	5880	22226	145706
9	G.I. WATER TANKER MOUNTED ON TWO WHEEL TRACTOR TRAILER CAPACITY 5500 LITER WITH 900x16 NEW TYRES. MODEL - 9	118800	21384	140184	118800	5940	22453	147193
10	G.I. WATER TANKER MOUNTED ON TWO WHEEL TRACTOR TRAILER CAPACITY 5500 LITER WITH 900x20 NEW TYRES. MODEL - 10	130100	23418	153518	130100	6505	24589	161194
11	G.I. WATER TANKER MOUNTED ON TWO WHEEL TRACTOR TRAILER CAPACITY 5000 LITER WITH FIRE FIGHTING PUMP AND 900x16 NEW TYRES. MODEL - 11	143200	25776	168976	143200	7160	27065	177425
12	G.I. WATER TANKER MOUNTED ON TWO WHEEL TRACTOR TRAILER CAPACITY 5000 LITER WITH FIRE FIGHTING PUMP AND 900x20 NEW TYRES. MODEL - 12	156600	28188	184788	156600	7830	29597	194027

प्रदाय से संबंधित अन्य नियम एवं शर्तें निम्नानुसार रहेंगी :-

- दरों की प्रभावशीलता** : उपरोक्त कय एवं विकय दरें समस्त कर (जी.एस.टी, ड्यूटी, अन्य व्यय), परिवहन/निरीक्षण शुल्क, सहित एफ.ओ.आर. डेस्टिनेशन (विकासखण्ड स्तर तक) पहुंचाकर प्रथम पत्र प्रसारण की दिनांक से आगामी 03 माह तक लागू रहेंगी।
- आदेश की प्रक्रिया** : जिला प्रबंधक प्रदायक/निर्माता कम्पनी के अनुशंसा के साथ प्राप्त मांग को निगम के क्षेत्रीय प्रबंधक को अग्रेषित करेंगे एवं क्षेत्रीय प्रबंधक द्वारा विभाग से राशि प्राप्ति की सुनिश्चितता करते हुए संबंधित प्रदायक/निर्माता कम्पनी के पक्ष में "ऑन-लाइन" रेट कांट्रेक्ट ऑफर डाक्यूमेंट की शर्तानुसार प्रदाय आदेश जारी करेंगे।
 - प्रदाय आदेश में सामग्री का विवरण, प्रदाय दर, प्रदाय शर्तें, प्रदाय स्थल की जानकारी एवं निगम के GSTN नम्बर आदि का स्पष्ट उल्लेख किया जावे।
 - प्रदाय आदेश में प्रदायगी की समयसीमा का उल्लेख किया जावे। जिला प्रबंधक यह सुनिश्चित करेंगे कि प्रदायक द्वारा आदेशित सामग्री का प्रदाय सही हालत एवं समयसीमा में किया जावे। विलम्ब की स्थिति में प्राप्तकर्ता विभाग की सहमति प्राप्त होने के उपरांत ही प्रदायगी स्वीकार की जावे।
 - क्षेत्रीय प्रबंधक द्वारा आदेश जारी करने के पूर्व यह अवश्य ध्यान रखा जावे कि जिला प्रबंधकों द्वारा जो मांग दी जा रही है वह निश्चित व्यवसाय के विरुद्ध है।
- सामग्री की प्रदायगी** - प्रदायगी क्षेत्रीय प्रबंधक द्वारा लिखित प्रदाय आदेश जारी करने के उपरांत प्रदायक/निर्माता कम्पनी द्वारा प्रदाय आदेश में दिये गये निर्देशों के अनुरूप की जावे।
 - प्रदायक द्वारा देयक पर निगम का GST NO. 23AACCM0330Q1ZM का उल्लेख किया जाना आवश्यक है। देयक में CGST एवं SGST की राशि का भी उल्लेख किया जावेगा। प्रदायक का उत्तरदायित्व है कि GST का भुगतान नियमानुसार समय से किया जावे व मासिक रिटर्न GSTR-1 में दर्शाया जावे। किसी प्रकार की विसंगति के कारण निगम को कोई हानि होती है तो तदनुसार हानि की राशि की कटौती प्रदायक/निर्माता कम्पनी के देयक से की जावेगी।
 - प्रदायक/निर्माता कम्पनी द्वारा आदेशित सामग्री के प्रदाय के उपरांत देयक तीन प्रतियों में भुगतान हेतु संबंधित जिला प्रबंधक को प्रस्तुत किया जावेगा। देयक के साथ जियो टैगिंग फोटोग्राफ, पावती/संतुष्टि प्रमाण पत्र, सेल लेटर एवं थर्डपार्टी गुणवत्ता रिपोर्ट प्रस्तुत की जानी होगी।
 - आदेशित सामग्री का प्रदाय करते समय प्रदाय की जा रही सामग्री का भौतिक निरीक्षण निगम के जिला प्रबंधक एवं संबंधित विभाग के सक्षम अधिकारी द्वारा किया जावेगा। तदोपरांत पावती एवं संतुष्टि प्रमाण पत्र संयुक्त हस्ताक्षर से जारी किये जावेंगे।



4. **प्राइज फार क्लॉस** - निगम के माध्यम से प्रसारित की जा रही विक्रय दरें किसी अन्य शासकीय संस्था/उपक्रम अथवा बाजार में कम्पनी की विक्रय दरों के समतुल्य हैं। यदि भविष्य में बाजार अथवा अन्य संस्था में विक्रय दरों का कम होना निगम के संज्ञान में आता है तो प्रदायकर्ता द्वारा निगम के साथ किये गये अनुबंध दिनांक से उक्त स्थिति के प्रमाणित होने तक प्रदाय की गयी समस्त सामग्री पर वही दर लागू मानते हुए अंतर की राशि की बसूली प्रदायक के लंबित देयकों से की जावेगी। साथ ही निगम प्रदायक के अनुबंध को निरस्त करने हेतु निगम स्वतंत्र रहेगा, जिसके लिए प्रदायक स्वयं उत्तरदायी रहेगा।
5. **सामग्री की गुणवत्ता** -
- (अ) निगम के माध्यम से प्रदाय की जाने वाली सामग्री की गुणवत्ता के लिए प्रदायक / निर्माता कम्पनी पूर्ण रूप से उत्तरदायी होंगे। निर्माता द्वारा जो सामग्री प्रदाय की जावेगी वह निगम द्वारा जारी आर.सी.ओ. में दिये गये स्पेसिफिकेशन, मापदण्ड अनुसार रहेगी। गुणवत्ता के संबंध में किसी भी स्तर पर शिकायत प्राप्त होने पर इसकी सूचना जिला प्रबंधक संबंधित प्रदायक को देते हुए शिकायत का निराकरण करायेंगे एवं की गयी कार्यवाही से क्षेत्रीय प्रबंधक को अवगत करायेंगे। यदि समयसीमा में शिकायत का निराकरण संबंधित प्रदायक/निर्माता कम्पनी द्वारा नहीं किया जाता है तो प्रदाय सामग्री में से विधिवत सैम्पल का परीक्षण किसी मान्यता प्राप्त शासकीय संस्था को गुणवत्ता की जांच के लिए भिजवाया जावे एवं क्षेत्रीय कार्यालय एवं निगम मुख्यालय को सूचित किया जावे, सामग्री की गुणवत्ता उचित मापदण्ड अनुसार नहीं होने पर संबंधित प्रदायक/निर्माता कम्पनी के विरुद्ध अनुबंध एवं आर.सी.ओ. की शर्तों अनुसार कार्यवाही की जा सके। निरीक्षण की फीस प्रदायक को वहन करनी होगी।
- (ब) सामग्री की गुणवत्ता का परीक्षण निगम द्वारा जारी आर.सी.ओ. में उल्लेखित अधिकृत थर्डपार्टी एजेन्सी द्वारा किया जावेगा। गुणवत्ता परीक्षण रिपोर्ट प्रदायक द्वारा देयक के साथ संलग्न की जावेगी, जिसमें क्षेत्रीय प्रबंधक द्वारा जारी आदेश की दिनांक एवं संख्या व अन्य पूर्ण विवरण रहेगा। बिना परीक्षण रिपोर्ट के भुगतान नहीं किया जावेगा। निर्माता यह सुनिश्चित करें कि निर्धारित थर्डपार्टी परीक्षण समय पर हो जावे इसके लिए वह स्वयं थर्डपार्टी को अग्रिम में सूचित करेंगे।
6. **भुगतान** - प्रदायक के देयक का भुगतान आदेशानुसार सामग्री प्राप्त होने के उपरांत संबंधित विभाग/केता से विधिवत पावती, संतुष्टि प्रमाण पत्र, निगम को पूर्ण राशि प्राप्त होने पर **"भुगतान पश्चात् भुगतान"** की शर्त पर तथा थर्डपार्टी निरीक्षण रिपोर्ट प्राप्त होने पर निगम के संबंधित जिला प्रबंधक द्वारा किया जावेगा।
7. **तकनीकी मापदण्ड** : सामग्री के तकनीकी मापदण्ड मुख्यालय द्वारा WATER TANKER MOUNTED ON TWO WHEEL TRACTOR TRAILER हेतु जारी आनलाईन आर.सी.ओ. दिनांक 22.05.2026 में दिये गये हैं। आदेश के साथ तकनीकी मापदण्डों की प्रति भी संलग्न की जावे ताकि प्रदायक यह सुनिश्चित करे कि सामग्री इन्हीं तकनीकी मापदण्ड अनुसार प्रदाय हो सके। (निगम द्वारा जारी आर.सी.ओ. दिनांक 22.05.2026 एवं तकनीकी मापदण्ड निगम के वेबसाइट www.mpagro.org पर उपलब्ध हैं जिला प्रबंधक/क्षेत्रीय प्रबंधक उक्त आर.सी.ओ. एवं तकनीकी मापदण्डों की एक प्रति वेबसाइट से प्रिंट कर रिकार्ड में रखे ताकि प्रदायगी के समय सामग्री की गुणवत्ता का निरीक्षण किया जा सके)
8. **सेल लेटर** : जिला प्रबंधक वाटर टैंकर प्रदायगी में प्रत्येक वाटर टैंकर का ट्रांसपोर्ट विभाग द्वारा निर्धारित "सेल लेटर" निर्माता से प्राप्त किया जाकर संबंधित केता विभाग को उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित करेंगे। टैंकर का ट्रांसपोर्ट विभाग में पंजीयन कराने की जिम्मेवारी केता विभाग की रहेगी। निगम मात्र संबंधित प्रपत्र उपलब्ध करावेगा। निगम के क्षेत्रीय प्रबंधक अपने आदेश में सेल लेटर का स्पष्ट उल्लेख करें एवं आदेश की प्रति केता विभाग को उपलब्ध करायें।
9. **अधिरूपित शास्ति** : In case the supplier does not produce the ordered material within the specified time limit penalty will be imposed as under :-

No.	WEEKS	Rate of penalty imposed
1	1 st to 2 nd week	0.25% per week
2	3 rd to 4th week	0.50% per week
3	in Case the supplier refuse to supply the ordered material	Cancelling the supply order and temination of Agreement and Black listing for 1-5 years.



10. **वारण्टी** : आर.सी.ओ. की कंडिका क्रमांक 14 अनुसार प्रदाय किये जाने वाले WATER TANKER MOUNTED ON TWO WHEEL TRACTOR TRAILER की वारण्टी अवधि 1 वर्ष रहेगी, का उल्लेख आदेश में आवश्यक रूप से किया जावे।

Warranty of Tyre Tube will be as per company rules. if any defect occur in the Tyre Tube within the Warrantee Period then it will be replaced by the Vender. Remolded Tyre will not be allowed at any cost .

11. **ट्रेड सार्टिफिकेट** : वाटर टैंकर प्रदायगी के पूर्व जिला प्रबंधक यह सुनिश्चित करेंगे कि प्रदायक/ निर्माता द्वारा ट्रेड सार्टिफिकेट की वैधता अवधि में सामग्री का प्रदाय किया गया है। जिला प्रबंधक/ क्षेत्रीय प्रबंधक प्रदायक से ट्रेड सार्टिफिकेट की प्रति प्राप्त करें। यदि प्रदायक/निर्माता द्वारा ट्रेड सार्टिफिकेट की वैधता अवधि समाप्ति के उपरांत वाटर टैंकर का प्रदाय किया जाता है तो जिला प्रबंधक को उक्त प्रदाय आदेश निरस्त करने का अधिकार होगा। ऐसी स्थिति में क्षतिपूर्ति के लिए निर्माता/प्रदायक पूर्ण रूप से उत्तरदायी है।
12. **दरों की एक मात्र मान्यता** : अनुमोदित दरें केवल निगम के माध्यम से प्रदायगी हेतु हैं, अन्य किसी विभाग द्वारा इन दरों पर व्यवसाय करने की स्थिति में निगम किसी भी प्रकार से उत्तरदायी नहीं होगा।
13. **अन्य नियम एवं शर्तें** : उपरोक्त के अतिरिक्त अन्य नियम एवं शर्तें मुख्यालय द्वारा WATER TANKER MOUNTED ON TWO WHEEL TRACTOR TRAILER 5000 लीटर, 5500 लीटर तथा 5000 लीटर फायर फायटर (MS/GI) के प्रदाय हेतु जारी ऑनलाईन आर.सी.ओ. दिनांक 22.05.2026 अनुसार रहेगी।

इस परिपत्र प्रसारण के जारी होने की दिनांक से मुख्यालय द्वारा WATER TANKER MOUNTED ON TWO WHEEL TRACTOR TRAILER 5000 लीटर, 5500 लीटर तथा 5000 लीटर फायर फायटर (MS/GI) हेतु उपरोक्त प्रदायक की पूर्व प्रसारित समस्त दरें निरस्त मानी जावेगी।

प्रतिलिपि :- 1113
23-5-26

1. आयुक्त, म.प्र.शासन, उद्यानिकी एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग की ओर सूचनार्थ।
2. कलेक्टर (समस्त) की ओर सूचनार्थ।
3. आयुक्त, आर्थिक एवं सांख्यिकी संचालनालय, भूतल - विन्ध्याचल भवन, भोपाल (म.प्र.)
4. संचालक कृषि अभियांत्रिकी, आफिस काम्पलेक्स, बी-ब्लॉक, गौतम नगर, भोपाल।
5. आयुक्त नगरीय प्रशासन एवं विकास, पालिका भवन, नियर 6 नम्बर बस स्टाप, शिवाजी नगर, भोपाल - 462016
6. निज सहायक मा. प्रबंध संचालक, मुख्यालय, भोपाल की ओर सूचनार्थ।
7. महाप्रबंधक (वित्त), मुख्यालय, भोपाल की ओर सूचनार्थ।
8. **M/S SHRI SHIV SHAKTI KRISHI YANTRA OFFICE ADDRESS - KHIMLASA (KHURAI) DISTT. SAGAR (MP)**



प्रबंधक (विपणन)
23/5/26

प्रबंधक (विपणन)
23/5/26



M.P. STATE AGRO INDUSTRIES DEVELOPMENT CORPORATION LTD.
PANCHANAN, 3RD FLOOR, MALVIYA NAGAR, BHOPAL-462003
☎- 0755- 2551652, 2551756 Fax - 0755 2557305 email - mpagrohbpl@gmail.com
website : www.mpstateagro.nic.in - CIN No. U01119MP1969SGC001055

क्रमांक : मुख्या/विपणन/वाटर टैंकर/2026-27/1114

दिनांक : 23.07.2026

प्रति,

जिला प्रबंधक (समस्त),
क्षेत्रीय प्रबंधक (समस्त),

विषय : WATER TANKER MOUNTED ON TWO WHEEL TRACTOR TRAILER (MS/GI) की दरों के प्रसारण के संबंध में।

संदर्भ : मुख्यालय द्वारा WATER TANKER MOUNTED ON TWO WHEEL TRACTOR TRAILER (MS/GI) हेतु जारी आर.सी.ओ. दिनांक 22.05.2026

निगम के माध्यम से WATER TANKER MOUNTED ON TWO WHEEL TRACTOR TRAILER (5000 लीटर, 5500 लीटर तथा 5000 लीटर फायर फायटर - MS/GI) हेतु "ऑन-लाईन" रेट कॉन्ट्रैक्ट ऑफर आमंत्रित किया गया था, आकर में प्राप्त न्यूनतम एल-1 दरों के आधार पर समिति द्वारा की गयी अनुशंसा अनुसार निर्माताओं से सहमति प्राप्त कर अनुबंध संपादित किया गया है। अनुबंधित प्रदायक का विवरण एवं निगम की कय-विकय दरें FOR DESTINATION (प्रदाय स्थल तक पहुंचाकर) लोडिंग एवं अनलोडिंग सहित निम्नानुसार रहेंगी :-

M/S KPL EQUIPMENTS PVT. LTD. - OFFICE ADDRESS - PLOT NO - 20 AKVN ACHARRPUR INTHKHEDI BHOPAL CONTECT PERSON-LAKHAN THAKUR - MO - 9827811197

MO - 9627611197

S.N.	NAME OF ITEM	PURCHASE PRICE			SELLING PRICE			
		BASIC PRICE	GST @ 18% ON (A)	TOTAL PURCHASE PRICE (A+B)	BASIC PRICE	CORPORATION MARGIN @ 5% ON BASIC	GST @ 18% ON (D+ E)	FINAL SALLING PRICE (D+E+F)
M.S. WATER TANKER		A	B	C	D	E	F	G
1	M.S. WATER TANKER MOUNTED ON TWO WHEEL TRACTOR TRAILER CAPACITY 5000 LITER WITH 900x16 NEW TYRES. MODEL - 1	101700	18306	120006	101700	5085	19221	126006
2	M.S. WATER TANKER MOUNTED ON TWO WHEEL TRACTOR TRAILER CAPACITY 5000 LITER WITH NEW 900x20 TYRES. MODEL - 2	104131	18744	122875	104131	5207	19681	129018
3	M.S. WATER TANKER MOUNTED ON TWO WHEEL TRACTOR TRAILER CAPACITY 5500 LITER WITH 900x16 NEW TYRES. MODEL - 3	103150	18567	121717	103150	5158	19495	127803
4	M.S. WATER TANKER MOUNTED ON TWO WHEEL TRACTOR TRAILER CAPACITY 5500 LITER WITH 900x20 NEW TYRES. MODEL - 4	101400	18252	119652	101400	5070	19165	125635
5	M.S. WATER TANKER MOUNTED ON TWO WHEEL TRACTOR TRAILER CAPACITY 5000 LITER WITH FIRE FIGHTING PUMP AND 900x16 NEW TYRES. MODEL - 5	135000	24300	159300	135000	6750	25515	167265
6	M.S. WATER TANKER MOUNTED ON TWO WHEEL TRACTOR TRAILER CAPACITY 5000 LITER WITH FIRE FIGHTING PUMP AND 900x20 NEW TYRES. MODEL - 6	142200	25596	167796	142200	7110	26876	176186
G.I. WATER TANKER								
7	G.I. WATER TANKER MOUNTED ON TWO WHEEL TRACTOR TRAILER CAPACITY 5000 LITER WITH 900x16 NEW TYRES. MODEL - 7	113200	20376	133576	113200	5660	21395	140255



8	G.I. WATER TANKER MOUNTED ON TWO WHEEL TRACTOR TRAILER CAPACITY 5500 LITER WITH NEW 900x20 TYRES. MODEL - 8	117600	21168	138768	117600	5880	22226	145706
9	G.I. WATER TANKER MOUNTED ON TWO WHEEL TRACTOR TRAILER CAPACITY 5500 LITER WITH 900x16 NEW TYRES. MODEL - 9	118800	21384	140184	118800	5940	22453	147193
10	G.I. WATER TANKER MOUNTED ON TWO WHEEL TRACTOR TRAILER CAPACITY 5500 LITER WITH 900x20 NEW TYRES. MODEL - 10	130100	23418	153518	130100	6505	24589	161194
11	G.I. WATER TANKER MOUNTED ON TWO WHEEL TRACTOR TRAILER CAPACITY 5000 LITER WITH FIRE FIGHTING PUMP AND 900x16 NEW TYRES. MODEL - 11	143200	25776	168976	143200	7160	27065	177425
12	G.I. WATER TANKER MOUNTED ON TWO WHEEL TRACTOR TRAILER CAPACITY 5000 LITER WITH FIRE FIGHTING PUMP AND 900x20 NEW TYRES. MODEL - 12	156600	28188	184788	156600	7830	29597	194027

प्रदाय से संबंधित अन्य नियम एवं शर्तें निम्नानुसार रहेंगी :-

- दरों की प्रभावशीलता** : उपरोक्त कय एवं विक्रय दरें समस्त कर (जी.एस.टी, ड्यूटी, अन्य व्यय), परिवहन/निरीक्षण शुल्क, सहित एफ.ओ.आर. डेस्टीनेशन (विकासखण्ड स्तर तक) पहुंचाकर प्रथम पत्र प्रसारण की दिनांक से आगामी 03 माह तक लागू रहेंगी।
- आदेश की प्रक्रिया** : जिला प्रबंधक प्रदायक/निर्माता कम्पनी के अनुशंसा के साथ प्राप्त मांग को निगम के क्षेत्रीय प्रबंधक को अग्रेषित करेंगे एवं क्षेत्रीय प्रबंधक द्वारा विभाग से राशि प्राप्ति की सुनिश्चितता करते हुए संबंधित प्रदायक/निर्माता कम्पनी के पक्ष में "ऑन-लाईन" रेट कांट्रेक्ट ऑफर डाक्यूमेंट की शर्तानुसार प्रदाय आदेश जारी करेंगे।
 - प्रदाय आदेश में सामग्री का विवरण, प्रदाय दर, प्रदाय शर्तें, प्रदाय स्थल की जानकारी एवं निगम के GSTN नम्बर आदि का स्पष्ट उल्लेख किया जावे।
 - प्रदाय आदेश में प्रदायगी की समयसीमा का उल्लेख किया जावे। जिला प्रबंधक यह सुनिश्चित करेंगे कि प्रदायक द्वारा आदेशित सामग्री का प्रदाय सही हालत एवं समयसीमा में किया जावे। विलम्ब की स्थिति में प्राप्तकर्ता विभाग की सहमति प्राप्त होने के उपरांत ही प्रदायगी स्वीकार की जावे।
 - क्षेत्रीय प्रबंधक द्वारा आदेश जारी करने के पूर्व यह अवश्य ध्यान रखा जावे कि जिला प्रबंधकों द्वारा जो मांग दी जा रही है वह निश्चित व्यवसाय के विरुद्ध है।
- सामग्री की प्रदायगी** - प्रदायगी क्षेत्रीय प्रबंधक द्वारा लिखित प्रदाय आदेश जारी करने के उपरांत प्रदायक/निर्माता कम्पनी द्वारा प्रदाय आदेश में दिये गये निर्देशों के अनुरूप की जावे।
 - प्रदायक द्वारा देयक पर निगम का GST NO. 23AACCM0330Q12M का उल्लेख किया जाना आवश्यक है। देयक में CGST एवं SGST की राशि का भी उल्लेख किया जावेगा। प्रदायक का उत्तरदायित्व है कि GST का भुगतान नियमानुसार समय से किया जावे व मासिक रिटर्न GSTR-1 में दर्शाया जावे। किसी प्रकार की विसंगति के कारण निगम को कोई हानि होती है तो तदनुसार हानि की राशि की कटौती प्रदायक/निर्माता कम्पनी के देयक से की जावेगी।
 - प्रदायक/निर्माता कम्पनी द्वारा आदेशित सामग्री के प्रदाय के उपरांत देयक तीन प्रतियों में भुगतान हेतु संबंधित जिला प्रबंधक को प्रस्तुत किया जावेगा। देयक के साथ जियो टैगिंग फोटोग्राफ, पावती/संतुष्टि प्रमाण पत्र, सेल लेटर एवं थर्डपार्टी गुणवत्ता रिपोर्ट प्रस्तुत की जानी होगी।
 - आदेशित सामग्री का प्रदाय करते समय प्रदाय की जा रही सामग्री का भौतिक निरीक्षण निगम के जिला प्रबंधक एवं संबंधित विभाग के सक्षम अधिकारी द्वारा किया जावेगा। तदोपरांत पावती एवं संतुष्टि प्रमाण पत्र संयुक्त हस्ताक्षर से जारी किये जावेंगे।

4. **प्राइज फार क्लॉस** – निगम के माध्यम से प्रसारित की जा रही विक्रय दरें किसी अन्य शासकीय संस्था/उपक्रम अथवा बाजार में कम्पनी की विक्रय दरों के समतुल्य है। यदि भविष्य में बाजार अथवा अन्य संस्था में विक्रय दरों का कम होना निगम के संज्ञान में आता है तो प्रदायकर्ता द्वारा निगम के साथ किये गये अनुबंध दिनांक से उक्त स्थिति के प्रमाणित होने तक प्रदाय की गयी समस्त सामग्री पर वही दर लागू मानते हुए अंतर की राशि की वसूली प्रदायक के लंबित देयकों से की जावेगी। साथ ही निगम प्रदायक के अनुबंध को निरस्त करने हेतु निगम स्वतंत्र रहेगा, जिसके लिए प्रदायक स्वयं उत्तरदायी रहेगा।
5. **सामग्री की गुणवत्ता** –
- (अ) निगम के माध्यम से प्रदाय की जाने वाली सामग्री की गुणवत्ता के लिए प्रदायक / निर्माता कम्पनी पूर्ण रूप से उत्तरदायी होंगे। निर्माता द्वारा जो सामग्री प्रदाय की जावेगी वह निगम द्वारा जारी आर.सी.ओ. में दिये गये स्पेसिफिकेशन, मापदण्ड अनुसार रहेगी। गुणवत्ता के संबंध में किसी भी स्तर पर शिकायत प्राप्त होने पर इसकी सूचना जिला प्रबंधक संबंधित प्रदायक को देते हुए शिकायत का निराकरण करावेंगे एवं की गयी कार्यवाही से क्षेत्रीय प्रबंधक को अवगत करावेंगे। यदि समयसीमा में शिकायत का निराकरण संबंधित प्रदायक/निर्माता कम्पनी द्वारा नहीं किया जाता है तो प्रदाय सामग्री में से विधिवत सैम्पल का परीक्षण किसी मान्यता प्राप्त शासकीय संस्था को गुणवत्ता की जांच के लिए भिजवाया जावे एवं क्षेत्रीय कार्यालय एवं निगम मुख्यालय को सूचित किया जावे, सामग्री की गुणवत्ता उचित मापदण्ड अनुसार नहीं होने पर संबंधित प्रदायक/निर्माता कम्पनी के विरुद्ध अनुबंध एवं आर.सी.ओ. की शर्तों अनुसार कार्यवाही की जा सके। निरीक्षण की फीस प्रदायक को वहन करनी होगी।
- (ब) सामग्री की गुणवत्ता का परीक्षण निगम द्वारा जारी आर.सी.ओ. में उल्लेखित अधिकृत थर्डपार्टी एजेन्सी द्वारा किया जावेगा। गुणवत्ता परीक्षण रिपोर्ट प्रदायक द्वारा देयक के साथ संलग्न की जावेगी, जिसमें क्षेत्रीय प्रबंधक द्वारा जारी आदेश की दिनांक एवं संख्या व अन्य पूर्ण विवरण रहेगा। बिना परीक्षण रिपोर्ट के भुगतान नहीं किया जावेगा। निर्माता यह सुनिश्चित करें कि निर्धारित थर्डपार्टी परीक्षण समय पर हो जावे इसके लिए वह स्वयं थर्डपार्टी को अग्रिम में सूचित करेंगे।
6. **भुगतान** – प्रदायक के देयक का भुगतान आदेशानुसार सामग्री प्राप्त होने के उपरांत संबंधित विभाग/क्रेता से विधिवत पावती, संतुष्टि प्रमाण पत्र, निगम को पूर्ण राशि प्राप्त होने पर **"भुगतान पश्चात् भुगतान"** की शर्त पर तथा थर्डपार्टी निरीक्षण रिपोर्ट प्राप्त होने पर निगम के संबंधित जिला प्रबंधक द्वारा किया जावेगा।
7. **तकनीकी मापदण्ड** : सामग्री के तकनीकी मापदण्ड मुख्यालय द्वारा WATER TANKER MOUNTED ON TWO WHEEL TRACTOR TRAILER हेतु जारी आनलाईन आर.सी.ओ. दिनांक 22.05.2026 में दिये गये हैं। आदेश के साथ तकनीकी मापदण्डों की प्रति भी संलग्न की जावे ताकि प्रदायक यह सुनिश्चित करे कि सामग्री इन्हीं तकनीकी मापदण्ड अनुसार प्रदाय हो सके। (निगम द्वारा जारी आर.सी.ओ. दिनांक 22.05.2026 एवं तकनीकी मापदण्ड निगम के वेबसाइट www.mpagro.org पर उपलब्ध हैं जिला प्रबंधक/क्षेत्रीय प्रबंधक उक्त आर.सी.ओ. एवं तकनीकी मापदण्डों की एक प्रति वेबसाइट से प्रिंट कर रिकार्ड में रखे ताकि प्रदायगी के समय सामग्री की गुणवत्ता का निरीक्षण किया जा सके)
8. **सेल लेटर** : जिला प्रबंधक वाटर टैंकर प्रदायगी में प्रत्येक वाटर टैंकर का ट्रांसपोर्ट विभाग द्वारा निर्धारित "सेल लेटर" निर्माता से प्राप्त किया जाकर संबंधित क्रेता विभाग को उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित करेंगे। टैंकर का ट्रांसपोर्ट विभाग में पंजीयन कराने की जिम्मेवारी क्रेता विभाग की रहेगी। निगम मात्र संबंधित प्रपत्र उपलब्ध करावेगा। निगम के क्षेत्रीय प्रबंधक अपने आदेश में सेल लेटर का स्पष्ट उल्लेख करें एवं आदेश की प्रति क्रेता विभाग को उपलब्ध करायें।
9. **अधिरूपित शास्ति** : In case the supplier does not produce the ordered material within the specified time limit penalty will be imposed as under :-

No.	WEEKS	Rate of penalty imposed
1	1 st to 2 nd week	0.25% per week
2	3 rd to 4th week	0.50% per week
3	in Case the supplier refuse to supply the ordered material	Cancelling the supply order and temination of Agreement and Black listing for 1-5 years.



10. **वारण्टी** : आर.सी.ओ. की कंडिका क्रमांक 14 अनुसार प्रदाय किये जाने वाले WATER TANKER MOUNTED ON TWO WHEEL TRACTOR TRAILER की वारण्टी अवधि 1 वर्ष रहेगी, का उल्लेख आदेश में आवश्यक रूप से किया जावे।

Warranty of Tyre Tube will be as per company rules. if any defect occur in the Tyre Tube within the Warrantee Period then it will be replaced by the Vender. Remolded Tyre will not be allowed at any cost .

11. **ट्रेड सार्टिफिकेट** : वाटर टैंकर प्रदायगी के पूर्व जिला प्रबंधक यह सुनिश्चित करेंगे कि प्रदायक/ निर्माता द्वारा ट्रेड सार्टिफिकेट की वैधता अवधि में सामग्री का प्रदाय किया गया है। जिला प्रबंधक/ क्षेत्रीय प्रबंधक प्रदायक से ट्रेड सार्टिफिकेट की प्रति प्राप्त करें। यदि प्रदायक/निर्माता द्वारा ट्रेड सार्टिफिकेट की वैधता अवधि समाप्ति के उपरांत वाटर टैंकर का प्रदाय किया जाता है तो जिला प्रबंधक को उक्त प्रदाय आदेश निरस्त करने का अधिकार होगा। ऐसी स्थिति में क्षतिपूर्ति के लिए निर्माता/प्रदायक पूर्ण रूप से उत्तरदायी है।
12. **दरों की एक मात्र मान्यता** : अनुमोदित दरें केवल निगम के माध्यम से प्रदायगी हेतु हैं, अन्य किसी विभाग द्वारा इन दरों पर व्यवसाय करने की स्थिति में निगम किसी भी प्रकार से उत्तरदायी नहीं होगा।
13. **अन्य नियम एवं शर्तें** : उपरोक्त के अतिरिक्त अन्य नियम एवं शर्तें मुख्यालय द्वारा WATER TANKER MOUNTED ON TWO WHEEL TRACTOR TRAILER 5000 लीटर, 5500 लीटर तथा 5000 लीटर फायर फायटर (MS/GI) के प्रदाय हेतु जारी ऑनलाईन आर.सी.ओ. दिनांक 22.05.2026 अनुसार रहेगी।

इस परिपत्र प्रसारण के जारी होने की दिनांक से मुख्यालय द्वारा WATER TANKER MOUNTED ON TWO WHEEL TRACTOR TRAILER 5000 लीटर, 5500 लीटर तथा 5000 लीटर फायर फायटर (MS/GI) हेतु उपरोक्त प्रदायक की पूर्व प्रसारित समस्त दरें निरस्त मानी जावेगी।

प्रतिलिपि :-

1115
23-3-26

1. आयुक्त, म.प्र.शासन, उद्यानिकी एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग की ओर सूचनार्थ।
2. कलेक्टर (समस्त) की ओर सूचनार्थ।
3. आयुक्त, आर्थिक एवं सांख्यिकी संचालनालय, भूतल - विन्ध्याचल भवन, भोपाल (म.प्र.)
4. संचालक कृषि अभियांत्रिकी, आफिस काम्पलेक्स, बी-ब्लॉक, गौतम नगर, भोपाल।
5. आयुक्त नगरीय प्रशासन एवं विकास, पालिका भवन, नियर 6 नम्बर बस स्टाप, शिवाजी नगर, भोपाल - 462016
6. निज सहायक मा. प्रबंध संचालक, मुख्यालय, भोपाल की ओर सूचनार्थ।
7. महाप्रबंधक (वित्त), मुख्यालय, भोपाल की ओर सूचनार्थ।
8. **M/S KPL EQUIPMENTS PVT. LTD. - OFFICE ADDRESS - PLOT NO - 20 AKVN ACHARRPUR INTHKHEDI BHOPAL**



प्रबंधक (विपणन)
23/3/26

प्रबंधक (विपणन)
23/3/26



M.P. STATE AGRO INDUSTRIES DEVELOPMENT CORPORATION LTD.
PANCHANAN, 3RD FLOOR, MALVIYA NAGAR, BHOPAL-462003
☎ 0755- 2551652, 2551756 Fax - 0755 2557305 email - mpagrohbpl@gmail.com
website : www.mpstateagro.nic.in - CIN No. U01119MP1969SGC001055

क्रमांक : मुख्या/विपणन/वाटर टैंकर/2026-27/ 1116

दिनांक : 23.07.2026

प्रति,

जिला प्रबंधक (समस्त),
क्षेत्रीय प्रबंधक (समस्त),

विषय : WATER TANKER MOUNTED ON TWO WHEEL TRACTOR TRAILER (MS/GI) की दरों के प्रसारण के संबंध में।

संदर्भ : मुख्यालय द्वारा WATER TANKER MOUNTED ON TWO WHEEL TRACTOR TRAILER (MS/GI) हेतु जारी आर.सी.ओ. दिनांक 22.05.2026

निगम के माध्यम से WATER TANKER MOUNTED ON TWO WHEEL TRACTOR TRAILER (5000 लीटर, 5500 लीटर तथा 5000 लीटर फायर फायटर - MS/GI) हेतु "ऑन-लाईन" रेट कॉन्ट्रैक्ट ऑफर आमंत्रित किया गया था, आपर में प्राप्त न्यूनतम एल-1 दरों के आधार पर समिति द्वारा की गयी अनुशंसा अनुसार निर्माताओं से सहमति प्राप्त कर अनुबंध संपादित किया गया है। अनुबंधित प्रदायक का विवरण एवं निगम की क़य-विक्रय दरें FOR DESTINATION (प्रदाय स्थल तक पहुंचाकर) लोडिंग एवं अनलोडिंग सहित निम्नानुसार रहेंगी :-

M/S MAHALAXMI INDUSTRIES - OFFICE ADD - KANJIYA ROAD KHIMLASA KHURAI DISTT -SAGAR 470118 CONTECT POESON-NARAYAN SINGH MO - 9981471295								
S.N.	NAME OF ITEM	PURCHASE PRICE			SELLING PRICE			
		BASIC PRICE	GST @ 18% ON (A)	TOTAL PURCHASE PRICE (A+B)	BASIC PRICE	CORPORATION MARGIN @ 5% ON BASIC	GST @ 18% ON (D+ E)	FINAL SALLING PRICE (D+E+F)
M.S. WATER TANKER		A	B	C	D	E	F	G
1	M.S. WATER TANKER MOUNTED ON TWO WHEEL TRACTOR TRAILER CAPACITY 5000 LITER WITH 900x16 NEW TYRES. MODEL - 1	101700	18306	120006	101700	5085	19221	126006
2	M.S. WATER TANKER MOUNTED ON TWO WHEEL TRACTOR TRAILER CAPACITY 5000 LITER WITH NEW 900x20 TYRES. MODEL - 2	104131	18744	122875	104131	5207	19681	129018
3	M.S. WATER TANKER MOUNTED ON TWO WHEEL TRACTOR TRAILER CAPACITY 5500 LITER WITH 900x16 NEW TYRES. MODEL - 3	103150	18567	121717	103150	5158	19495	127803
4	M.S. WATER TANKER MOUNTED ON TWO WHEEL TRACTOR TRAILER CAPACITY 5500 LITER WITH 900x20 NEW TYRES. MODEL - 4	101400	18252	119652	101400	5070	19165	125635
5	M.S. WATER TANKER MOUNTED ON TWO WHEEL TRACTOR TRAILER CAPACITY 5000 LITER WITH FIRE FIGHTING PUMP AND 900x16 NEW TYRES. MODEL - 5	135000	24300	159300	135000	6750	25515	167265
6	M.S. WATER TANKER MOUNTED ON TWO WHEEL TRACTOR TRAILER CAPACITY 5000 LITER WITH FIRE FIGHTING PUMP AND 900x20 NEW TYRES. MODEL - 6	142200	25596	167796	142200	7110	26876	176186
G.I. WATER TANKER								
7	G.I. WATER TANKER MOUNTED ON TWO WHEEL TRACTOR TRAILER CAPACITY 5000 LITER WITH 900x16 NEW TYRES. MODEL - 7	113200	20376	133576	113200	5660	21395	140255



8	G.I. WATER TANKER MOUNTED ON TWO WHEEL TRACTOR TRAILER CAPACITY 5000 LITER WITH NEW 900x20 TYRES. MODEL - 8	117600	21168	138768	117600	5880	22226	145706
9	G.I. WATER TANKER MOUNTED ON TWO WHEEL TRACTOR TRAILER CAPACITY 5500 LITER WITH 900x16 NEW TYRES. MODEL - 9	118800	21384	140184	118800	5940	22453	147193
10	G.I. WATER TANKER MOUNTED ON TWO WHEEL TRACTOR TRAILER CAPACITY 5500 LITER WITH 900x20 NEW TYRES. MODEL - 10	130100	23418	153518	130100	6505	24589	161194
11	G.I. WATER TANKER MOUNTED ON TWO WHEEL TRACTOR TRAILER CAPACITY 5000 LITER WITH FIRE FIGHTING PUMP AND 900x16 NEW TYRES. MODEL - 11	143200	25776	168976	143200	7160	27065	177425
12	G.I. WATER TANKER MOUNTED ON TWO WHEEL TRACTOR TRAILER CAPACITY 5000 LITER WITH FIRE FIGHTING PUMP AND 900x20 NEW TYRES. MODEL - 12	156600	28188	184788	156600	7830	29597	194027

प्रदाय से संबंधित अन्य नियम एवं शर्तें निम्नानुसार रहेंगी :-

- दरों की प्रभावशीलता** : उपरोक्त क्रय एवं विक्रय दरें समस्त कर (जी.एस.टी, इयूटी, अन्य व्यय), परिवहन/निरीक्षण शुल्क, सहित एफ.ओ.आर. डेस्टीनेशन (विकासखण्ड स्तर तक) पहुंचाकर प्रथम पत्र प्रसारण की दिनांक से आगामी 03 माह तक लागू रहेंगी।
- आदेश की प्रक्रिया** : जिला प्रबंधक प्रदायक/निर्माता कम्पनी के अनुशंसा के साथ प्राप्त मांग को निगम के क्षेत्रीय प्रबंधक को अग्रेषित करेंगे एवं क्षेत्रीय प्रबंधक द्वारा विभाग से राशि प्राप्ति की सुनिश्चितता करते हुए संबंधित प्रदायक/निर्माता कम्पनी के पक्ष में "ऑन-लाईन" रेट कांट्रैक्ट ऑफर डाक्यूमेंट की शर्तानुसार प्रदाय आदेश जारी करेंगे।
 - प्रदाय आदेश में सामग्री का विवरण, प्रदाय दर, प्रदाय शर्तें, प्रदाय स्थल की जानकारी एवं निगम के GSTIN नम्बर आदि का स्पष्ट उल्लेख किया जावे।
 - प्रदाय आदेश में प्रदायगी की समयसीमा का उल्लेख किया जावे। जिला प्रबंधक यह सुनिश्चित करेंगे कि प्रदायक द्वारा आदेशित सामग्री का प्रदाय सही हालत एवं समयसीमा में किया जावे। विलम्ब की स्थिति में प्राप्तकर्ता विभाग की सहमति प्राप्त होने के उपरांत ही प्रदायगी स्वीकार की जावे।
 - क्षेत्रीय प्रबंधक द्वारा आदेश जारी करने के पूर्व यह अवश्य ध्यान रखा जावे कि जिला प्रबंधकों द्वारा जो मांग दी जा रही है वह निश्चित व्यवसाय के विरुद्ध है।
- सामग्री की प्रदायगी** - प्रदायगी क्षेत्रीय प्रबंधक द्वारा लिखित प्रदाय आदेश जारी करने के उपरांत प्रदायक/निर्माता कम्पनी द्वारा प्रदाय आदेश में दिये गये निर्देशों के अनुरूप की जावे।
 - प्रदायक द्वारा देयक पर निगम का GST NO. 23AACCM0330Q1ZM का उल्लेख किया जाना आवश्यक है। देयक में CGST एवं SGST की राशि का भी उल्लेख किया जावेगा। प्रदायक का उत्तरदायित्व है कि GST का भुगतान नियमानुसार समय से किया जावे व मासिक रिटर्न GSTR-1 में दर्शाया जावे। किसी प्रकार की विसंगति के कारण निगम को कोई हानि होती है तो तदानुसार हानि की राशि की कटौती प्रदायक/निर्माता कम्पनी के देयक से की जावेगी।
 - प्रदायक/निर्माता कम्पनी द्वारा आदेशित सामग्री के प्रदाय के उपरांत देयक तीन प्रतियों में भुगतान हेतु संबंधित जिला प्रबंधक को प्रस्तुत किया जावेगा। देयक के साथ जियो टैगिंग फोटोग्राफ, पावती/संतुष्टि प्रमाण पत्र, सेल लेटर एवं थर्डपार्टी गुणवत्ता रिपोर्ट प्रस्तुत की जानी होगी।
 - आदेशित सामग्री का प्रदाय करते समय प्रदाय की जा रही सामग्री का भौतिक निरीक्षण निगम के जिला प्रबंधक एवं संबंधित विभाग के सक्षम अधिकारी द्वारा किया जावेगा। तदोपरांत पावती एवं संतुष्टि प्रमाण पत्र संयुक्त हस्ताक्षर से जारी किये जावेंगे।



4. **प्राइज़ फार क्लॉस** - निगम के माध्यम से प्रसारित की जा रही विक्रय दरें किसी अन्य शासकीय संस्था/उपक्रम अथवा बाजार में कम्पनी की विक्रय दरों के समतुल्य है। यदि भविष्य में बाजार अथवा अन्य संस्था में विक्रय दरों का कम होना निगम के संज्ञान में आता है तो प्रदायकर्ता द्वारा निगम के साथ किये गये अनुबंध दिनांक से उक्त स्थिति के प्रमाणित होने तक प्रदाय की गयी समस्त सामग्री पर वही दर लागू मानते हुए अंतर की राशि की वसूली प्रदायक के लंबित देयकों से की जावेगी। साथ ही निगम प्रदायक के अनुबंध को निरस्त करने हेतु निगम स्वतंत्र रहेगा, जिसके लिए प्रदायक स्वयं उत्तरदायी रहेगा।
5. **सामग्री की गुणवत्ता** -
- (अ) निगम के माध्यम से प्रदाय की जाने वाली सामग्री की गुणवत्ता के लिए प्रदायक / निर्माता कम्पनी पूर्ण रूप से उत्तरदायी होंगे। निर्माता द्वारा जो सामग्री प्रदाय की जावेगी वह निगम द्वारा जारी आर.सी.ओ. में दिये गये स्पेसिफिकेशन, मापदण्ड अनुसार रहेगी। गुणवत्ता के संबंध में किसी भी स्तर पर शिकायत प्राप्त होने पर इसकी सूचना जिला प्रबंधक संबंधित प्रदायक को देते हुए शिकायत का निराकरण करावेंगे एवं की गयी कार्यवाही से क्षेत्रीय प्रबंधक को अवगत करावेंगे। यदि समयसीमा में शिकायत का निराकरण संबंधित प्रदायक/निर्माता कम्पनी द्वारा नहीं किया जाता है तो प्रदाय सामग्री में से विधिवत सैम्पल का परीक्षण किसी मान्यता प्राप्त शासकीय संस्था को गुणवत्ता की जांच के लिए भिजवाया जावे एवं क्षेत्रीय कार्यालय एवं निगम मुख्यालय को सूचित किया जावे, सामग्री की गुणवत्ता उचित मापदण्ड अनुसार नहीं होने पर संबंधित प्रदायक/निर्माता कम्पनी के विरुद्ध अनुबंध एवं आर.सी.ओ. की शर्तों अनुसार कार्यवाही की जा सके। निरीक्षण की फीस प्रदायक को वहन करनी होगी।
- (ब) सामग्री की गुणवत्ता का परीक्षण निगम द्वारा जारी आर.सी.ओ. में उल्लेखित अधिकृत थर्डपार्टी एजेन्सी द्वारा किया जावेगा। गुणवत्ता परीक्षण रिपोर्ट प्रदायक द्वारा देयक के साथ संलग्न की जावेगी, जिसमें क्षेत्रीय प्रबंधक द्वारा जारी आदेश की दिनांक एवं संख्या व अन्य पूर्ण विवरण रहेगा। बिना परीक्षण रिपोर्ट के भुगतान नहीं किया जावेगा। निर्माता यह सुनिश्चित करें कि निर्धारित थर्डपार्टी परीक्षण समय पर हो जावे इसके लिए वह स्वयं थर्डपार्टी को अग्रिम में सूचित करेंगे।
6. **भुगतान** - प्रदायक के देयक का भुगतान आदेशानुसार सामग्री प्राप्त होने के उपरांत संबंधित विभाग/क्रेता से विधिवत पावती, संतुष्टि प्रमाण पत्र, निगम को पूर्ण राशि प्राप्त होने पर **"भुगतान पश्चात् भुगतान"** की शर्त पर तथा थर्डपार्टी निरीक्षण रिपोर्ट प्राप्त होने पर निगम के संबंधित जिला प्रबंधक द्वारा किया जावेगा।
7. **तकनीकी मापदण्ड** : सामग्री के तकनीकी मापदण्ड मुख्यालय द्वारा WATER TANKER MOUNTED ON TWO WHEEL TRACTOR TRAILER हेतु जारी आनलाईन आर.सी.ओ. दिनांक 22.05.2026 में दिये गये हैं। आदेश के साथ तकनीकी मापदण्डों की प्रति भी संलग्न की जावे ताकि प्रदायक यह सुनिश्चित करे कि सामग्री इन्हीं तकनीकी मापदण्ड अनुसार प्रदाय हो सके। (निगम द्वारा जारी आर.सी.ओ. दिनांक 22.05.2026 एवं तकनीकी मापदण्ड निगम के वेबसाइट www.mpagro.org पर उपलब्ध हैं जिला प्रबंधक/क्षेत्रीय प्रबंधक उक्त आर.सी.ओ. एवं तकनीकी मापदण्डों की एक प्रति वेबसाइट से प्रिंट कर रिकार्ड में रखे ताकि प्रदायगी के समय सामग्री की गुणवत्ता का निरीक्षण किया जा सके)
8. **सेल लेटर** : जिला प्रबंधक वाटर टैंकर प्रदायगी में प्रत्येक वाटर टैंकर का ट्रांसपोर्ट विभाग द्वारा निर्धारित "सेल लेटर" निर्माता से प्राप्त किया जाकर संबंधित क्रेता विभाग को उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित करेंगे। टैंकर का ट्रांसपोर्ट विभाग में पंजीयन कराने की जिम्मेवारी क्रेता विभाग की रहेगी। निगम मात्र संबंधित प्रपत्र उपलब्ध करावेगा। निगम के क्षेत्रीय प्रबंधक अपने आदेश में सेल लेटर का स्पष्ट उल्लेख करें एवं आदेश की प्रति क्रेता विभाग को उपलब्ध करावें।
9. **अधिरूपित शास्ति** : In case the supplier does not produce the ordered material within the specified time limit penalty will be imposed as under :-

No.	WEEKS	Rate of penalty imposed
1	1 st to 2 nd week	0.25% per week
2	3 rd to 4th week	0.50% per week
3	in Case the supplier refuse to supply the ordered material	Cancelling the supply order and temination of Agreement and Black listing for 1-5 years.



10. **वारण्टी** : आर.सी.ओ. की कंडिका क्रमांक 14 अनुसार प्रदाय किये जाने वाले WATER TANKER MOUNTED ON TWO WHEEL TRACTOR TRAILER की वारण्टी अवधि 1 वर्ष रहेगी, का उल्लेख आदेश में आवश्यक रूप से किया जावे।

Warranty of Tyre Tube will be as per company rules. if any defect occur in the Tyre Tube within the Warrantee Period then it will be replaced by the Vender. Remolded Tyre will not be allowed at any cost .

11. **ट्रेड सार्टिफिकेट** : वाटर टैंकर प्रदायगी के पूर्व जिला प्रबंधक यह सुनिश्चित करेंगे कि प्रदायक/ निर्माता द्वारा ट्रेड सार्टिफिकेट की वैधता अवधि में सामग्री का प्रदाय किया गया है। जिला प्रबंधक/ क्षेत्रीय प्रबंधक प्रदायक से ट्रेड सार्टिफिकेट की प्रति प्राप्त करें। यदि प्रदायक/निर्माता द्वारा ट्रेड सार्टिफिकेट की वैधता अवधि समाप्ति के उपरांत वाटर टैंकर का प्रदाय किया जाता है तो जिला प्रबंधक को उक्त प्रदाय आदेश निरस्त करने का अधिकार होगा। ऐसी स्थिति में क्षतिपूर्ति के लिए निर्माता/प्रदायक पूर्ण रूप से उत्तरदायी है।
12. **दरों की एक मात्र मान्यता** : अनुमोदित दरें केवल निगम के माध्यम से प्रदायगी हेतु हैं, अन्य किसी विभाग द्वारा इन दरों पर व्यवसाय करने की स्थिति में निगम किसी भी प्रकार से उत्तरदायी नहीं होगा।
13. **अन्य नियम एवं शर्तें** : उपरोक्त के अतिरिक्त अन्य नियम एवं शर्तें मुख्यालय द्वारा WATER TANKER MOUNTED ON TWO WHEEL TRACTOR TRAILER 5000 लीटर, 5500 लीटर तथा 5000 लीटर फायर फायटर (MS/GI) के प्रदाय हेतु जारी ऑनलाईन आर.सी.ओ. दिनांक 22.05.2026 अनुसार रहेगी।

इस परिपत्र प्रसारण के जारी होने की दिनांक से मुख्यालय द्वारा WATER TANKER MOUNTED ON TWO WHEEL TRACTOR TRAILER 5000 लीटर, 5500 लीटर तथा 5000 लीटर फायर फायटर (MS/GI) हेतु उपरोक्त प्रदायक की पूर्व प्रसारित समस्त दरें निरस्त मानी जावेगी।

प्रतिलिपि :-

1117
23-7-26

1. आयुक्त, म.प्र.शासन, उद्यानिकी एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग की ओर सूचनार्थ।
2. कलेक्टर (समस्त) की ओर सूचनार्थ।
3. आयुक्त, आर्थिक एवं सांख्यिकी संचालनालय, भूतल - विन्ध्याचल भवन, भोपाल (म.प्र.)
4. संचालक कृषि अभियांत्रिकी, आफिस काम्पलेक्स, बी-ब्लॉक, गौतम नगर, भोपाल।
5. आयुक्त नगरीय प्रशासन एवं विकास, पालिका भवन, नियर 6 नम्बर बस स्टाप, शिवाजी नगर, भोपाल - 462016
6. निज सहायक मा. प्रबंध संचालक, मुख्यालय, भोपाल की ओर सूचनार्थ।
7. महाप्रबंधक (वित्त), मुख्यालय, भोपाल की ओर सूचनार्थ।
8. **M/S MAHALAXMI INDUSTRIES - OFFICE ADD - KANJIYA ROAD KHIMLASA KHURAI DISTT -SAGAR 470118**



प्रबंधक (विपणन)
23/7/26



M.P. STATE AGRO INDUSTRIES DEVELOPMENT CORPORATION LTD.
PANCHANAN, 3RD FLOOR, MALVIYA NAGAR, BHOPAL-462003
☎ 0755- 2551652, 2551756 Fax - 0755 2557305 email - mpagrohbpl@gmail.com
website : www.mpstateagro.nic.in - CIN No. U01119MP1969SGC001055

क्रमांक : मुख्या/विपणन/वाटर टैंकर/2026-27/ 1118

दिनांक : 23.07.2026

प्रति,

जिला प्रबंधक (समस्त),
क्षेत्रीय प्रबंधक (समस्त),

विषय : WATER TANKER MOUNTED ON TWO WHEEL TRACTOR TRAILER (MS/GI) की दरों के प्रसारण के संबंध में।

संदर्भ : मुख्यालय द्वारा WATER TANKER MOUNTED ON TWO WHEEL TRACTOR TRAILER (MS/GI) हेतु जारी आर.सी.ओ. दिनांक 22.05.2026

निगम के माध्यम से WATER TANKER MOUNTED ON TWO WHEEL TRACTOR TRAILER (5000 लीटर, 5500 लीटर तथा 5000 लीटर फायर फायटर - MS/GI) हेतु "ऑन-लाईन" रेट कॉन्ट्रैक्ट ऑफर आमंत्रित किया गया था, आफर में प्राप्त न्यूनतम एल-1 दरों के आधार पर समिति द्वारा की गयी अनुशंसा अनुसार निर्माताओं से सहमति प्राप्त कर अनुबंध संपादित किया गया है। अनुबंधित प्रदायक का विवरण एवं निगम की कय-विकय दरें FOR DESTINATION (प्रदाय स्थल तक पहुंचाकर) लोडिंग एवं अनलोडिंग सहित निम्नानुसार रहेंगी :-

M/S MAHALAXMI SOLAR ENTERPRISES - KANJIYA LAHATWAS ROAD, VILLAGE POST KHIMLASA TEHSIL KHURAI DISTT -SAGAR 470118 - GULAB SINGH MO - 8120241122								
S.N.	NAME OF ITEM	PURCHASE PRICE			SELLING PRICE			
		BASIC PRICE	GST @ 18% ON (A)	TOTAL PURCHA SE PRICE (A+B)	BASIC PRICE	CORPOR ATION MARGIN @ 5% ON BASIC	GST @ 18% ON (D+ E)	FINAL SALLING PRICE (D+E+F)
M.S. WATER TANKER		A	B	C	D	E	F	G
1	M.S. WATER TANKER MOUNTED ON TWO WHEEL TRACTOR TRAILER CAPACITY 5000 LITER WITH 900x16 NEW TYRES. MODEL - 1	101700	18306	120006	101700	5085	19221	126006
2	M.S. WATER TANKER MOUNTED ON TWO WHEEL TRACTOR TRAILER CAPACITY 5000 LITER WITH NEW 900x20 TYRES. MODEL - 2	104131	18744	122875	104131	5207	19681	129018
3	M.S. WATER TANKER MOUNTED ON TWO WHEEL TRACTOR TRAILER CAPACITY 5500 LITER WITH 900x16 NEW TYRES. MODEL - 3	103150	18567	121717	103150	5158	19495	127803
4	M.S. WATER TANKER MOUNTED ON TWO WHEEL TRACTOR TRAILER CAPACITY 5500 LITER WITH 900x20 NEW TYRES. MODEL - 4	101400	18252	119652	101400	5070	19165	125635
5	M.S. WATER TANKER MOUNTED ON TWO WHEEL TRACTOR TRAILER CAPACITY 5000 LITER WITH FIRE FIGHTING PUMP AND 900x16 NEW TYRES. MODEL - 5	135000	24300	159300	135000	6750	25515	167265
6	M.S. WATER TANKER MOUNTED ON TWO WHEEL TRACTOR TRAILER CAPACITY 5000 LITER WITH FIRE FIGHTING PUMP AND 900x20 NEW TYRES. MODEL - 6	142200	25596	167796	142200	7110	26876	176186
G.I. WATER TANKER								
7	G.I. WATER TANKER MOUNTED ON TWO WHEEL TRACTOR TRAILER CAPACITY 5000 LITER WITH 900x16 NEW TYRES. MODEL - 7	113200	20376	133576	113200	5660	21395	140255



8	G.I. WATER TANKER MOUNTED ON TWO WHEEL TRACTOR TRAILER CAPACITY 5000 LITER WITH NEW 900x20 TYRES. MODEL - 8	117600	21168	138768	117600	5880	22226	145706
9	G.I. WATER TANKER MOUNTED ON TWO WHEEL TRACTOR TRAILER CAPACITY 5500 LITER WITH 900x16 NEW TYRES. MODEL - 9	118800	21384	140184	118800	5940	22453	147193
10	G.I. WATER TANKER MOUNTED ON TWO WHEEL TRACTOR TRAILER CAPACITY 5500 LITER WITH 900x20 NEW TYRES. MODEL - 10	130100	23418	153518	130100	6505	24589	161194
11	G.I. WATER TANKER MOUNTED ON TWO WHEEL TRACTOR TRAILER CAPACITY 5000 LITER WITH FIRE FIGHTING PUMP AND 900x16 NEW TYRES. MODEL - 11	143200	25776	168976	143200	7160	27065	177425
12	G.I. WATER TANKER MOUNTED ON TWO WHEEL TRACTOR TRAILER CAPACITY 5000 LITER WITH FIRE FIGHTING PUMP AND 900x20 NEW TYRES. MODEL - 12	156600	28188	184788	156600	7830	29597	194027

प्रदाय से संबंधित अन्य नियम एवं शर्तें निम्नानुसार रहेंगी :-

- दरों की प्रभावशीलता** : उपरोक्त क्रय एवं विक्रय दरें समस्त कर (जी.एस.टी, ड्यूटी, अन्य व्यय), परिवहन/निरीक्षण शुल्क, सहित एफ.ओ.आर. डेस्टीनेशन (विकासखण्ड स्तर तक) पहुंचाकर प्रथम पत्र प्रसारण की दिनांक से आगामी 03 माह तक लागू रहेंगी।
- आदेश की प्रक्रिया** : जिला प्रबंधक प्रदायक/निर्माता कम्पनी के अनुशंसा के साथ प्राप्त मांग को निगम के क्षेत्रीय प्रबंधक को अग्रेषित करेंगे एवं क्षेत्रीय प्रबंधक द्वारा विभाग से राशि प्राप्ति की सुनिश्चितता करते हुए संबंधित प्रदायक/निर्माता कम्पनी के पक्ष में "ऑन-लाईन" रेट कांट्रैक्ट ऑफर डाक्यूमेंट की शर्तानुसार प्रदाय आदेश जारी करेंगे।
 - प्रदाय आदेश में सामग्री का विवरण, प्रदाय दर, प्रदाय शर्तें, प्रदाय स्थल की जानकारी एवं निगम के GSTN नम्बर आदि का स्पष्ट उल्लेख किया जावे।
 - प्रदाय आदेश में प्रदायगी की समयसीमा का उल्लेख किया जावे। जिला प्रबंधक यह सुनिश्चित करेंगे कि प्रदायक द्वारा आदेशित सामग्री का प्रदाय सही हालत एवं समयसीमा में किया जावे। विलम्ब की स्थिति में प्राप्तकर्ता विभाग की सहमति प्राप्त होने के उपरांत ही प्रदायगी स्वीकार की जावे।
 - क्षेत्रीय प्रबंधक द्वारा आदेश जारी करने के पूर्व यह अवश्य ध्यान रखा जावे कि जिला प्रबंधकों द्वारा जो मांग दी जा रही है वह निश्चित व्यवसाय के विरुद्ध है।
- सामग्री की प्रदायगी** - प्रदायगी क्षेत्रीय प्रबंधक द्वारा लिखित प्रदाय आदेश जारी करने के उपरांत प्रदायक/निर्माता कम्पनी द्वारा प्रदाय आदेश में दिये गये निर्देशों के अनुरूप की जावे।
 - प्रदायक द्वारा देयक पर निगम का GST NO. 23AACCM0330Q1ZM का उल्लेख किया जाना आवश्यक है। देयक में CGST एवं SGST की राशि का भी उल्लेख किया जावेगा। प्रदायक का उत्तरदायित्व है कि GST का भुगतान नियमानुसार समय से किया जावे व मासिक रिटर्न GSTR-1 में दर्शाया जावे। किसी प्रकार की विसंगति के कारण निगम को कोई हानि होती है तो तदनुसार हानि की राशि की कटौती प्रदायक/निर्माता कम्पनी के देयक से की जावेगी।
 - प्रदायक/निर्माता कम्पनी द्वारा आदेशित सामग्री के प्रदाय के उपरांत देयक तीन प्रतियों में भुगतान हेतु संबंधित जिला प्रबंधक को प्रस्तुत किया जावेगा। देयक के साथ जियो टैगिंग फोटोग्राफ, पावती/संतुष्टि प्रमाण पत्र, सेल लेटर एवं थर्डपार्टी गुणवत्ता रिपोर्ट प्रस्तुत की जानी होगी।
 - आदेशित सामग्री का प्रदाय करते समय प्रदाय की जा रही सामग्री का भौतिक निरीक्षण निगम के जिला प्रबंधक एवं संबंधित विभाग के सक्षम अधिकारी द्वारा किया जावेगा। तदोपरांत पावती एवं संतुष्टि प्रमाण पत्र संयुक्त हस्ताक्षर से जारी किये जावेंगे।



4. **प्राइज फार क्लॉस** - निगम के माध्यम से प्रसारित की जा रही विक्रय दरें किसी अन्य शासकीय संस्था/उपक्रम अथवा बाजार में कम्पनी की विक्रय दरों के समतुल्य है। यदि भविष्य में बाजार अथवा अन्य संस्था में विक्रय दरों का कम होना निगम के संज्ञान में आता है तो प्रदायकर्ता द्वारा निगम के साथ किये गये अनुबंध दिनांक से उक्त स्थिति के प्रमाणित होने तक प्रदाय की गयी समस्त सामग्री पर वही दर लागू मानते हुए अंतर की राशि की वसूली प्रदायक के लंबित देयकों से की जावेगी। साथ ही निगम प्रदायक के अनुबंध को निरस्त करने हेतु निगम स्वतंत्र रहेगा, जिसके लिए प्रदायक स्वयं उत्तरदायी रहेगा।
5. **सामग्री की गुणवत्ता** -
- (अ) निगम के माध्यम से प्रदाय की जाने वाली सामग्री की गुणवत्ता के लिए प्रदायक / निर्माता कम्पनी पूर्ण रूप से उत्तरदायी होंगे। निर्माता द्वारा जो सामग्री प्रदाय की जावेगी वह निगम द्वारा जारी आर.सी.ओ. में दिये गये स्पेसिफिकेशन, मापदण्ड अनुसार रहेगी। गुणवत्ता के संबंध में किसी भी स्तर पर शिकायत प्राप्त होने पर इसकी सूचना जिला प्रबंधक संबंधित प्रदायक को देते हुए शिकायत का निराकरण करायेंगे एवं की गयी कार्यवाही से क्षेत्रीय प्रबंधक को अवगत करायेंगे। यदि समयसीमा में शिकायत का निराकरण संबंधित प्रदायक/निर्माता कम्पनी द्वारा नहीं किया जाता है तो प्रदाय सामग्री में से विधिवत सैम्पल का परीक्षण किसी मान्यता प्राप्त शासकीय संस्था को गुणवत्ता की जांच के लिए भिजवाया जावे एवं क्षेत्रीय कार्यालय एवं निगम मुख्यालय को सूचित किया जावे, सामग्री की गुणवत्ता उचित मापदण्ड अनुसार नहीं होने पर संबंधित प्रदायक/निर्माता कम्पनी के विरुद्ध अनुबंध एवं आर.सी.ओ. की शर्तों अनुसार कार्यवाही की जा सके। निरीक्षण की फीस प्रदायक को वहन करनी होगी।
- (ब) सामग्री की गुणवत्ता का परीक्षण निगम द्वारा जारी आर.सी.ओ. में उल्लेखित अधिकृत थर्डपार्टी एजेन्सी द्वारा किया जावेगा। गुणवत्ता परीक्षण रिपोर्ट प्रदायक द्वारा देयक के साथ संलग्न की जावेगी, जिसमें क्षेत्रीय प्रबंधक द्वारा जारी आदेश की दिनांक एवं संख्या व अन्य पूर्ण विवरण रहेगा। बिना परीक्षण रिपोर्ट के भुगतान नहीं किया जावेगा। निर्माता यह सुनिश्चित करें कि निर्धारित थर्डपार्टी परीक्षण समय पर हो जावे इसके लिए वह स्वयं थर्डपार्टी को अग्रिम में सूचित करेंगे।
6. **भुगतान** - प्रदायक के देयक का भुगतान आदेशानुसार सामग्री प्राप्त होने के उपरांत संबंधित विभाग/केता से विधिवत पावती, संतुष्टि प्रमाण पत्र, निगम को पूर्ण राशि प्राप्त होने पर **"भुगतान पश्चात् भुगतान"** की शर्त पर तथा थर्डपार्टी निरीक्षण रिपोर्ट प्राप्त होने पर निगम के संबंधित जिला प्रबंधक द्वारा किया जावेगा।
7. **तकनीकी मापदण्ड** : सामग्री के तकनीकी मापदण्ड मुख्यालय द्वारा WATER TANKER MOUNTED ON TWO WHEEL TRACTOR TRAILER हेतु जारी आनलाईन आर.सी.ओ. दिनांक 22.05.2026 में दिये गये हैं। आदेश के साथ तकनीकी मापदण्डों की प्रति भी संलग्न की जावे ताकि प्रदायक यह सुनिश्चित करे कि सामग्री इन्हीं तकनीकी मापदण्ड अनुसार प्रदाय हो सके। (निगम द्वारा जारी आर.सी.ओ. दिनांक 22.05.2026 एवं तकनीकी मापदण्ड निगम के वेबसाइट www.mpagro.org पर उपलब्ध हैं जिला प्रबंधक/क्षेत्रीय प्रबंधक उक्त आर.सी.ओ. एवं तकनीकी मापदण्डों की एक प्रति वेबसाइट से प्रिंट कर रिकार्ड में रखे ताकि प्रदायगी के समय सामग्री की गुणवत्ता का निरीक्षण किया जा सके)
8. **सेल लेटर** : जिला प्रबंधक वाटर टैंकर प्रदायगी में प्रत्येक वाटर टैंकर का ट्रांसपोर्ट विभाग द्वारा निर्धारित "सेल लेटर" निर्माता से प्राप्त किया जाकर संबंधित केता विभाग को उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित करेंगे। टैंकर का ट्रांसपोर्ट विभाग में पंजीयन कराने की जिम्मेवारी केता विभाग की रहेगी। निगम मात्र संबंधित प्रपत्र उपलब्ध करावेगा। निगम के क्षेत्रीय प्रबंधक अपने आदेश में सेल लेटर का स्पष्ट उल्लेख करें एवं आदेश की प्रति केता विभाग को उपलब्ध करायें।
9. **अधिरूपित शास्ति** : In case the supplier does not produce the ordered material within the specified time limit penalty will be imposed as under :-

No.	WEEKS	Rate of penalty imposed
1	1 st to 2 nd week	0.25% per week
2	3 rd to 4th week	0.50% per week
3	in Case the supplier refuse to supply the ordered material	Cancelling the supply order and temination of Agreement and Black listing for 1-5 years.



10. **वारण्टी** : आर.सी.ओ. की कंडिका क्रमांक 14 अनुसार प्रदाय किये जाने वाले WATER TANKER MOUNTED ON TWO WHEEL TRACTOR TRAILER की वारण्टी अवधि 1 वर्ष रहेगी, का उल्लेख आदेश में आवश्यक रूप से किया जावे।

Warranty of Tyre Tube will be as per company rules. if any defect occur in the Tyre Tube within the Warrantee Period then it will be replaced by the Vender. Remolded Tyre will not be allowed at any cost .

11. **ट्रेड सर्टिफिकेट** : वाटर टैंकर प्रदायगी के पूर्व जिला प्रबंधक यह सुनिश्चित करेंगे कि प्रदायक/ निर्माता द्वारा ट्रेड सर्टिफिकेट की वैधता अवधि में सामग्री का प्रदाय किया गया है। जिला प्रबंधक/ क्षेत्रीय प्रबंधक प्रदायक से ट्रेड सर्टिफिकेट की प्रति प्राप्त करें। यदि प्रदायक/निर्माता द्वारा ट्रेड सर्टिफिकेट की वैधता अवधि समाप्ति के उपरांत वाटर टैंकर का प्रदाय किया जाता है तो जिला प्रबंधक को उक्त प्रदाय आदेश निरस्त करने का अधिकार होगा। ऐसी स्थिति में क्षतिपूर्ति के लिए निर्माता/प्रदायक पूर्ण रूप से उत्तरदायी है।
12. **दरों की एक मात्र मान्यता** : अनुमोदित दरें केवल निगम के माध्यम से प्रदायगी हेतु हैं, अन्य किसी विभाग द्वारा इन दरों पर व्यवसाय करने की स्थिति में निगम किसी भी प्रकार से उत्तरदायी नहीं होगा।
13. **अन्य नियम एवं शर्तें** : उपरोक्त के अतिरिक्त अन्य नियम एवं शर्तें मुख्यालय द्वारा WATER TANKER MOUNTED ON TWO WHEEL TRACTOR TRAILER 5000 लीटर, 5500 लीटर तथा 5000 लीटर फायर फायटर (MS/GI) के प्रदाय हेतु जारी ऑनलाईन आर.सी.ओ. दिनांक 22.05.2026 अनुसार रहेगी।

इस परिपत्र प्रसारण के जारी होने की दिनांक से मुख्यालय द्वारा WATER TANKER MOUNTED ON TWO WHEEL TRACTOR TRAILER 5000 लीटर, 5500 लीटर तथा 5000 लीटर फायर फायटर (MS/GI) हेतु उपरोक्त प्रदायक की पूर्व प्रसारित समस्त दरें निरस्त मानी जावेगी।

प्रतिलिपि :-

1. आयुक्त, म.प्र.शासन, उद्यानिकी एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग की ओर सूचनार्थ।
2. कलेक्टर (समस्त) की ओर सूचनार्थ।
3. आयुक्त, आर्थिक एवं सांख्यिकी संचालनालय, भूतल - विन्ध्याचल भवन, भोपाल (म.प्र.)
4. संचालक कृषि अभियांत्रिकी, आफिस काम्पलेक्स, बी-ब्लॉक, गौतम नगर, भोपाल।
5. आयुक्त नगरीय प्रशासन एवं विकास, पालिका भवन, नियर 6 नम्बर बस स्टाप, शिवाजी नगर, भोपाल - 462016
6. निज सहायक मा. प्रबंध संचालक, मुख्यालय, भोपाल की ओर सूचनार्थ।
7. महाप्रबंधक (वित्त), मुख्यालय, भोपाल की ओर सूचनार्थ।
8. **M/S MAHALAXMI SOLAR ENTERPRISES - KANJIYA LAHATWAS ROAD, VILLAGE POST KHIMLASA TEHSIL KHURAI DISTT -SAGAR 470118**



प्रबंधक (विपणन)
23/5/26

प्रबंधक (विपणन)
23/5/26



M.P. STATE AGRO INDUSTRIES DEVELOPMENT CORPORATION LTD.
PANCHANAN, 3RD FLOOR, MALVIYA NAGAR, BHOPAL-462003
☎- 0755- 2551652, 2551756 Fax - 0755 2557305 email - mpagrohbpl@gmail.com
website : www.mpstateagro.nic.in - CIN No. U01119MP1969SGC001055

क्रमांक : मुख्या/विपणन/वाटर टैंकर/2026-27/ 1126

दिनांक : 23.07.2026

प्रति,

जिला प्रबंधक (समस्त),
क्षेत्रीय प्रबंधक (समस्त),

विषय : WATER TANKER MOUNTED ON TWO WHEEL TRACTOR TRAILER (MS/GI) की दरों के प्रसारण के संबंध में।

संदर्भ : मुख्यालय द्वारा WATER TANKER MOUNTED ON TWO WHEEL TRACTOR TRAILER (MS/GI) हेतु जारी आर.सी.ओ. दिनांक 22.05.2026

निगम के माध्यम से WATER TANKER MOUNTED ON TWO WHEEL TRACTOR TRAILER (5000 लीटर, 5500 लीटर तथा 5000 लीटर फायर फायटर - MS/GI) हेतु "ऑन-लाईन" रेट कॉन्ट्रैक्ट ऑफर आमंत्रित किया गया था, आफर में प्राप्त न्यूनतम एल-1 दरों के आधार पर समिति द्वारा की गयी अनुशंसा अनुसार निर्माताओं से सहमति प्राप्त कर अनुबंध संपादित किया गया है। अनुबंधित प्रदायक का विवरण एवं निगम की कय-विकय दरें FOR DESTINATION (प्रदाय स्थल तक पहुंचाकर) लोडिंग एवं अनलोडिंग सहित निम्नानुसार रहेंगी :-

M/S OM AGRO INDUSTRIES - OFFICE ADDRESS SAGAR ROAD, GOURJHAMAR, DISTT. SAGAR - 470223 **CONTACT PERSON-** MANISH VISHWAKARMA - 7000296652

S.N.	NAME OF ITEM	PURCHASE PRICE			SELLING PRICE			
		BASIC PRICE	GST @ 18% ON (A)	TOTAL PURCHASE PRICE (A+B)	BASIC PRICE	CORPORATION MARGIN @ 5% ON BASIC	GST @ 18% ON (D+ E)	FINAL SALLING PRICE (D+E+F)
M.S. WATER TANKER		A	B	C	D	E	F	G
1	M S. WATER TANKER MOUNTED ON TWO WHEEL TRACTOR TRAILER CAPACITY 5000 LITER WITH 900x16 NEW TYRES. MODEL - 1	101700	18306	120006	101700	5085	19221	126006
2	M.S. WATER TANKER MOUNTED ON TWO WHEEL TRACTOR TRAILER CAPACITY 5000 LITER WITH NEW 900x20 TYRES. MODEL - 2	104131	18744	122875	104131	5207	19681	129018
3	M.S. WATER TANKER MOUNTED ON TWO WHEEL TRACTOR TRAILER CAPACITY 5500 LITER WITH 900x16 NEW TYRES. MODEL - 3	103150	18567	121717	103150	5158	19495	127803
4	M.S. WATER TANKER MOUNTED ON TWO WHEEL TRACTOR TRAILER CAPACITY 5500 LITER WITH 900x20 NEW TYRES. MODEL - 4	101400	18252	119652	101400	5070	19165	125635
5	M.S. WATER TANKER MOUNTED ON TWO WHEEL TRACTOR TRAILER CAPACITY 5000 LITER WITH FIRE FIGHTING PUMP AND 900x16 NEW TYRES. MODEL - 5	135000	24300	159300	135000	6750	25515	167265
6	M.S. WATER TANKER MOUNTED ON TWO WHEEL TRACTOR TRAILER CAPACITY 5000 LITER WITH FIRE FIGHTING PUMP AND 900x20 NEW TYRES. MODEL - 6	142200	25596	167796	142200	7110	26876	176186
G.I. WATER TANKER								
7	G.I. WATER TANKER MOUNTED ON TWO WHEEL TRACTOR TRAILER CAPACITY 5000 LITER WITH 900x16 NEW TYRES. MODEL - 7	113200	20376	133576	113200	5660	21395	140255



8	G.I. WATER TANKER MOUNTED ON TWO WHEEL TRACTOR TRAILER CAPACITY 5000 LITER WITH NEW 900x20 TYRES. MODEL - 8	117600	21168	138768	117600	5880	22226	145706
9	G.I. WATER TANKER MOUNTED ON TWO WHEEL TRACTOR TRAILER CAPACITY 5500 LITER WITH 900x16 NEW TYRES. MODEL - 9	118800	21384	140184	118800	5940	22453	147193
10	G.I. WATER TANKER MOUNTED ON TWO WHEEL TRACTOR TRAILER CAPACITY 5500 LITER WITH 900x20 NEW TYRES. MODEL - 10	130100	23418	153518	130100	6505	24589	161194
11	G.I. WATER TANKER MOUNTED ON TWO WHEEL TRACTOR TRAILER CAPACITY 5000 LITER WITH FIRE FIGHTING PUMP AND 900x16 NEW TYRES. MODEL - 11	143200	25776	168976	143200	7160	27065	177425
12	G.I. WATER TANKER MOUNTED ON TWO WHEEL TRACTOR TRAILER CAPACITY 5000 LITER WITH FIRE FIGHTING PUMP AND 900x20 NEW TYRES. MODEL - 12	156600	28188	184788	156600	7830	29597	194027

प्रदाय से संबंधित अन्य नियम एवं शर्तें निम्नानुसार रहेंगी :-

- दरों की प्रभावशीलता** : उपरोक्त कय एवं विकय दरें समस्त कर (जी.एस.टी, इयूटी, अन्य व्यय), परिवहन/निरीक्षण शुल्क, सहित एफ.ओ.आर. डेस्टीनेशन (विकासखण्ड स्तर तक) पहुंचाकर प्रथम पत्र प्रसारण की दिनांक से आगामी 03 माह तक लागू रहेंगी।
- आदेश की प्रक्रिया** : जिला प्रबंधक प्रदायक/निर्माता कम्पनी के अनुशंसा के साथ प्राप्त मांग को निगम के क्षेत्रीय प्रबंधक को अग्रेषित करेंगे एवं क्षेत्रीय प्रबंधक द्वारा विभाग से राशि प्राप्ति की सुनिश्चितता करते हुए संबंधित प्रदायक/निर्माता कम्पनी के पक्ष में "ऑन-लाईन" रेट कांट्रेक्ट ऑफर डाक्यूमेंट की शर्तानुसार प्रदाय आदेश जारी करेंगे।
 - प्रदाय आदेश में सामग्री का विवरण, प्रदाय दर, प्रदाय शर्तें, प्रदाय स्थल की जानकारी एवं निगम के GSTN नम्बर आदि का स्पष्ट उल्लेख किया जावे।
 - प्रदाय आदेश में प्रदायगी की समयसीमा का उल्लेख किया जावे। जिला प्रबंधक यह सुनिश्चित करेंगे कि प्रदायक द्वारा आदेशित सामग्री का प्रदाय सही हालत एवं समयसीमा में किया जावे। विलम्ब की स्थिति में प्राप्तकर्ता विभाग की सहमति प्राप्त होने के उपरांत ही प्रदायगी स्वीकार की जावे।
 - क्षेत्रीय प्रबंधक द्वारा आदेश जारी करने के पूर्व यह अवश्य ध्यान रखा जावे कि जिला प्रबंधकों द्वारा जो मांग दी जा रही है वह निश्चित व्यवसाय के विरुद्ध है।
- सामग्री की प्रदायगी** - प्रदायगी क्षेत्रीय प्रबंधक द्वारा लिखित प्रदाय आदेश जारी करने के उपरांत प्रदायक/निर्माता कम्पनी द्वारा प्रदाय आदेश में दिये गये निर्देशों के अनुरूप की जावे।
 - प्रदायक द्वारा देयक पर निगम का GST NO. 23AACCM0330Q1ZM का उल्लेख किया जाना आवश्यक है। देयक में CGST एवं SGST की राशि का भी उल्लेख किया जावेगा। प्रदायक का उत्तरदायित्व है कि GST का भुगतान नियमानुसार समय से किया जावे व मासिक रिटर्न GSTR-1 में दर्शाया जावे। किसी प्रकार की विसंगति के कारण निगम को कोई हानि होती है तो तदनुसार हानि की राशि की कटौती प्रदायक/निर्माता कम्पनी के देयक से की जावेगी।
 - प्रदायक/निर्माता कम्पनी द्वारा आदेशित सामग्री के प्रदाय के उपरांत देयक तीन प्रतियों में भुगतान हेतु संबंधित जिला प्रबंधक को प्रस्तुत किया जावेगा। देयक के साथ जियो टैगिंग फोटोग्राफ, पावती/संतुष्टि प्रमाण पत्र, सेल लेटर एवं थर्डपार्टी गुणवत्ता रिपोर्ट प्रस्तुत की जानी होगी।
 - आदेशित सामग्री का प्रदाय करते समय प्रदाय की जा रही सामग्री का भौतिक निरीक्षण निगम के जिला प्रबंधक एवं संबंधित विभाग के सक्षम अधिकारी द्वारा किया जावेगा। तदोपरांत पावती एवं संतुष्टि प्रमाण पत्र संयुक्त हस्ताक्षर से जारी किये जावेंगे।



4. **प्राइज फार क्लॉस** – निगम के माध्यम से प्रसारित की जा रही विक्रय दरें किसी अन्य शासकीय संस्था/उपक्रम अथवा बाजार में कम्पनी की विक्रय दरों के समतुल्य है। यदि भविष्य में बाजार अथवा अन्य संस्था में विक्रय दरों का कम होना निगम के संज्ञान में आता है तो प्रदायकर्ता द्वारा निगम के साथ किये गये अनुबंध दिनांक से उक्त स्थिति के प्रमाणित होने तक प्रदाय की गयी समस्त सामग्री पर वही दर लागू मानते हुए अंतर की राशि की वसूली प्रदायक के लंबित देयकों से की जावेगी। साथ ही निगम प्रदायक के अनुबंध को निरस्त करने हेतु निगम स्वतंत्र रहेगा, जिसके लिए प्रदायक स्वयं उत्तरदायी रहेगा।
5. **सामग्री की गुणवत्ता** –
- (अ) निगम के माध्यम से प्रदाय की जाने वाली सामग्री की गुणवत्ता के लिए प्रदायक / निर्माता कम्पनी पूर्ण रूप से उत्तरदायी होंगे। निर्माता द्वारा जो सामग्री प्रदाय की जावेगी वह निगम द्वारा जारी आर.सी.ओ. में दिये गये स्पेसिफिकेशन, मापदण्ड अनुसार रहेगी। गुणवत्ता के संबंध में किसी भी स्तर पर शिकायत प्राप्त होने पर इसकी सूचना जिला प्रबंधक संबंधित प्रदायक को देते हुए शिकायत का निराकरण करावेंगे एवं की गयी कार्यवाही से क्षेत्रीय प्रबंधक को अवगत करावेंगे। यदि समयसीमा में शिकायत का निराकरण संबंधित प्रदायक/निर्माता कम्पनी द्वारा नहीं किया जाता है तो प्रदाय सामग्री में से विधिवत सैम्पल का परीक्षण किसी मान्यता प्राप्त शासकीय संस्था को गुणवत्ता की जांच के लिए भिजवाया जावे एवं क्षेत्रीय कार्यालय एवं निगम मुख्यालय को सूचित किया जावे, सामग्री की गुणवत्ता उचित मापदण्ड अनुसार नहीं होने पर संबंधित प्रदायक/निर्माता कम्पनी के विरुद्ध अनुबंध एवं आर.सी.ओ. की शर्तों अनुसार कार्यवाही की जा सके। निरीक्षण की फीस प्रदायक को वहन करनी होगी।
- (ब) सामग्री की गुणवत्ता का परीक्षण निगम द्वारा जारी आर.सी.ओ. में उल्लेखित अधिकृत थर्डपार्टी एजेन्सी द्वारा किया जावेगा। गुणवत्ता परीक्षण रिपोर्ट प्रदायक द्वारा देयक के साथ संलग्न की जावेगी, जिसमें क्षेत्रीय प्रबंधक द्वारा जारी आदेश की दिनांक एवं संख्या व अन्य पूर्ण विवरण रहेगा। बिना परीक्षण रिपोर्ट के भुगतान नहीं किया जावेगा। निर्माता यह सुनिश्चित करें कि निर्धारित थर्डपार्टी परीक्षण समय पर हो जावे इसके लिए वह स्वयं थर्डपार्टी को अग्रिम में सूचित करेंगे।
6. **भुगतान** – प्रदायक के देयक का भुगतान आदेशानुसार सामग्री प्राप्त होने के उपरांत संबंधित विभाग/क्रेता से विधिवत पावती, संतुष्टि प्रमाण पत्र, निगम को पूर्ण राशि प्राप्त होने पर **“भुगतान पश्चात् भुगतान”** की शर्त पर तथा थर्डपार्टी निरीक्षण रिपोर्ट प्राप्त होने पर निगम के संबंधित जिला प्रबंधक द्वारा किया जावेगा।
7. **तकनीकी मापदण्ड** : सामग्री के तकनीकी मापदण्ड मुख्यालय द्वारा WATER TANKER MOUNTED ON TWO WHEEL TRACTOR TRAILER हेतु जारी आनलाईन आर.सी.ओ. दिनांक 22.05.2026 में दिये गये हैं। आदेश के साथ तकनीकी मापदण्डों की प्रति भी संलग्न की जावे ताकि प्रदायक यह सुनिश्चित करे कि सामग्री इन्हीं तकनीकी मापदण्ड अनुसार प्रदाय हो सके। (निगम द्वारा जारी आर.सी.ओ. दिनांक 22.05.2026 एवं तकनीकी मापदण्ड निगम के वेबसाइट www.mpagro.org पर उपलब्ध हैं जिला प्रबंधक/क्षेत्रीय प्रबंधक उक्त आर.सी.ओ. एवं तकनीकी मापदण्डों की एक प्रति वेबसाइट से प्रिंट कर रिकार्ड में रखे ताकि प्रदायगी के समय सामग्री की गुणवत्ता का निरीक्षण किया जा सके)
8. **सेल लेटर** : जिला प्रबंधक वाटर टैंकर प्रदायगी में प्रत्येक वाटर टैंकर का ट्रांसपोर्ट विभाग द्वारा निर्धारित “सेल लेटर” निर्माता से प्राप्त किया जाकर संबंधित क्रेता विभाग को उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित करेंगे। टैंकर का ट्रांसपोर्ट विभाग में पंजीयन कराने की जिम्मेवारी क्रेता विभाग की रहेगी। निगम मात्र संबंधित प्रपत्र उपलब्ध करावेगा। निगम के क्षेत्रीय प्रबंधक अपने आदेश में सेल लेटर का स्पष्ट उल्लेख करें एवं आदेश की प्रति क्रेता विभाग को उपलब्ध करावें।
9. **अधिरूपित शास्ति** : In case the supplier does not produce the ordered material within the specified time limit penalty will be imposed as under :-

No.	WEEKS	Rate of penalty imposed
1	1 st to 2 nd week	0.25% per week
2	3 rd to 4th week	0.50% per week
3	in Case the supplier refuse to supply the ordered material	Cancelling the supply order and temination of Agreement and Black listing for 1-5 years.



10. **वारण्टी** : आर.सी.ओ. की कंडिका क्रमांक 14 अनुसार प्रदाय किये जाने वाले WATER TANKER MOUNTED ON TWO WHEEL TRACTOR TRAILER की वारण्टी अवधि 1 वर्ष रहेगी, का उल्लेख आदेश में आवश्यक रूप से किया जावे।

Warranty of Tyre Tube will be as per company rules, if any defect occur in the Tyre Tube within the Warrantee Period then it will be replaced by the Vender. Remolded Tyre will not be allowed at any cost .

11. **ट्रेड सार्टिफिकेट** : वाटर टैंकर प्रदायगी के पूर्व जिला प्रबंधक यह सुनिश्चित करेंगे कि प्रदायक/ निर्माता द्वारा ट्रेड सार्टिफिकेट की वैधता अवधि में सामग्री का प्रदाय किया गया है। जिला प्रबंधक/ क्षेत्रीय प्रबंधक प्रदायक से ट्रेड सार्टिफिकेट की प्रति प्राप्त करें। यदि प्रदायक/निर्माता द्वारा ट्रेड सार्टिफिकेट की वैधता अवधि समाप्ति के उपरांत वाटर टैंकर का प्रदाय किया जाता है तो जिला प्रबंधक को उक्त प्रदाय आदेश निरस्त करने का अधिकार होगा। ऐसी स्थिति में क्षतिपूर्ति के लिए निर्माता/प्रदायक पूर्ण रूप से उत्तरदायी है।
12. **दरों की एक मात्र मान्यता** : अनुमोदित दरें केवल निगम के माध्यम से प्रदायगी हेतु हैं, अन्य किसी विभाग द्वारा इन दरों पर व्यवसाय करने की स्थिति में निगम किसी भी प्रकार से उत्तरदायी नहीं होगा।
13. **अन्य नियम एवं शर्तें** : उपरोक्त के अतिरिक्त अन्य नियम एवं शर्तें मुख्यालय द्वारा WATER TANKER MOUNTED ON TWO WHEEL TRACTOR TRAILER 5000 लीटर, 5500 लीटर तथा 5000 लीटर फायर फायटर (MS/GI) के प्रदाय हेतु जारी ऑनलाईन आर.सी.ओ. दिनांक 22.05.2026 अनुसार रहेगी।

इस परिपत्र प्रसारण के जारी होने की दिनांक से मुख्यालय द्वारा WATER TANKER MOUNTED ON TWO WHEEL TRACTOR TRAILER 5000 लीटर, 5500 लीटर तथा 5000 लीटर फायर फायटर (MS/GI) हेतु उपरोक्त प्रदायक की पूर्व प्रसारित समस्त दरें निरस्त मानी जावेगी।

प्रतिलिपि :-

1. आयुक्त, म.प्र.शासन, उद्यानिकी एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग की ओर सूचनार्थ।
2. कलेक्टर (समस्त) की ओर सूचनार्थ।
3. आयुक्त, आर्थिक एवं सांख्यिकी संचालनालय, भूतल - विन्ध्याचल भवन, भोपाल (म.प्र.)
4. संचालक कृषि अभियांत्रिकी, आफिस काम्पलेक्स, बी-ब्लॉक, गौतम नगर, भोपाल।
5. आयुक्त नगरीय प्रशासन एवं विकास, पालिका भवन, नियर 6 नम्बर बस स्टाप, शिवाजी नगर, भोपाल - 462016
6. निज सहायक मा. प्रबंध संचालक, मुख्यालय, भोपाल की ओर सूचनार्थ।
7. महाप्रबंधक (वित्त), मुख्यालय, भोपाल की ओर सूचनार्थ।
8. **M/S OM AGRO INDUSTRIES - OFFICE ADDRESS SAGAR ROAD, GOURJHAMAR, DISTT. SAGAR - 470223**



प्रबंधक (वित्त) 23/5/26

प्रबंधक (वित्त) 23/5/26



M.P. STATE AGRO INDUSTRIES DEVELOPMENT CORPORATION LTD.
PANCHANAN, 3RD FLOOR, MALVIYA NAGAR, BHOPAL-462003
☎- 0755- 2551652, 2551756 Fax - 0755 2557305 email - mpagrohbpl@gmail.com
website : www.mpstateagro.nic.in - CIN No. U01119MP1969SGC001055

क्रमांक : मुख्या/विपणन/वाटर टैंकर/2026-27/1122

दिनांक : 23.07.2026

प्रति,

जिला प्रबंधक (समस्त),
क्षेत्रीय प्रबंधक (समस्त),

विषय : WATER TANKER MOUNTED ON TWO WHEEL TRACTOR TRAILER (MS/GI) की दरों के प्रसारण के संबंध में।

संदर्भ : मुख्यालय द्वारा WATER TANKER MOUNTED ON TWO WHEEL TRACTOR TRAILER (MS/GI) हेतु जारी आर.सी.ओ. दिनांक 22.05.2026

निगम के माध्यम से WATER TANKER MOUNTED ON TWO WHEEL TRACTOR TRAILER (5000 लीटर, 5500 लीटर तथा 5000 लीटर फायर फायटर - MS/GI) हेतु "ऑन-लाईन" रेट कॉन्ट्रैक्ट ऑफर आमंत्रित किया गया था, आफर में प्राप्त न्यूनतम एल-1 दरों के आधार पर समिति द्वारा की गयी अनुशंसा अनुसार निर्माताओं से सहमति प्राप्त कर अनुबंध संपादित किया गया है। अनुबंधित प्रदायक का विवरण एवं निगम की कय-विकय दरें FOR DESTINATION (प्रदाय स्थल तक पहुंचाकर) लोडिंग एवं अनलोडिंग सहित निम्नानुसार रहेंगी :-

M/S EXPERT FITNESS EQUIPMENTS - 606/1, RAHATGHAR KHURAI ROAD, TEHSIL-RAHATGHAR, POST JHILA, DISTT SAGAR - 470119 CON. SHRIPAL GHOSHI : 8435181613								
S.N.	NAME OF ITEM	PURCHASE PRICE			SELLING PRICE			
		BASIC PRICE	GST @ 18% ON (A)	TOTAL PURCHASE PRICE (A+B)	BASIC PRICE	CORPORATION MARGIN @ 5% ON BASIC	GST @ 18% ON (D+ E)	FINAL SALLING PRICE (D+E+F)
M.S. WATER TANKER		A	B	C	D	E	F	G
1	M.S. WATER TANKER MOUNTED ON TWO WHEEL TRACTOR TRAILER CAPACITY 5000 LITER WITH 900x16 NEW TYRES. MODEL - 1	101700	18306	120006	101700	5085	19221	126006
2	M.S. WATER TANKER MOUNTED ON TWO WHEEL TRACTOR TRAILER CAPACITY 5000 LITER WITH NEW 900x20 TYRES. MODEL - 2	104131	18744	122875	104131	5207	19681	129018
3	M.S. WATER TANKER MOUNTED ON TWO WHEEL TRACTOR TRAILER CAPACITY 5500 LITER WITH 900x16 NEW TYRES. MODEL - 3	103150	18567	121717	103150	5158	19495	127803
4	M.S. WATER TANKER MOUNTED ON TWO WHEEL TRACTOR TRAILER CAPACITY 5500 LITER WITH 900x20 NEW TYRES. MODEL - 4	101400	18252	119652	101400	5070	19165	125635
5	M.S. WATER TANKER MOUNTED ON TWO WHEEL TRACTOR TRAILER CAPACITY 5000 LITER WITH FIRE FIGHTING PUMP AND 900x16 NEW TYRES. MODEL - 5	135000	24300	159300	135000	6750	25515	167265
6	M.S. WATER TANKER MOUNTED ON TWO WHEEL TRACTOR TRAILER CAPACITY 5000 LITER WITH FIRE FIGHTING PUMP AND 900x20 NEW TYRES. MODEL - 6	142200	25596	167796	142200	7110	26876	176186
G.I. WATER TANKER								
7	G.I. WATER TANKER MOUNTED ON TWO WHEEL TRACTOR TRAILER CAPACITY 5000 LITER WITH 900x16 NEW TYRES. MODEL - 7	113200	20376	133576	113200	5660	21395	140255



8	G.I. WATER TANKER MOUNTED ON TWO WHEEL TRACTOR TRAILER CAPACITY 5000 LITER WITH NEW 900x20 TYRES. MODEL - 8	117600	21168	138768	117600	5880	22226	145706
9	G.I. WATER TANKER MOUNTED ON TWO WHEEL TRACTOR TRAILER CAPACITY 5500 LITER WITH 900x16 NEW TYRES. MODEL - 9	118800	21384	140184	118800	5940	22453	147193
10	G.I. WATER TANKER MOUNTED ON TWO WHEEL TRACTOR TRAILER CAPACITY 5500 LITER WITH 900x20 NEW TYRES. MODEL - 10	130100	23418	153518	130100	6505	24589	161194
11	G.I. WATER TANKER MOUNTED ON TWO WHEEL TRACTOR TRAILER CAPACITY 5000 LITER WITH FIRE FIGHTING PUMP AND 900x16 NEW TYRES. MODEL - 11	143200	25776	168976	143200	7160	27065	177425
12	G.I. WATER TANKER MOUNTED ON TWO WHEEL TRACTOR TRAILER CAPACITY 5000 LITER WITH FIRE FIGHTING PUMP AND 900x20 NEW TYRES. MODEL - 12	156600	28188	184788	156600	7830	29597	194027

प्रदाय से संबंधित अन्य नियम एवं शर्तें निम्नानुसार रहेंगी :-

- दरों की प्रभावशीलता** : उपरोक्त क्रय एवं विक्रय दरें समस्त कर (जी.एस.टी, इयूटी, अन्य व्यय), परिवहन/निरीक्षण शुल्क, सहित एफ.ओ.आर. डेस्टीनेशन (विकासखण्ड स्तर तक) पहुंचाकर प्रथम पत्र प्रसारण की दिनांक से आगामी 03 माह तक लागू रहेंगी।
- आदेश की प्रक्रिया** : जिला प्रबंधक प्रदायक/निर्माता कम्पनी के अनुशंसा के साथ प्राप्त मांग को निगम के क्षेत्रीय प्रबंधक को अग्रप्रेषित करेंगे एवं क्षेत्रीय प्रबंधक द्वारा विभाग से राशि प्राप्ति की सुनिश्चितता करते हुए संबंधित प्रदायक/निर्माता कम्पनी के पक्ष में "ऑन-लाइन" रेट कांट्रैक्ट ऑफर डाक्यूमेंट की शर्तानुसार प्रदाय आदेश जारी करेंगे।
 - प्रदाय आदेश में सामग्री का विवरण, प्रदाय दर, प्रदाय शर्तें, प्रदाय स्थल की जानकारी एवं निगम के GSTN नम्बर आदि का स्पष्ट उल्लेख किया जावे।
 - प्रदाय आदेश में प्रदायगी की समयसीमा का उल्लेख किया जावे। जिला प्रबंधक यह सुनिश्चित करेंगे कि प्रदायक द्वारा आदेशित सामग्री का प्रदाय सही हालत एवं समयसीमा में किया जावे। विलम्ब की स्थिति में प्राप्तकर्ता विभाग की सहमति प्राप्त होने के उपरांत ही प्रदायगी स्वीकार की जावे।
 - क्षेत्रीय प्रबंधक द्वारा आदेश जारी करने के पूर्व यह अवश्य ध्यान रखा जावे कि जिला प्रबंधकों द्वारा जो मांग दी जा रही है वह निश्चित व्यवसाय के विरुद्ध है।
- सामग्री की प्रदायगी** - प्रदायगी क्षेत्रीय प्रबंधक द्वारा लिखित प्रदाय आदेश जारी करने के उपरांत प्रदायक/निर्माता कम्पनी द्वारा प्रदाय आदेश में दिये गये निर्देशों के अनुरूप की जावे।
 - प्रदायक द्वारा देयक पर निगम का GST NO. 23AACCM0330Q12M का उल्लेख किया जाना आवश्यक है। देयक में CGST एवं SGST की राशि का भी उल्लेख किया जावेगा। प्रदायक का उत्तरदायित्व है कि GST का भुगतान नियमानुसार समय से किया जावे व मासिक रिटर्न GSTR-1 में दर्शाया जावे। किसी प्रकार की विसंगति के कारण निगम को कोई हानि होती है तो तदनुसार हानि की राशि की कटौती प्रदायक/निर्माता कम्पनी के देयक से की जावेगी।
 - प्रदायक/निर्माता कम्पनी द्वारा आदेशित सामग्री के प्रदाय के उपरांत देयक तीन प्रतियों में भुगतान हेतु संबंधित जिला प्रबंधक को प्रस्तुत किया जावेगा। देयक के साथ जियो टैगिंग फोटोग्राफ, पावती/संतुष्टि प्रमाण पत्र, सेल लेटर एवं थर्डपार्टी गुणवत्ता रिपोर्ट प्रस्तुत की जानी होगी।
 - आदेशित सामग्री का प्रदाय करते समय प्रदाय की जा रही सामग्री का भौतिक निरीक्षण निगम के जिला प्रबंधक एवं संबंधित विभाग के सक्षम अधिकारी द्वारा किया जावेगा। तदोपरांत पावती एवं संतुष्टि प्रमाण पत्र संयुक्त हस्ताक्षर से जारी किये जावेंगे।



4. **प्राइज़ फार क्लॉस** – निगम के माध्यम से प्रसारित की जा रही विक्रय दरें किसी अन्य शासकीय संस्था/उपक्रम अथवा बाज़ार में कम्पनी की विक्रय दरों के समतुल्य है। यदि भविष्य में बाज़ार अथवा अन्य संस्था में विक्रय दरों का कम होना निगम के संज्ञान में आता है तो प्रदायकर्ता द्वारा निगम के साथ किये गये अनुबंध दिनांक से उक्त स्थिति के प्रमाणित होने तक प्रदाय की गयी समस्त सामग्री पर वही दर लागू मानते हुए अंतर की राशि की वसूली प्रदायक के लंबित देयकों से की जावेगी। साथ ही निगम प्रदायक के अनुबंध को निरस्त करने हेतु निगम स्वतंत्र रहेगा, जिसके लिए प्रदायक स्वयं उत्तरदायी रहेगा।
5. **सामग्री की गुणवत्ता** –
- (अ) निगम के माध्यम से प्रदाय की जाने वाली सामग्री की गुणवत्ता के लिए प्रदायक / निर्माता कम्पनी पूर्ण रूप से उत्तरदायी होंगे। निर्माता द्वारा जो सामग्री प्रदाय की जावेगी वह निगम द्वारा जारी आर.सी.ओ. में दिये गये स्पेसिफिकेशन, मापदण्ड अनुसार रहेगी। गुणवत्ता के संबंध में किसी भी स्तर पर शिकायत प्राप्त होने पर इसकी सूचना जिला प्रबंधक संबंधित प्रदायक को देते हुए शिकायत का निराकरण करायेंगे एवं की गयी कार्यवाही से क्षेत्रीय प्रबंधक को अवगत करायेंगे। यदि समयसीमा में शिकायत का निराकरण संबंधित प्रदायक/निर्माता कम्पनी द्वारा नहीं किया जाता है तो प्रदाय सामग्री में से विधिवत सैम्पल का परीक्षण किसी मान्यता प्राप्त शासकीय संस्था को गुणवत्ता की जांच के लिए भिजवाया जावे एवं क्षेत्रीय कार्यालय एवं निगम मुख्यालय को सूचित किया जावे, सामग्री की गुणवत्ता उचित मापदण्ड अनुसार नहीं होने पर संबंधित प्रदायक/निर्माता कम्पनी के विरुद्ध अनुबंध एवं आर.सी.ओ. की शर्तों अनुसार कार्यवाही की जा सके। निरीक्षण की फीस प्रदायक को वहन करनी होगी।
- (ब) सामग्री की गुणवत्ता का परीक्षण निगम द्वारा जारी आर.सी.ओ. में उल्लेखित अधिकृत थर्डपार्टी एजेन्सी द्वारा किया जावेगा। गुणवत्ता परीक्षण रिपोर्ट प्रदायक द्वारा देयक के साथ संलग्न की जावेगी, जिसमें क्षेत्रीय प्रबंधक द्वारा जारी आदेश की दिनांक एवं संख्या व अन्य पूर्ण विवरण रहेगा। बिना परीक्षण रिपोर्ट के भुगतान नहीं किया जावेगा। निर्माता यह सुनिश्चित करें कि निर्धारित थर्डपार्टी परीक्षण समय पर हो जावे इसके लिए वह स्वयं थर्डपार्टी को अग्रिम में सूचित करेंगे।
6. **भुगतान** – प्रदायक के देयक का भुगतान आदेशानुसार सामग्री प्राप्त होने के उपरान्त संबंधित विभाग/क्रेता से विधिवत पावती, संतुष्टि प्रमाण पत्र, निगम को पूर्ण राशि प्राप्त होने पर **“भुगतान पश्चात् भुगतान”** की शर्त पर तथा थर्डपार्टी निरीक्षण रिपोर्ट प्राप्त होने पर निगम के संबंधित जिला प्रबंधक द्वारा किया जावेगा।
7. **तकनीकी मापदण्ड** : सामग्री के तकनीकी मापदण्ड मुख्यालय द्वारा WATER TANKER MOUNTED ON TWO WHEEL TRACTOR TRAILER हेतु जारी आनलाईन आर.सी.ओ. दिनांक 22.05.2026 में दिये गये हैं। आदेश के साथ तकनीकी मापदण्डों की प्रति भी संलग्न की जावे ताकि प्रदायक यह सुनिश्चित करे कि सामग्री इन्हीं तकनीकी मापदण्ड अनुसार प्रदाय हो सके। (निगम द्वारा जारी आर.सी.ओ. दिनांक 22.05.2026 एवं तकनीकी मापदण्ड निगम के वेबसाइट www.mpagro.org पर उपलब्ध हैं जिला प्रबंधक/क्षेत्रीय प्रबंधक उक्त आर.सी.ओ. एवं तकनीकी मापदण्डों की एक प्रति वेबसाइट से प्रिंट कर रिकार्ड में रखे ताकि प्रदायगी के समय सामग्री की गुणवत्ता का निरीक्षण किया जा सके)
8. **सेल लेटर** : जिला प्रबंधक वाटर टैंकर प्रदायगी में प्रत्येक वाटर टैंकर का ट्रांसपोर्ट विभाग द्वारा निर्धारित “सेल लेटर” निर्माता से प्राप्त किया जाकर संबंधित क्रेता विभाग को उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित करेंगे। टैंकर का ट्रांसपोर्ट विभाग में पंजीयन कराने की जिम्मेवारी क्रेता विभाग की रहेगी। निगम मात्र संबंधित प्रपत्र उपलब्ध करावेगा। निगम के क्षेत्रीय प्रबंधक अपने आदेश में सेल लेटर का स्पष्ट उल्लेख करें एवं आदेश की प्रति क्रेता विभाग को उपलब्ध करायें।
9. **अधिरोपित शास्ति** : In case the supplier does not produce the ordered material within the specified time limit penalty will be imposed as under :-

No.	WEEKS	Rate of penalty imposed
1	1 st to 2 nd week	0.25% per week
2	3 rd to 4th week	0.50% per week
3	in Case the supplier refuse to supply the ordered material	Cancelling the supply order and termination of Agreement and Black listing for 1-5 years.



10. **वारण्टी** : आर.सी.ओ. की कंडिका क्रमांक 14 अनुसार प्रदाय किये जाने वाले WATER TANKER MOUNTED ON TWO WHEEL TRACTOR TRAILER की वारण्टी अवधि 1 वर्ष रहेगी, का उल्लेख आदेश में आवश्यक रूप से किया जावे।
Warranty of Tyre Tube will be as per company rules. if any defect occur in the Tyre Tube within the Warrantee Period then it will be replaced by the Vender. Remolded Tyre will not be allowed at any cost .
11. **ट्रेड सार्टिफिकेट** : वाटर टैंकर प्रदायगी के पूर्व जिला प्रबंधक यह सुनिश्चित करेंगे कि प्रदायक/ निर्माता द्वारा ट्रेड सार्टिफिकेट की वैधता अवधि में सामग्री का प्रदाय किया गया है। जिला प्रबंधक/ क्षेत्रीय प्रबंधक प्रदायक से ट्रेड सार्टिफिकेट की प्रति प्राप्त करें। यदि प्रदायक/निर्माता द्वारा ट्रेड सार्टिफिकेट की वैधता अवधि समाप्ति के उपरांत वाटर टैंकर का प्रदाय किया जाता है तो जिला प्रबंधक को उक्त प्रदाय आदेश निरस्त करने का अधिकार होगा। ऐसी स्थिति में क्षतिपूर्ति के लिए निर्माता/प्रदायक पूर्ण रूप से उत्तरदायी है।
12. **दरों की एक मात्र मान्यता** : अनुमोदित दरें केवल निगम के माध्यम से प्रदायगी हेतु हैं, अन्य किसी विभाग द्वारा इन दरों पर व्यवसाय करने की स्थिति में निगम किसी भी प्रकार से उत्तरदायी नहीं होगा।
13. **अन्य नियम एवं शर्तें** : उपरोक्त के अतिरिक्त अन्य नियम एवं शर्तें मुख्यालय द्वारा WATER TANKER MOUNTED ON TWO WHEEL TRACTOR TRAILER 5000 लीटर, 5500 लीटर तथा 5000 लीटर फायर फायटर (MS/GI) के प्रदाय हेतु जारी ऑनलाईन आर.सी.ओ. दिनांक 22.05.2026 अनुसार रहेगी।

इस परिपत्र प्रसारण के जारी होने की दिनांक से मुख्यालय द्वारा WATER TANKER MOUNTED ON TWO WHEEL TRACTOR TRAILER 5000 लीटर, 5500 लीटर तथा 5000 लीटर फायर फायटर (MS/GI) हेतु उपरोक्त प्रदायक की पूर्व प्रसारित समस्त दरें निरस्त मानी जावेगी।

प्रतिलिपि :-

1123
23-5-26

1. आयुक्त, म.प्र.शासन, उद्यानिकी एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग की ओर सूचनार्थ।
2. कलेक्टर (समस्त) की ओर सूचनार्थ।
3. आयुक्त, आर्थिक एवं सांख्यिकी संचालनालय, भूतल - विन्ध्याचल भवन, भोपाल (म.प्र.)
4. संचालक कृषि अभियांत्रिकी, आफिस काम्पलेक्स, बी-ब्लॉक, गौतम नगर, भोपाल।
5. आयुक्त नगरीय प्रशासन एवं विकास, पालिका भवन, नियर 6 नम्बर बस स्टाप, शिवाजी नगर, भोपाल - 462016
6. निज सहायक मा. प्रबंध संचालक, मुख्यालय, भोपाल की ओर सूचनार्थ।
7. महाप्रबंधक (वित्त), मुख्यालय, भोपाल की ओर सूचनार्थ।
8. **M/S EXPERT FITNESS EQUIPMENTS** - 606/1, RAHATGHAR KHURAI ROAD, TEHSIL-RAHATGHAR, POST JHILA, DISTT SAGAR - 470119



प्रबंधक (विपणन)
23/5/26

प्रबंधक (विपणन)
23/5/26



M.P. STATE AGRO INDUSTRIES DEVELOPMENT CORPORATION LTD.
PANCHANAN, 3RD FLOOR, MALVIYA NAGAR, BHOPAL-462003
☎- 0755- 2551652, 2551756 Fax - 0755 2557305 email - mpagrohbpl@gmail.com
website : www.mpstateagro.nic.in - CIN No. U01119MP1969SGC001055

क्रमांक : मुख्या/विपणन/वाटर टैंकर/2026-27/1124

दिनांक : 23.07.2026

प्रति,

जिला प्रबंधक (समस्त),
क्षेत्रीय प्रबंधक (समस्त),

विषय : WATER TANKER MOUNTED ON TWO WHEEL TRACTOR TRAILER (MS/GI) की दरों के प्रसारण के संबंध में।

संदर्भ : मुख्यालय द्वारा WATER TANKER MOUNTED ON TWO WHEEL TRACTOR TRAILER (MS/GI) हेतु जारी आर.सी.ओ. दिनांक 22.05.2026

निगम के माध्यम से WATER TANKER MOUNTED ON TWO WHEEL TRACTOR TRAILER (5000 लीटर, 5500 लीटर तथा 5000 लीटर फायर फायटर - MS/GI) हेतु "ऑन-लाईन" रेट कॉन्ट्रैक्ट ऑफर आमंत्रित किया गया था, आपर में प्राप्त न्यूनतम एल-1 दरों के आधार पर समिति द्वारा की गयी अनुशंसा अनुसार निर्माताओं से सहमति प्राप्त कर अनुबंध संपादित किया गया है। अनुबंधित प्रदायक का विवरण एवं निगम की कय-विकय दरें FOR DESTINATION (प्रदाय स्थल तक पहुंचाकर) लोडिंग एवं अनलोडिंग सहित निम्नानुसार रहेंगी :-

M/S R.K. INDUSTRIES - OFFICE ADDRESS - 19/1, 20/2 NARELI ARCUDE MANORAMAGANJ INDORE CONTACT PERSON- KHUSRO NISAR : 9826036295								
S.N.	NAME OF ITEM	PURCHASE PRICE			SELLING PRICE			
		BASIC PRICE	GST @ 18% ON (A)	TOTAL PURCHASE PRICE (A+B)	BASIC PRICE	CORPORATION MARGIN @ 5% ON BASIC	GST @ 18% ON (D+ E)	FINAL SALLING PRICE (D+E+F)
M.S. WATER TANKER		A	B	C	D	E	F	G
1	M.S. WATER TANKER MOUNTED ON TWO WHEEL TRACTOR TRAILER CAPACITY 5500 LITER WITH 900x16 NEW TYRES. MODEL - 3	103150	18567	121717	103150	5158	19495	127803
2	M.S. WATER TANKER MOUNTED ON TWO WHEEL TRACTOR TRAILER CAPACITY 5500 LITER WITH 900x20 NEW TYRES. MODEL - 4	101400	18252	119652	101400	5070	19165	125635
G.I. WATER TANKER								
3	G.I. WATER TANKER MOUNTED ON TWO WHEEL TRACTOR TRAILER CAPACITY 5500 LITER WITH 900x16 NEW TYRES. MODEL - 9	118800	21384	140184	118800	5940	22453	147193
4	G.I. WATER TANKER MOUNTED ON TWO WHEEL TRACTOR TRAILER CAPACITY 5500 LITER WITH 900x20 NEW TYRES. MODEL - 10	130100	23418	153518	130100	6505	24589	161194

प्रदाय से संबंधित अन्य नियम एवं शर्तें निम्नानुसार रहेंगी :-

1. **दरों की प्रभावशीलता** : उपरोक्त कय एवं विकय दरें समस्त कर (जी.एस.टी, ड्यूटी, अन्य व्यय), परिवहन/निरीक्षण शुल्क, सहित एफ.ओ.आर. डेस्टीनेशन (विकासखण्ड स्तर तक) पहुंचाकर प्रथम पत्र प्रसारण की दिनांक से आगामी 03 माह तक लागू रहेंगी।
2. **आदेश की प्रक्रिया** : जिला प्रबंधक प्रदायक/निर्माता कम्पनी के अनुशंसा के साथ प्राप्त मांग को निगम के क्षेत्रीय प्रबंधक को अग्रेषित करेंगे एवं क्षेत्रीय प्रबंधक द्वारा विभाग से राशि प्राप्ति की सुनिश्चितता करते हुए संबंधित प्रदायक/निर्माता कम्पनी के पक्ष में "ऑन-लाईन" रेट कॉन्ट्रैक्ट ऑफर डाक्यूमेंट की शर्तानुसार प्रदाय आदेश जारी करेंगे।



- (अ) प्रदाय आदेश में सामग्री का विवरण, प्रदाय दर, प्रदाय शर्तें, प्रदाय स्थल की जानकारी एवं निगम के GSTIN नम्बर आदि का स्पष्ट उल्लेख किया जावे।
- (ब) प्रदाय आदेश में प्रदायगी की समयसीमा का उल्लेख किया जावे। जिला प्रबंधक यह सुनिश्चित करेंगे कि प्रदायक द्वारा आदेशित सामग्री का प्रदाय सही हालत एवं समयसीमा में किया जावे। विलम्ब की स्थिति में प्राप्तकर्ता विभाग की सहमति प्राप्त होने के उपरांत ही प्रदायगी स्वीकार की जावे।
- (स) क्षेत्रीय प्रबंधक द्वारा आदेश जारी करने के पूर्व यह अवश्य ध्यान रखा जावे कि जिला प्रबंधकों द्वारा जो मांग दी जा रही है वह निश्चित व्यवसाय के विरुद्ध है।

3. **सामग्री की प्रदायगी** – प्रदायगी क्षेत्रीय प्रबंधक द्वारा लिखित प्रदाय आदेश जारी करने के उपरांत प्रदायक/निर्माता कम्पनी द्वारा प्रदाय आदेश में दिये गये निर्देशों के अनुरूप की जावे।

- (अ) प्रदायक द्वारा देयक पर निगम का GST NO. 23AACCM0330Q1ZM का उल्लेख किया जाना आवश्यक है। देयक में CGST एवं SGST की राशि का भी उल्लेख किया जावेगा। प्रदायक का उत्तरदायित्व है कि GST का भुगतान नियमानुसार समय से किया जावे व मासिक रिटर्न GSTR-1 में दर्शाया जावे। किसी प्रकार की विसंगति के कारण निगम को कोई हानि होती है तो तदनुसार हानि की राशि की कटौती प्रदायक/निर्माता कम्पनी के देयक से की जावेगी।
- (ब) प्रदायक/निर्माता कम्पनी द्वारा आदेशित सामग्री के प्रदाय के उपरांत देयक तीन प्रतियों में भुगतान हेतु संबंधित जिला प्रबंधक को प्रस्तुत किया जावेगा। देयक के साथ जियो टैगिंग फोटोग्राफ, पावती/संतुष्टि प्रमाण पत्र, सेल लेटर एवं थर्डपार्टी गुणवत्ता रिपोर्ट प्रस्तुत की जानी होगी।
- (स) आदेशित सामग्री का प्रदाय करते समय प्रदाय की जा रही सामग्री का भौतिक निरीक्षण निगम के जिला प्रबंधक एवं संबंधित विभाग के सक्षम अधिकारी द्वारा किया जावेगा। तदोपरांत पावती एवं संतुष्टि प्रमाण पत्र संयुक्त हस्ताक्षर से जारी किये जावेंगे।

4. **प्राइज़ फार क्लॉस** – निगम के माध्यम से प्रसारित की जा रही विक्रय दरें किसी अन्य शासकीय संस्था/उपक्रम अथवा बाजार में कम्पनी की विक्रय दरों के समतुल्य हैं। यदि भविष्य में बाजार अथवा अन्य संस्था में विक्रय दरों का कम होना निगम के संज्ञान में आता है तो प्रदायकर्ता द्वारा निगम के साथ किये गये अनुबंध दिनांक से उक्त स्थिति के प्रमाणित होने तक प्रदाय की गयी समस्त सामग्री पर वही दर लागू मानते हुए अंतर की राशि की वसूली प्रदायक के लंबित देयकों से की जावेगी। साथ ही निगम प्रदायक के अनुबंध को निरस्त करने हेतु निगम स्वतंत्र रहेगा, जिसके लिए प्रदायक स्वयं उत्तरदायी रहेगा।

5. **सामग्री की गुणवत्ता** –

- (अ) निगम के माध्यम से प्रदाय की जाने वाली सामग्री की गुणवत्ता के लिए प्रदायक / निर्माता कम्पनी पूर्ण रूप से उत्तरदायी होंगे। निर्माता द्वारा जो सामग्री प्रदाय की जावेगी वह निगम द्वारा जारी आर.सी.ओ. में दिये गये स्पेसिफिकेशन, मापदण्ड अनुसार रहेगी। गुणवत्ता के संबंध में किसी भी स्तर पर शिकायत प्राप्त होने पर इसकी सूचना जिला प्रबंधक संबंधित प्रदायक को देते हुए शिकायत का निराकरण करायेंगे एवं की गयी कार्यवाही से क्षेत्रीय प्रबंधक को अवगत करायेंगे। यदि समयसीमा में शिकायत का निराकरण संबंधित प्रदायक/निर्माता कम्पनी द्वारा नहीं किया जाता है तो प्रदाय सामग्री में से विधिवत सैम्पल का परीक्षण किसी मान्यता प्राप्त शासकीय संस्था को गुणवत्ता की जांच के लिए भिजवाया जावे एवं क्षेत्रीय कार्यालय एवं निगम मुख्यालय को सूचित किया जावे, सामग्री की गुणवत्ता उचित मापदण्ड अनुसार नहीं होने पर संबंधित प्रदायक/निर्माता कम्पनी के विरुद्ध अनुबंध एवं आर.सी.ओ. की शर्तों अनुसार कार्यवाही की जा सके। निरीक्षण की फीस प्रदायक को वहन करनी होगी।



- (ब) सामग्री की गुणवत्ता का परीक्षण निगम द्वारा जारी आर.सी.ओ. में उल्लेखित अधिकृत थर्ड पार्टी एजेन्सी द्वारा किया जावेगा। गुणवत्ता परीक्षण रिपोर्ट प्रदायक द्वारा देयक के साथ संलग्न की जावेगी, जिसमें क्षेत्रीय प्रबंधक द्वारा जारी आदेश की दिनांक एवं संख्या व अन्य पूर्ण विवरण रहेगा। बिना परीक्षण रिपोर्ट के भुगतान नहीं किया जावेगा। निर्माता यह सुनिश्चित करें कि निर्धारित थर्ड पार्टी परीक्षण समय पर हो जावे इसके लिए वह स्वयं थर्ड पार्टी को अग्रिम में सूचित करेंगे।

6. **भुगतान** - प्रदायक के देयक का भुगतान आदेशानुसार सामग्री प्राप्त होने के उपरांत संबंधित विभाग/कंता से विधिवत पावती, संतुष्टि प्रमाण पत्र, निगम को पूर्ण राशि प्राप्त होने पर "भुगतान पश्चात् भुगतान" की शर्त पर तथा थर्ड पार्टी निरीक्षण रिपोर्ट प्राप्त होने पर निगम के संबंधित जिला प्रबंधक द्वारा किया जावेगा।
7. **तकनीकी मापदण्ड** : सामग्री के तकनीकी मापदण्ड मुख्यालय द्वारा WATER TANKER MOUNTED ON TWO WHEEL TRACTOR TRAILER हेतु जारी आनलाईन आर.सी.ओ. दिनांक 22.05.2026 में दिये गये हैं। आदेश के साथ तकनीकी मापदण्डों की प्रति भी संलग्न की जावे ताकि प्रदायक यह सुनिश्चित करे कि सामग्री इन्हीं तकनीकी मापदण्ड अनुसार प्रदाय हो सके। (निगम द्वारा जारी आर.सी.ओ. दिनांक 22.05.2026 एवं तकनीकी मापदण्ड निगम के वेबसाइट www.mpagro.org पर उपलब्ध हैं जिला प्रबंधक/क्षेत्रीय प्रबंधक उक्त आर.सी.ओ. एवं तकनीकी मापदण्डों की एक प्रति वेबसाइट से प्रिंट कर रिकार्ड में रखे ताकि प्रदायगी के समय सामग्री की गुणवत्ता का निरीक्षण किया जा सके)
8. **सेल लेटर** : जिला प्रबंधक वाटर टैंकर प्रदायगी में प्रत्येक वाटर टैंकर का ट्रांसपोर्ट विभाग द्वारा निर्धारित "सेल लेटर" निर्माता से प्राप्त किया जाकर संबंधित कंता विभाग को उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित करेंगे। टैंकर का ट्रांसपोर्ट विभाग में पंजीयन कराने की जिम्मेवारी कंता विभाग की रहेगी। निगम मात्र संबंधित प्रपत्र उपलब्ध करावेगा। निगम के क्षेत्रीय प्रबंधक अपने आदेश में सेल लेटर का स्पष्ट उल्लेख करें एवं आदेश की प्रति कंता विभाग को उपलब्ध करावें।
9. **अधिरूपित शास्ति** : In case the supplier does not produce the ordered material within the specified time limit penalty will be imposed as under :-

No.	WEEKS	Rate of penalty imposed
1	1 st to 2 nd week	0.25% per week
2	3 rd to 4th week	0.50% per week
3	in Case the supplier refuse to supply the ordered material	Cancelling the supply order and temination of Agreement and Black listing for 1-5 years.

10. **वारण्टी** : आर.सी.ओ. की कंडिका क्रमांक 14 अनुसार प्रदाय किये जाने वाले WATER TANKER MOUNTED ON TWO WHEEL TRACTOR TRAILER की वारण्टी अवधि 1 वर्ष रहेगी, का उल्लेख आदेश में आवश्यक रूप से किया जावे।
Warranty of Tyre Tube will be as per company rules. if any defect occur in the Tyre Tube within the Warrantee Period then it will be replaced by the Vender. Remolded Tyre will not be allowed at any cost .
11. **ट्रेड सर्टिफिकेट** : वाटर टैंकर प्रदायगी के पूर्व जिला प्रबंधक यह सुनिश्चित करेंगे कि प्रदायक/ निर्माता द्वारा ट्रेड सर्टिफिकेट की वैधता अवधि में सामग्री का प्रदाय किया गया है। जिला प्रबंधक/ क्षेत्रीय प्रबंधक प्रदायक से ट्रेड सर्टिफिकेट की प्रति प्राप्त करें। यदि प्रदायक/निर्माता द्वारा ट्रेड सर्टिफिकेट की वैधता अवधि समाप्ति के उपरांत वाटर टैंकर का प्रदाय किया जाता है तो जिला प्रबंधक को उक्त प्रदाय आदेश निरस्त करने का अधिकार होगा। ऐसी स्थिति में क्षतिपूर्ति के लिए निर्माता/प्रदायक पूर्ण रूप से उत्तरदायी है।
12. **दरों की एक मात्र मान्यता** : अनुमोदित दरें केवल निगम के माध्यम से प्रदायगी हेतु हैं, अन्य किसी विभाग द्वारा इन दरों पर व्यवसाय करने की स्थिति में निगम किसी भी प्रकार से उत्तरदायी नहीं होगा।



13. **अन्य नियम एवं शर्त** : उपरोक्त के अतिरिक्त अन्य नियम एवं शर्त मुख्यालय द्वारा WATER TANKER MOUNTED ON TWO WHEEL TRACTOR TRAILER 5000 लीटर, 5500 लीटर तथा 5000 लीटर फायर फायटर (MS/GI) के प्रदाय हेतु जारी ऑनलाईन आर.सी.ओ. दिनांक 22.05.2026 अनुसार रहेगी।

इस परिपत्र प्रसारण के जारी होने की दिनांक से मुख्यालय द्वारा WATER TANKER MOUNTED ON TWO WHEEL TRACTOR TRAILER 5000 लीटर, 5500 लीटर तथा 5000 लीटर फायर फायटर (MS/GI) हेतु उपरोक्त प्रदायक की पूर्व प्रसारित समस्त दरें निरस्त मानी जावेगी।

प्रतिलिपि :-

1125
23-3-26

1. आयुक्त, म.प्र.शासन, उद्यानिकी एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग की ओर सूचनार्थ।
2. कलेक्टर (समस्त) की ओर सूचनार्थ।
3. आयुक्त, आर्थिक एवं सांख्यिकी संचालनालय, भूतल - विन्ध्याचल भवन, भोपाल (म.प्र.)
4. संचालक कृषि अभियांत्रिकी, आफिस काम्पलेक्स, बी-ब्लॉक, गौतम नगर, भोपाल।
5. आयुक्त नगरीय प्रशासन एवं विकास, पालिका भवन, नियर 6 नम्बर बस स्टॉप, शिवाजी नगर, भोपाल - 462016
6. निज सहायक मा. प्रबंध संचालक, मुख्यालय, भोपाल की ओर सूचनार्थ।
7. महाप्रबंधक (वित्त), मुख्यालय, भोपाल की ओर सूचनार्थ।
8. **M/S R.K. INDUSTRIES - OFFICE ADDRESS - 19/1, 20/2 NARELI ARCADE MANORAMAGANJ INDORE**

प्रबंधक (विपणन)
23/3/26

प्रबंधक (विपणन)
23/3/26





M.P. STATE AGRO INDUSTRIES DEVELOPMENT CORPORATION LTD.
PANCHANAN, 3RD FLOOR, MALVIYA NAGAR, BHOPAL-462003
☎- 0755- 2551652, 2551756 Fax - 0755 2557305 email - mpagrohbpl@gmail.com
website : www.mpstateagro.nic.in - CIN No. U01119MP1969SGC001055

क्रमांक : मुख्या/विपणन/वाटर टैंकर/2026-27/1092

दिनांक : 23.07.2026

प्रति,

जिला प्रबंधक (समस्त),
क्षेत्रीय प्रबंधक (समस्त),

विषय : WATER TANKER MOUNTED ON TWO WHEEL TRACTOR TRAILER (MS/GI) की दरों के प्रसारण के संबंध में।

संदर्भ : मुख्यालय द्वारा WATER TANKER MOUNTED ON TWO WHEEL TRACTOR TRAILER (MS/GI) हेतु जारी आर.सी.ओ. दिनांक 22.05.2026

निगम के माध्यम से WATER TANKER MOUNTED ON TWO WHEEL TRACTOR TRAILER (5000 लीटर, 5500 लीटर तथा 5000 लीटर फायर फायटर - MS/GI) हेतु "ऑन-लाईन" रेट कॉन्ट्रैक्ट ऑफर आमंत्रित किया गया था, आकर में प्राप्त न्यूनतम एल-1 दरों के आधार पर समिति द्वारा की गयी अनुशंसा अनुसार निर्माताओं से सहमति प्राप्त कर अनुबंध संपादित किया गया है। अनुबंधित प्रदायक का विवरण एवं निगम की कय-विकय दरें FOR DESTINATION (प्रदाय स्थल तक पहुंचाकर) लोडिंग एवं अनलोडिंग सहित निम्नानुसार रहेंगी :-

M/S MANISH FABRICATION - NEW OLD FORT, GOURJHAMAR, DISTT. SAGAR - 470223 (MP) CONTECT PERSON- RAJKUMAR VISHWAKARMA : 9893343199, 7000296652

S.N.	NAME OF ITEM	PURCHASE PRICE			SELLING PRICE			
		BASIC PRICE	GST @ 18% ON (A)	TOTAL PURCHASE PRICE (A+B)	BASIC PRICE	CORPORATION MARGIN @ 5% ON BASIC	GST @ 18% ON (D+ E)	FINAL SALLING PRICE (D+E+F)
M.S. WATER TANKER		A	B	C	D	E	F	G
1	M.S. WATER TANKER MOUNTED ON TWO WHEEL TRACTOR TRAILER CAPACITY 5000 LITER WITH 900x16 NEW TYRES. MODEL - 1	101700	18306	120006	101700	5085	19221	126006
2	M.S. WATER TANKER MOUNTED ON TWO WHEEL TRACTOR TRAILER CAPACITY 5000 LITER WITH NEW 900x20 TYRES. MODEL - 2	104131	18744	122875	104131	5207	19681	129018
3	M.S. WATER TANKER MOUNTED ON TWO WHEEL TRACTOR TRAILER CAPACITY 5500 LITER WITH 900x16 NEW TYRES. MODEL - 3	103150	18567	121717	103150	5158	19495	127803
4	M.S. WATER TANKER MOUNTED ON TWO WHEEL TRACTOR TRAILER CAPACITY 5500 LITER WITH 900x20 NEW TYRES. MODEL - 4	101400	18252	119652	101400	5070	19165	125635
5	M.S. WATER TANKER MOUNTED ON TWO WHEEL TRACTOR TRAILER CAPACITY 5000 LITER WITH FIRE FIGHTING PUMP AND 900x16 NEW TYRES. MODEL - 5	135000	24300	159300	135000	6750	25515	167265
6	M.S. WATER TANKER MOUNTED ON TWO WHEEL TRACTOR TRAILER CAPACITY 5000 LITER WITH FIRE FIGHTING PUMP AND 900x20 NEW TYRES. MODEL - 6	142200	25596	167796	142200	7110	26876	176186
G.I. WATER TANKER								
7	G.I. WATER TANKER MOUNTED ON TWO WHEEL TRACTOR TRAILER CAPACITY 5000 LITER WITH 900x16 NEW TYRES. MODEL - 7	113200	20376	133576	113200	5660	21395	140255



8	G.I. WATER TANKER MOUNTED ON TWO WHEEL TRACTOR TRAILER CAPACITY 5000 LITER WITH NEW 900x20 TYRES. MODEL - 8	117600	21168	138768	117600	5880	22226	145706
9	G.I. WATER TANKER MOUNTED ON TWO WHEEL TRACTOR TRAILER CAPACITY 5500 LITER WITH 900x16 NEW TYRES. MODEL - 9	118800	21384	140184	118800	5940	22453	147193
10	G.I. WATER TANKER MOUNTED ON TWO WHEEL TRACTOR TRAILER CAPACITY 5500 LITER WITH 900x20 NEW TYRES. MODEL - 10	130100	23418	153518	130100	6505	24589	161194
11	G.I. WATER TANKER MOUNTED ON TWO WHEEL TRACTOR TRAILER CAPACITY 5000 LITER WITH FIRE FIGHTING PUMP AND 900x16 NEW TYRES. MODEL - 11	143200	25776	168976	143200	7160	27065	177425
12	G.I. WATER TANKER MOUNTED ON TWO WHEEL TRACTOR TRAILER CAPACITY 5000 LITER WITH FIRE FIGHTING PUMP AND 900x20 NEW TYRES. MODEL - 12	156600	28188	184788	156600	7830	29597	194027

प्रदाय से संबंधित अन्य नियम एवं शर्तें निम्नानुसार रहेंगी :-

- दरों की प्रभावशीलता** : उपरोक्त कय एवं विक्रय दरें समस्त कर (जी.एस.टी, ड्यूटी, अन्य व्यय), परिवहन/निरीक्षण शुल्क, सहित एफ.ओ.आर. डेस्टीनेशन (विकासखण्ड स्तर तक) पहुंचाकर प्रथम पत्र प्रसारण की दिनांक से आगामी 03 माह तक लागू रहेंगी।
- आदेश की प्रक्रिया** : जिला प्रबंधक प्रदायक/निर्माता कम्पनी के अनुशंसा के साथ प्राप्त मांग को निगम के क्षेत्रीय प्रबंधक को अग्रेषित करेंगे एवं क्षेत्रीय प्रबंधक द्वारा विभाग से राशि प्राप्ति की सुनिश्चितता करते हुए संबंधित प्रदायक/निर्माता कम्पनी के पक्ष में "ऑन-लाईन" रेट कांट्रेक्ट ऑफर डाक्यूमेंट की शर्तानुसार प्रदाय आदेश जारी करेंगे।
 - प्रदाय आदेश में सामग्री का विवरण, प्रदाय दर, प्रदाय शर्तें, प्रदाय स्थल की जानकारी एवं निगम के GSTIN नम्बर आदि का स्पष्ट उल्लेख किया जावे।
 - प्रदाय आदेश में प्रदायगी की समयसीमा का उल्लेख किया जावे। जिला प्रबंधक यह सुनिश्चित करेंगे कि प्रदायक द्वारा आदेशित सामग्री का प्रदाय सही हालत एवं समयसीमा में किया जावे। विलम्ब की स्थिति में प्राप्तकर्ता विभाग की सहमति प्राप्त होने के उपरांत ही प्रदायगी स्वीकार की जावे।
 - क्षेत्रीय प्रबंधक द्वारा आदेश जारी करने के पूर्व यह अवश्य ध्यान रखा जावे कि जिला प्रबंधकों द्वारा जो मांग दी जा रही है वह निश्चित व्यवसाय के विरुद्ध है।
- सामग्री की प्रदायगी** - प्रदायगी क्षेत्रीय प्रबंधक द्वारा लिखित प्रदाय आदेश जारी करने के उपरांत प्रदायक/निर्माता कम्पनी द्वारा प्रदाय आदेश में दिये गये निर्देशों के अनुरूप की जावे।
 - प्रदायक द्वारा देयक पर निगम का GST NO. 23AACCM0330Q12M का उल्लेख किया जाना आवश्यक है। देयक में CGST एवं SGST की राशि का भी उल्लेख किया जावेगा। प्रदायक का उत्तरदायित्व है कि GST का भुगतान नियमानुसार समय से किया जावे व मासिक रिटर्न GSTR-1 में दर्शाया जावे। किसी प्रकार की विसंगति के कारण निगम को कोई हानि होती है तो तदनुसार हानि की राशि की कटौती प्रदायक/निर्माता कम्पनी के देयक से की जावेगी।
 - प्रदायक/निर्माता कम्पनी द्वारा आदेशित सामग्री के प्रदाय के उपरांत देयक तीन प्रतियों में भुगतान हेतु संबंधित जिला प्रबंधक को प्रस्तुत किया जावेगा। देयक के साथ जियो टेगिंग फोटोग्राफ, पावती/संतुष्टि प्रमाण पत्र, सेल लेटर एवं थर्डपार्टी गुणवत्ता रिपोर्ट प्रस्तुत की जानी होगी।
 - आदेशित सामग्री का प्रदाय करते समय प्रदाय की जा रही सामग्री का भौतिक निरीक्षण निगम के जिला प्रबंधक एवं संबंधित विभाग के सक्षम अधिकारी द्वारा किया जावेगा। तदोपरांत पावती एवं संतुष्टि प्रमाण पत्र संयुक्त हस्ताक्षर से जारी किये जावेंगे।



4. **प्राइज़ फार क्लॉस** – निगम के माध्यम से प्रसारित की जा रही विक्रय दरें किसी अन्य शासकीय संस्था/उपक्रम अथवा बाजार में कम्पनी की विक्रय दरों के समतुल्य है। यदि भविष्य में बाजार अथवा अन्य संस्था में विक्रय दरों का कम होना निगम के संज्ञान में आता है तो प्रदायकर्ता द्वारा निगम के साथ किये गये अनुबंध दिनांक से उक्त स्थिति के प्रमाणित होने तक प्रदाय की गयी समस्त सामग्री पर वही दर लागू मानते हुए अंतर की राशि की वसूली प्रदायक के लंबित देयकों से की जावेगी। साथ ही निगम प्रदायक के अनुबंध को निरस्त करने हेतु निगम स्वतंत्र रहेगा, जिसके लिए प्रदायक स्वयं उत्तरदायी रहेगा।
5. **सामग्री की गुणवत्ता** –
- (अ) निगम के माध्यम से प्रदाय की जाने वाली सामग्री की गुणवत्ता के लिए प्रदायक / निर्माता कम्पनी पूर्ण रूप से उत्तरदायी होंगे। निर्माता द्वारा जो सामग्री प्रदाय की जावेगी वह निगम द्वारा जारी आर.सी.ओ. में दिये गये स्पेसिफिकेशन, मापदण्ड अनुसार रहेगी। गुणवत्ता के संबंध में किसी भी स्तर पर शिकायत प्राप्त होने पर इसकी सूचना जिला प्रबंधक संबंधित प्रदायक को देते हुए शिकायत का निराकरण करावेंगे एवं की गयी कार्यवाही से क्षेत्रीय प्रबंधक को अवगत करावेंगे। यदि समयसीमा में शिकायत का निराकरण संबंधित प्रदायक/निर्माता कम्पनी द्वारा नहीं किया जाता है तो प्रदाय सामग्री में से विधिवत सैम्पल का परीक्षण किसी मान्यता प्राप्त शासकीय संस्था को गुणवत्ता की जांच के लिए भिजवाया जावे एवं क्षेत्रीय कार्यालय एवं निगम मुख्यालय को सूचित किया जावे, सामग्री की गुणवत्ता उचित मापदण्ड अनुसार नहीं होने पर संबंधित प्रदायक/निर्माता कम्पनी के विरुद्ध अनुबंध एवं आर.सी.ओ. की शर्तों अनुसार कार्यवाही की जा सके। निरीक्षण की फीस प्रदायक को वहन करनी होगी।
- (ब) सामग्री की गुणवत्ता का परीक्षण निगम द्वारा जारी आर.सी.ओ. में उल्लेखित अधिकृत थर्डपार्टी एजेन्सी द्वारा किया जावेगा। गुणवत्ता परीक्षण रिपोर्ट प्रदायक द्वारा देयक के साथ संलग्न की जावेगी, जिसमें क्षेत्रीय प्रबंधक द्वारा जारी आदेश की दिनांक एवं संख्या व अन्य पूर्ण विवरण रहेगा। बिना परीक्षण रिपोर्ट के भुगतान नहीं किया जावेगा। निर्माता यह सुनिश्चित करें कि निर्धारित थर्डपार्टी परीक्षण समय पर हो जावे इसके लिए वह स्वयं थर्डपार्टी को अग्रिम में सूचित करेंगे।
6. **भुगतान** – प्रदायक के देयक का भुगतान आदेशानुसार सामग्री प्राप्त होने के उपरान्त संबंधित विभाग/कंता से विधिवत पावती, संतुष्टि प्रमाण पत्र, निगम को पूर्ण राशि प्राप्त होने पर **“भुगतान पश्चात् भुगतान”** की शर्त पर तथा थर्डपार्टी निरीक्षण रिपोर्ट प्राप्त होने पर निगम के संबंधित जिला प्रबंधक द्वारा किया जावेगा।
7. **तकनीकी मापदण्ड** : सामग्री के तकनीकी मापदण्ड मुख्यालय द्वारा WATER TANKER MOUNTED ON TWO WHEEL TRACTOR TRAILER हेतु जारी आनलाईन आर.सी.ओ. दिनांक 22.05.2026 में दिये गये हैं। आदेश के साथ तकनीकी मापदण्डों की प्रति भी संलग्न की जावे ताकि प्रदायक यह सुनिश्चित करे कि सामग्री इन्हीं तकनीकी मापदण्ड अनुसार प्रदाय हो सके। (निगम द्वारा जारी आर.सी.ओ. दिनांक 22.05.2026 एवं तकनीकी मापदण्ड निगम के वेबसाइट www.mpagro.org पर उपलब्ध हैं जिला प्रबंधक/क्षेत्रीय प्रबंधक उक्त आर.सी.ओ. एवं तकनीकी मापदण्डों की एक प्रति वेबसाइट से प्रिंट कर रिकार्ड में रखे ताकि प्रदायगी के समय सामग्री की गुणवत्ता का निरीक्षण किया जा सके)
8. **सेल लेटर** : जिला प्रबंधक वाटर टैंकर प्रदायगी में प्रत्येक वाटर टैंकर का ट्रांसपोर्ट विभाग द्वारा निर्धारित **“सेल लेटर”** निर्माता से प्राप्त किया जाकर संबंधित कंता विभाग को उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित करेंगे। टैंकर का ट्रांसपोर्ट विभाग में पंजीयन कराने की जिम्मेवारी कंता विभाग की रहेगी। निगम मात्र संबंधित प्रपत्र उपलब्ध करावेगा। निगम के क्षेत्रीय प्रबंधक अपने आदेश में सेल लेटर का स्पष्ट उल्लेख करें एवं आदेश की प्रति कंता विभाग को उपलब्ध करावें।
9. **अधिशेषित शास्ति** : In case the supplier does not produce the ordered material within the specified time limit penalty will be imposed as under :-

No.	WEEKS	Rate of penalty imposed
1	1 st to 2 nd week	0.25% per week
2	3 rd to 4th week	0.50% per week
3	in Case the supplier refuse to supply the ordered material	Cancelling the supply order and temination of Agreement and Black listing for 1-5 years.



10. **वारण्टी** : आर.सी.ओ. की कंडिका कमांक 14 अनुसार प्रदाय किये जाने वाले WATER TANKER MOUNTED ON TWO WHEEL TRACTOR TRAILER की वारण्टी अवधि 1 वर्ष रहेगी, का उल्लेख आदेश में आवश्यक रूप से किया जावे।

Warranty of Tyre Tube will be as per company rules. if any defect occur in the Tyre Tube within the Warrantee Period then it will be replaced by the Vender. Remolded Tyre will not be allowed at any cost.

11. **ट्रेड सार्टिफिकेट** : वाटर टैंकर प्रदायगी के पूर्व जिला प्रबंधक यह सुनिश्चित करेंगे कि प्रदायक/ निर्माता द्वारा ट्रेड सार्टिफिकेट की वैधता अवधि में सामग्री का प्रदाय किया गया है। जिला प्रबंधक/ क्षेत्रीय प्रबंधक प्रदायक से ट्रेड सार्टिफिकेट की प्रति प्राप्त करें। यदि प्रदायक/निर्माता द्वारा ट्रेड सार्टिफिकेट की वैधता अवधि समाप्ति के उपरांत वाटर टैंकर का प्रदाय किया जाता है तो जिला प्रबंधक को उक्त प्रदाय आदेश निरस्त करने का अधिकार होगा। ऐसी स्थिति में क्षतिपूर्ति के लिए निर्माता/प्रदायक पूर्ण रूप से उत्तरदायी है।
12. **दरों की एक मात्र मान्यता** : अनुमोदित दरें केवल निगम के माध्यम से प्रदायगी हेतु हैं, अन्य किसी विभाग द्वारा इन दरों पर व्यवसाय करने की स्थिति में निगम किसी भी प्रकार से उत्तरदायी नहीं होगा।
13. **अन्य नियम एवं शर्तें** : उपरोक्त के अतिरिक्त अन्य नियम एवं शर्तें मुख्यालय द्वारा WATER TANKER MOUNTED ON TWO WHEEL TRACTOR TRAILER 5000 लीटर, 5500 लीटर तथा 5000 लीटर फायर फायटर (MS/GI) के प्रदाय हेतु जारी ऑनलाईन आर.सी.ओ. दिनांक 22.05.2026 अनुसार रहेगी।

इस परिपत्र प्रसारण के जारी होने की दिनांक से मुख्यालय द्वारा WATER TANKER MOUNTED ON TWO WHEEL TRACTOR TRAILER 5000 लीटर, 5500 लीटर तथा 5000 लीटर फायर फायटर (MS/GI) हेतु उपरोक्त प्रदायक की पूर्व प्रसारित समस्त दरें निरस्त मानी जावेगी।

प्रतिलिपि :-

1093
23-7-26

1. आयुक्त, म.प्र.शासन, उद्यानिकी एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग की ओर सूचनार्थ।
2. कलेक्टर (समस्त) की ओर सूचनार्थ।
3. आयुक्त, आर्थिक एवं सांख्यिकी संचालनालय, भूतल - विन्ध्याचल भवन, भोपाल (म.प्र.)
4. संचालक कृषि अभियांत्रिकी, आफिस काम्पलेक्स, बी-ब्लॉक, गौतम नगर, भोपाल।
5. आयुक्त नगरीय प्रशासन एवं विकास, पालिका भवन, नियर 6 नम्बर बस स्टाप, शिवाजी नगर, भोपाल - 462016
6. निज सहायक मा. प्रबंध संचालक, मुख्यालय, भोपाल की ओर सूचनार्थ।
7. महाप्रबंधक (वित्त), मुख्यालय, भोपाल की ओर सूचनार्थ।
8. **M/S MANISH FABRICATION - NEW OLD FORT, GOURJHAMAR, DISTT. SAGAR - 470223 (MP)**

प्रबंधक (विपणन)
23/7/26

प्रबंधक (विपणन)
23/7/26





M.P. STATE AGRO INDUSTRIES DEVELOPMENT CORPORATION LTD.
PANCHANAN, 3RD FLOOR, MALVIYA NAGAR, BHOPAL-462003
☎- 0755- 2551652, 2551756 Fax - 0755 2557305 email - mpagrohbpl@gmail.com
website : www.mpstateagro.nic.in - CIN No. U01119MP19695GC001055

कमांक : मुख्या/विपणन/वाटर टैंकर/2026-27/1094

दिनांक : 23.07.2026

प्रति,

जिला प्रबंधक (समस्त),
क्षेत्रीय प्रबंधक (समस्त),

विषय : WATER TANKER MOUNTED ON TWO WHEEL TRACTOR TRAILER (MS/GI) की दरों के प्रसारण के संबंध में।

संदर्भ : मुख्यालय द्वारा WATER TANKER MOUNTED ON TWO WHEEL TRACTOR TRAILER (MS/GI) हेतु जारी आर.सी.ओ. दिनांक 22.05.2026

निगम के माध्यम से WATER TANKER MOUNTED ON TWO WHEEL TRACTOR TRAILER (5000 लीटर, 5500 लीटर तथा 5000 लीटर फायर फायटर - MS/GI) हेतु "ऑन-लाईन" रेट कॉन्ट्रैक्ट ऑफर आमंत्रित किया गया था, आपर में प्राप्त न्यूनतम एल-1 दरों के आधार पर समिति द्वारा की गयी अनुशंसा अनुसार निर्माताओं से सहमति प्राप्त कर अनुबंध संपादित किया गया है। अनुबंधित प्रदायक का विवरण एवं निगम की कय-विकय दरें FOR DESTINATION (प्रदाय स्थल तक पहुंचाकर) लोडिंग एवं अनलोडिंग सहित निम्नानुसार रहेंगी :-

M/S HINDUSTAN FABRICATORS - OFFICE ADDRESS : B-13 SHIVAJI NAGAR, BHOPAL - 462016
CONTECT PERSON : ABHISHEKH GOUD - 9039099059

S.N.	NAME OF ITEM	PURCHASE PRICE			SELLING PRICE			
		BASIC PRICE	GST @ 18% ON (A)	TOTAL PURCHASE PRICE (A+B)	BASIC PRICE	CORPORATION MARGIN @ 5% ON BASIC	GST @ 18% ON (D+ E)	FINAL SALLING PRICE (D+E+F)
M.S. WATER TANKER		A	B	C	D	E	F	G
1	M.S. WATER TANKER MOUNTED ON TWO WHEEL TRACTOR TRAILER CAPACITY 5000 LITER WITH 900x16 NEW TYRES. MODEL - 1	101700	18306	120006	101700	5085	19221	126006
2	M.S. WATER TANKER MOUNTED ON TWO WHEEL TRACTOR TRAILER CAPACITY 5000 LITER WITH NEW 900x20 TYRES. MODEL - 2	104131	18744	122875	104131	5207	19681	129018
3	M.S. WATER TANKER MOUNTED ON TWO WHEEL TRACTOR TRAILER CAPACITY 5500 LITER WITH 900x16 NEW TYRES. MODEL - 3	103150	18567	121717	103150	5158	19495	127803
4	M.S. WATER TANKER MOUNTED ON TWO WHEEL TRACTOR TRAILER CAPACITY 5500 LITER WITH 900x20 NEW TYRES. MODEL - 4	101400	18252	119652	101400	5070	19165	125635
5	M.S. WATER TANKER MOUNTED ON TWO WHEEL TRACTOR TRAILER CAPACITY 5000 LITER WITH FIRE FIGHTING PUMP AND 900x16 NEW TYRES. MODEL - 5	135000	24300	159300	135000	6750	25515	167265
6	M.S. WATER TANKER MOUNTED ON TWO WHEEL TRACTOR TRAILER CAPACITY 5000 LITER WITH FIRE FIGHTING PUMP AND 900x20 NEW TYRES. MODEL - 6	142200	25596	167796	142200	7110	26876	176186
G.I. WATER TANKER								
7	G.I. WATER TANKER MOUNTED ON TWO WHEEL TRACTOR TRAILER CAPACITY 5000 LITER WITH 900x16 NEW TYRES. MODEL - 7	113200	20376	133576	113200	5660	21395	140255



8	G.I. WATER TANKER MOUNTED ON TWO WHEEL TRACTOR TRAILER CAPACITY 5000 LITER WITH NEW 900x20 TYRES. MODEL - 8	117600	21168	138768	117600	5880	22226	145706
9	G.I. WATER TANKER MOUNTED ON TWO WHEEL TRACTOR TRAILER CAPACITY 5500 LITER WITH 900x16 NEW TYRES. MODEL - 9	118800	21384	140184	118800	5940	22453	147193
10	G.I. WATER TANKER MOUNTED ON TWO WHEEL TRACTOR TRAILER CAPACITY 5500 LITER WITH 900x20 NEW TYRES. MODEL - 10	130100	23418	153518	130100	6505	24589	161194
11	G.I. WATER TANKER MOUNTED ON TWO WHEEL TRACTOR TRAILER CAPACITY 5000 LITER WITH FIRE FIGHTING PUMP AND 900x16 NEW TYRES. MODEL - 11	143200	25776	168976	143200	7160	27065	177425
12	G.I. WATER TANKER MOUNTED ON TWO WHEEL TRACTOR TRAILER CAPACITY 5000 LITER WITH FIRE FIGHTING PUMP AND 900x20 NEW TYRES. MODEL - 12	156600	28188	184788	156600	7830	29597	194027

प्रदाय से संबंधित अन्य नियम एवं शर्तें निम्नानुसार रहेंगी :-

1. **दरों की प्रभावशीलता** : उपरोक्त क्रय एवं विक्रय दरें समस्त कर (जी.एस.टी, ड्यूटी, अन्य व्यय), परिवहन/निरीक्षण शुल्क, सहित एफ.ओ.आर. डेस्टीनेशन (विकासखण्ड स्तर तक) पहुंचाकर प्रथम पत्र प्रसारण की दिनांक से आगामी 03 माह तक लागू रहेंगी।

2. **आदेश की प्रक्रिया** : जिला प्रबंधक प्रदायक/निर्माता कम्पनी के अनुशंसा के साथ प्राप्त मांग को निगम के क्षेत्रीय प्रबंधक को अग्रेषित करेंगे एवं क्षेत्रीय प्रबंधक द्वारा विभाग से राशि प्राप्ति की सुनिश्चितता करते हुए संबंधित प्रदायक/निर्माता कम्पनी के पक्ष में "ऑन-लाईन" रेट कांटेक्ट ऑफर डाक्यूमेंट की शर्तानुसार प्रदाय आदेश जारी करेंगे।

(अ) प्रदाय आदेश में सामग्री का विवरण, प्रदाय दर, प्रदाय शर्तें, प्रदाय स्थल की जानकारी एवं निगम के GSTN नम्बर आदि का स्पष्ट उल्लेख किया जावे।

(ब) प्रदाय आदेश में प्रदायगी की समयसीमा का उल्लेख किया जावे। जिला प्रबंधक यह सुनिश्चित करेंगे कि प्रदायक द्वारा आदेशित सामग्री का प्रदाय सही हालत एवं समयसीमा में किया जावे। विलम्ब की स्थिति में प्राप्तकर्ता विभाग की सहमति प्राप्त होने के उपरांत ही प्रदायगी स्वीकार की जावे।

(स) क्षेत्रीय प्रबंधक द्वारा आदेश जारी करने के पूर्व यह अवश्य ध्यान रखा जावे कि जिला प्रबंधकों द्वारा जो मांग दी जा रही है वह निश्चित व्यवसाय के विरुद्ध है।

3. **सामग्री की प्रदायगी** - प्रदायगी क्षेत्रीय प्रबंधक द्वारा लिखित प्रदाय आदेश जारी करने के उपरांत प्रदायक/निर्माता कम्पनी द्वारा प्रदाय आदेश में दिये गये निर्देशों के अनुरूप की जावे।

(अ) प्रदायक द्वारा देयक पर निगम का GST NO. 23AACCM0330Q1ZM का उल्लेख किया जाना आवश्यक है। देयक में CGST एवं SGST की राशि का भी उल्लेख किया जावेगा। प्रदायक का उत्तरदायित्व है कि GST का भुगतान नियमानुसार समय से किया जावे व मासिक रिटर्न GSTR-1 में दर्शाया जावे। किसी प्रकार की विसंगति के कारण निगम को कोई हानि होती है तो तदानुसार हानि की राशि की कटौती प्रदायक/निर्माता कम्पनी के देयक से की जावेगी।

(ब) प्रदायक/निर्माता कम्पनी द्वारा आदेशित सामग्री के प्रदाय के उपरांत देयक तीन प्रतियों में भुगतान हेतु संबंधित जिला प्रबंधक को प्रस्तुत किया जावेगा। देयक के साथ जियो टैगिंग फोटोग्राफ, पावती/संतुष्टि प्रमाण पत्र, सेल लेटर एवं थर्डपार्टी गुणवत्ता रिपोर्ट प्रस्तुत की जानी होगी।

(स) आदेशित सामग्री का प्रदाय करते समय प्रदाय की जा रही सामग्री का भौतिक निरीक्षण निगम के जिला प्रबंधक एवं संबंधित विभाग के सक्षम अधिकारी द्वारा किया जावेगा। तदोपरांत पावती एवं संतुष्टि प्रमाण पत्र संयुक्त हस्ताक्षर से जारी किये जावेंगे।



4. **प्राइज फार क्लॉस** - निगम के माध्यम से प्रसारित की जा रही विक्रय दरें किसी अन्य शासकीय संस्था/उपक्रम अथवा बाजार में कम्पनी की विक्रय दरों के समतुल्य है। यदि भविष्य में बाजार अथवा अन्य संस्था में विक्रय दरों का कम होना निगम के संज्ञान में आता है तो प्रदायकर्ता द्वारा निगम के साथ किये गये अनुबंध दिनांक से उक्त स्थिति के प्रमाणित होने तक प्रदाय की गयी समस्त सामग्री पर वही दर लागू मानते हुए अंतर की राशि की वसूली प्रदायक के लंबित देयकों से की जावेगी। साथ ही निगम प्रदायक के अनुबंध को निरस्त करने हेतु निगम स्वतंत्र रहेगा, जिसके लिए प्रदायक स्वयं उत्तरदायी रहेगा।
5. **सामग्री की गुणवत्ता** -
- (अ) निगम के माध्यम से प्रदाय की जाने वाली सामग्री की गुणवत्ता के लिए प्रदायक / निर्माता कम्पनी पूर्ण रूप से उत्तरदायी होंगे। निर्माता द्वारा जो सामग्री प्रदाय की जावेगी वह निगम द्वारा जारी आर.सी.ओ. में दिये गये स्पेसिफिकेशन, मापदण्ड अनुसार रहेगी। गुणवत्ता के संबंध में किसी भी स्तर पर शिकायत प्राप्त होने पर इसकी सूचना जिला प्रबंधक संबंधित प्रदायक को देते हुए शिकायत का निराकरण करायेंगे एवं की गयी कार्यवाही से क्षेत्रीय प्रबंधक को अवगत करायेंगे। यदि समयसीमा में शिकायत का निराकरण संबंधित प्रदायक/निर्माता कम्पनी द्वारा नहीं किया जाता है तो प्रदाय सामग्री में से विधिवत सैम्पल का परीक्षण किसी मान्यता प्राप्त शासकीय संस्था को गुणवत्ता की जांच के लिए भिजवाया जावे एवं क्षेत्रीय कार्यालय एवं निगम मुख्यालय को सूचित किया जावे, सामग्री की गुणवत्ता उचित मापदण्ड अनुसार नहीं होने पर संबंधित प्रदायक/निर्माता कम्पनी के विरुद्ध अनुबंध एवं आर.सी.ओ. की शर्तों अनुसार कार्यवाही की जा सके। निरीक्षण की फीस प्रदायक को वहन करनी होगी।
- (ब) सामग्री की गुणवत्ता का परीक्षण निगम द्वारा जारी आर.सी.ओ. में उल्लेखित अधिकृत थर्डपार्टी एजेन्सी द्वारा किया जावेगा। गुणवत्ता परीक्षण रिपोर्ट प्रदायक द्वारा देयक के साथ संलग्न की जावेगी, जिसमें क्षेत्रीय प्रबंधक द्वारा जारी आदेश की दिनांक एवं संख्या व अन्य पूर्ण विवरण रहेगा। बिना परीक्षण रिपोर्ट के भुगतान नहीं किया जावेगा। निर्माता यह सुनिश्चित करें कि निर्धारित थर्डपार्टी परीक्षण समय पर हो जावे इसके लिए वह स्वयं थर्डपार्टी को अग्रिम में सूचित करेंगे।
6. **भुगतान** - प्रदायक के देयक का भुगतान आदेशानुसार सामग्री प्राप्त होने के उपरान्त संबंधित विभाग/केता से विधिवत पावती, संतुष्टि प्रमाण पत्र, निगम को पूर्ण राशि प्राप्त होने पर **"भुगतान पश्चात् भुगतान"** की शर्त पर तथा थर्डपार्टी निरीक्षण रिपोर्ट प्राप्त होने पर निगम के संबंधित जिला प्रबंधक द्वारा किया जावेगा।
7. **तकनीकी मापदण्ड** : सामग्री के तकनीकी मापदण्ड मुख्यालय द्वारा WATER TANKER MOUNTED ON TWO WHEEL TRACTOR TRAILER हेतु जारी आनलाईन आर.सी.ओ. दिनांक 22.05.2026 में दिये गये हैं। आदेश के साथ तकनीकी मापदण्डों की प्रति भी संलग्न की जावे ताकि प्रदायक यह सुनिश्चित करे कि सामग्री इन्हीं तकनीकी मापदण्ड अनुसार प्रदाय हो सके। (निगम द्वारा जारी आर.सी.ओ. दिनांक 22.05.2026 एवं तकनीकी मापदण्ड निगम के वेबसाइट www.mpagro.org पर उपलब्ध हैं जिला प्रबंधक/क्षेत्रीय प्रबंधक उक्त आर.सी.ओ. एवं तकनीकी मापदण्डों की एक प्रति वेबसाइट से प्रिंट कर रिकार्ड में रखे ताकि प्रदायगी के समय सामग्री की गुणवत्ता का निरीक्षण किया जा सके)
8. **सेल लेटर** : जिला प्रबंधक वाटर टैंकर प्रदायगी में प्रत्येक वाटर टैंकर का ट्रांसपोर्ट विभाग द्वारा निर्धारित **"सेल लेटर"** निर्माता से प्राप्त किया जाकर संबंधित केता विभाग को उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित करेंगे। टैंकर का ट्रांसपोर्ट विभाग में पंजीयन कराने की जिम्मेवारी केता विभाग की रहेगी। निगम मात्र संबंधित प्रपत्र उपलब्ध करावेगा। निगम के क्षेत्रीय प्रबंधक अपने आदेश में सेल लेटर का स्पष्ट उल्लेख करें एवं आदेश की प्रति केता विभाग को उपलब्ध करायें।
9. **अधिरूपित शास्ति** : In case the supplier does not produce the ordered material within the specified time limit penalty will be imposed as under :-

No.	WEEKS	Rate of penalty imposed
1	1 st to 2 nd week	0.25% per week
2	3 rd to 4th week	0.50% per week
3	in Case the supplier refuse to supply the ordered material	Cancelling the supply order and temination of Agreement and Black listing for 1-5 years.

10. **वारण्टी** : आर.सी.ओ. की कंडिका कमांक 14 अनुसार प्रदाय किये जाने वाले WATER TANKER MOUNTED ON TWO WHEEL TRACTOR TRAILER की वारण्टी अवधि 1 वर्ष रहेगी, का उल्लेख आदेश में आवश्यक रूप से किया जाये।

Warranty of Tyre Tube will be as per company rules. if any defect occur in the Tyre Tube within the Warrantee Period then it will be replaced by the Vender. Remolded Tyre will not be allowed at any cost .

11. **ट्रेड सार्टिफिकेट** : वाटर टैंकर प्रदायगी के पूर्व जिला प्रबंधक यह सुनिश्चित करेंगे कि प्रदायक/ निर्माता द्वारा ट्रेड सार्टिफिकेट की वैधता अवधि में सामग्री का प्रदाय किया गया है। जिला प्रबंधक/ क्षेत्रीय प्रबंधक प्रदायक से ट्रेड सार्टिफिकेट की प्रति प्राप्त करें। यदि प्रदायक/निर्माता द्वारा ट्रेड सार्टिफिकेट की वैधता अवधि समाप्ति के उपरांत वाटर टैंकर का प्रदाय किया जाता है तो जिला प्रबंधक को उक्त प्रदाय आदेश निरस्त करने का अधिकार होगा। ऐसी स्थिति में क्षतिपूर्ति के लिए निर्माता/प्रदायक पूर्ण रूप से उत्तरदायी है।

12. **दरों की एक मात्र मान्यता** : अनुमोदित दरें केवल निगम के माध्यम से प्रदायगी हेतु हैं, अन्य किसी विभाग द्वारा इन दरों पर व्यवसाय करने की स्थिति में निगम किसी भी प्रकार से उत्तरदायी नहीं होगा।

13. **अन्य नियम एवं शर्तें** : उपरोक्त के अतिरिक्त अन्य नियम एवं शर्तें मुख्यालय द्वारा WATER TANKER MOUNTED ON TWO WHEEL TRACTOR TRAILER 5000 लीटर, 5500 लीटर तथा 5000 लीटर फायर फायटर (MS/GI) के प्रदाय हेतु जारी ऑनलाईन आर.सी.ओ. दिनांक 22.05.2026 अनुसार रहेगी।

इस परिपत्र प्रसारण के जारी होने की दिनांक से मुख्यालय द्वारा WATER TANKER MOUNTED ON TWO WHEEL TRACTOR TRAILER 5000 लीटर, 5500 लीटर तथा 5000 लीटर फायर फायटर (MS/GI) हेतु उपरोक्त प्रदायक की पूर्व प्रसारित समस्त दरें निरस्त मानी जावेगी।

प्रतिलिपि :-

1095
23-7-26

1. आयुक्त, म.प्र.शासन, उद्यानिकी एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग की ओर सूचनार्थ।
2. कलेक्टर (समस्त) की ओर सूचनार्थ।
3. आयुक्त, आर्थिक एवं सांख्यिकी संचालनालय, भूतल - विन्ध्याचल भवन, भोपाल (म.प्र.)
4. संचालक कृषि अभियांत्रिकी, आफिस काम्पलेक्स, बी-ब्लॉक, गौतम नगर, भोपाल।
5. आयुक्त नगरीय प्रशासन एवं विकास, पालिका भवन, नियर 6 नम्बर बस स्टाप, शिवाजी नगर, भोपाल - 462016
6. निज सहायक मा. प्रबंध संचालक, मुख्यालय, भोपाल की ओर सूचनार्थ।
7. महाप्रबंधक (वित्त), मुख्यालय, भोपाल की ओर सूचनार्थ।
8. **M/S HINDUSTAN FABRICATORS - OFFICE ADDRESS : B-13 SHIVAJI NAGAR, BHOPAL - 462016**

प्रबंधक (विपणन)
23/7/26

प्रबंधक (विपणन)
23/7/26





M.P. STATE AGRO INDUSTRIES DEVELOPMENT CORPORATION LTD.
PANCHANAN, 3RD FLOOR, MALVIYA NAGAR, BHOPAL-462003
☎- 0755- 2551652, 2551756 Fax - 0755 2557305 email - mpagrohbpl@gmail.com
website : www.mpstateagro.nic.in - CIN No. U01119MP1969SGC001055

क्रमांक : मुख्या/विपणन/वाटर टैंकर/2026-27/ 1096

दिनांक : 23.07.2026

प्रति,

जिला प्रबंधक (समस्त),
क्षेत्रीय प्रबंधक (समस्त),

विषय : WATER TANKER MOUNTED ON TWO WHEEL TRACTOR TRAILER (MS/GI) की दरों के प्रसारण के संबंध में।

संदर्भ : मुख्यालय द्वारा WATER TANKER MOUNTED ON TWO WHEEL TRACTOR TRAILER (MS/GI) हेतु जारी आर.सी.ओ. दिनांक 22.05.2026

निगम के माध्यम से WATER TANKER MOUNTED ON TWO WHEEL TRACTOR TRAILER (5000 लीटर, 5500 लीटर तथा 5000 लीटर फायर फायटर - MS/GI) हेतु "ऑन-लाईन" रेट कॉन्ट्रैक्ट ऑफर आमंत्रित किया गया था, आफर में प्राप्त न्यूनतम एल-1 दरों के आधार पर समिति द्वारा की गयी अनुशंसा अनुसार निर्माताओं से सहमति प्राप्त कर अनुबंध संपादित किया गया है। अनुबंधित प्रदायक का विवरण एवं निगम की कय-विकय दरें FOR DESTINATION (प्रदाय स्थल तक पहुंचाकर) लोडिंग एवं अनलोडिंग सहित निम्नानुसार रहेंगी :-

M/S NEW MALWA AGRO & FABRICATORS - OFFICE ADDRESS - 81 BASANT VIHAR DHAR CONTECT PERSON- MUJIB UR REHMAN KHAN MO- 9425046639								
S.N.	NAME OF ITEM	PURCHASE PRICE			SELLING PRICE			
		BASIC PRICE	GST @ 18% ON (A)	TOTAL PURCHASE PRICE (A+B)	BASIC PRICE	CORPORATION MARGIN @ 5% ON BASIC	GST @ 18% ON (D+ E)	FINAL SALLING PRICE (D+E+F)
M.S. WATER TANKER		A	B	C	D	E	F	G
1	M.S. WATER TANKER MOUNTED ON TWO WHEEL TRACTOR TRAILER CAPACITY 5000 LITER WITH 900x16 NEW TYRES. MODEL - 1	101700	18306	120006	101700	5085	19221	126006
2	M.S. WATER TANKER MOUNTED ON TWO WHEEL TRACTOR TRAILER CAPACITY 5000 LITER WITH NEW 900x20 TYRES. MODEL - 2	104131	18744	122875	104131	5207	19681	129018
3	M.S. WATER TANKER MOUNTED ON TWO WHEEL TRACTOR TRAILER CAPACITY 5500 LITER WITH 900x16 NEW TYRES. MODEL - 3	103150	18567	121717	103150	5158	19495	127803
4	M.S. WATER TANKER MOUNTED ON TWO WHEEL TRACTOR TRAILER CAPACITY 5500 LITER WITH 900x20 NEW TYRES. MODEL - 4	101400	18252	119652	101400	5070	19165	125635
5	M.S. WATER TANKER MOUNTED ON TWO WHEEL TRACTOR TRAILER CAPACITY 5000 LITER WITH FIRE FIGHTING PUMP AND 900x16 NEW TYRES. MODEL - 5	135000	24300	159300	135000	6750	25515	167265
6	M.S. WATER TANKER MOUNTED ON TWO WHEEL TRACTOR TRAILER CAPACITY 5000 LITER WITH FIRE FIGHTING PUMP AND 900x20 NEW TYRES. MODEL - 6	142200	25596	167796	142200	7110	26876	176186
G.I. WATER TANKER								
7	G.I. WATER TANKER MOUNTED ON TWO WHEEL TRACTOR TRAILER CAPACITY 5000 LITER WITH 900x16 NEW TYRES. MODEL - 7	113200	20376	133576	113200	5660	21395	140255



8	G.I. WATER TANKER MOUNTED ON TWO WHEEL TRACTOR TRAILER CAPACITY 5000 LITER WITH NEW 900x20 TYRES. MODEL - 8	117600	21168	138768	117600	5880	22226	145706
9	G.I. WATER TANKER MOUNTED ON TWO WHEEL TRACTOR TRAILER CAPACITY 5500 LITER WITH 900x16 NEW TYRES. MODEL - 9	118800	21384	140184	118800	5940	22453	147193
10	G.I. WATER TANKER MOUNTED ON TWO WHEEL TRACTOR TRAILER CAPACITY 5500 LITER WITH 900x20 NEW TYRES. MODEL - 10	130100	23418	153518	130100	6505	24589	161194
11	G.I. WATER TANKER MOUNTED ON TWO WHEEL TRACTOR TRAILER CAPACITY 5000 LITER WITH FIRE FIGHTING PUMP AND 900x16 NEW TYRES. MODEL - 11	143200	25776	168976	143200	7160	27065	177425
12	G.I. WATER TANKER MOUNTED ON TWO WHEEL TRACTOR TRAILER CAPACITY 5000 LITER WITH FIRE FIGHTING PUMP AND 900x20 NEW TYRES. MODEL - 12	156600	28188	184788	156600	7830	29597	194027

प्रदाय से संबंधित अन्य नियम एवं शर्तें निम्नानुसार रहेंगी :-

- दरों की प्रभावशीलता** : उपरोक्त कय एवं विकय दरें समस्त कर (जी.एस.टी, ड्यूटी, अन्य व्यय), परिवहन/निरीक्षण शुल्क, सहित एफ.ओ.आर. डेस्टीनेशन (विकासखण्ड स्तर तक) पहुंचाकर प्रथम पत्र प्रसारण की दिनांक से आगामी 03 माह तक लागू रहेंगी।
- आदेश की प्रक्रिया** : जिला प्रबंधक प्रदायक/निर्माता कम्पनी के अनुशंसा के साथ प्राप्त मांग को निगम के क्षेत्रीय प्रबंधक को अग्रप्रेषित करेंगे एवं क्षेत्रीय प्रबंधक द्वारा विभाग से राशि प्राप्ति की सुनिश्चितता करते हुए संबंधित प्रदायक/निर्माता कम्पनी के पक्ष में "ऑन-लाईन" रेट कांट्रैक्ट ऑफर डाक्यूमेंट की शर्तानुसार प्रदाय आदेश जारी करेंगे।
 - प्रदाय आदेश में सामग्री का विवरण, प्रदाय दर, प्रदाय शर्तें, प्रदाय स्थल की जानकारी एवं निगम के GSTIN नम्बर आदि का स्पष्ट उल्लेख किया जावे।
 - प्रदाय आदेश में प्रदायगी की समयसीमा का उल्लेख किया जावे। जिला प्रबंधक यह सुनिश्चित करेंगे कि प्रदायक द्वारा आदेशित सामग्री का प्रदाय सही हालत एवं समयसीमा में किया जावे। विलम्ब की स्थिति में प्राप्तकर्ता विभाग की सहमति प्राप्त होने के उपरांत ही प्रदायगी स्वीकार की जावे।
 - क्षेत्रीय प्रबंधक द्वारा आदेश जारी करने के पूर्व यह अवश्य ध्यान रखा जावे कि जिला प्रबंधकों द्वारा जो मांग दी जा रही है वह निश्चित व्यवसाय के विरुद्ध है।
- सामग्री की प्रदायगी** - प्रदायगी क्षेत्रीय प्रबंधक द्वारा लिखित प्रदाय आदेश जारी करने के उपरांत प्रदायक/निर्माता कम्पनी द्वारा प्रदाय आदेश में दिये गये निर्देशों के अनुरूप की जावे।
 - प्रदायक द्वारा देयक पर निगम का GST NO. 23AACCM0330Q12M का उल्लेख किया जाना आवश्यक है। देयक में CGST एवं SGST की राशि का भी उल्लेख किया जावेगा। प्रदायक का उत्तरदायित्व है कि GST का भुगतान नियमानुसार समय से किया जावे व मासिक रिटर्न GSTR-1 में दर्शाया जावे। किसी प्रकार की विसंगति के कारण निगम को कोई हानि होती है तो तदनुसार हानि की राशि की कटौती प्रदायक/निर्माता कम्पनी के देयक से की जावेगी।
 - प्रदायक/निर्माता कम्पनी द्वारा आदेशित सामग्री के प्रदाय के उपरांत देयक तीन प्रतियों में भुगतान हेतु संबंधित जिला प्रबंधक को प्रस्तुत किया जावेगा। देयक के साथ जियो टेगिंग फोटोग्राफ, पावती/संतुष्टि प्रमाण पत्र, सेल लेटर एवं थर्डपार्टी गुणवत्ता रिपोर्ट प्रस्तुत की जानी होगी।
 - आदेशित सामग्री का प्रदाय करते समय प्रदाय की जा रही सामग्री का भौतिक निरीक्षण निगम के जिला प्रबंधक एवं संबंधित विभाग के सक्षम अधिकारी द्वारा किया जावेगा। तदोपरांत पावती एवं संतुष्टि प्रमाण पत्र संयुक्त हस्ताक्षर से जारी किये जावेंगे।



4. **प्राईज़ फार क्लॉस** - निगम के माध्यम से प्रसारित की जा रही विक्रय दरें किसी अन्य शासकीय संस्था/उपक्रम अथवा बाजार में कम्पनी की विक्रय दरों के समतुल्य हैं। यदि भविष्य में बाजार अथवा अन्य संस्था में विक्रय दरों का कम होना निगम के संज्ञान में आता है तो प्रदायकर्ता द्वारा निगम के साथ किये गये अनुबंध दिनांक से उक्त स्थिति के प्रमाणित होने तक प्रदाय की गयी समस्त सामग्री पर वही दर लागू मानते हुए अंतर की राशि की वसूली प्रदायक के लंबित देयकों से की जावेगी। साथ ही निगम प्रदायक के अनुबंध को निरस्त करने हेतु निगम स्वतंत्र रहेगा, जिसके लिए प्रदायक स्वयं उत्तरदायी रहेगा।
5. **सामग्री की गुणवत्ता** -
- (अ) निगम के माध्यम से प्रदाय की जाने वाली सामग्री की गुणवत्ता के लिए प्रदायक / निर्माता कम्पनी पूर्ण रूप से उत्तरदायी होंगे। निर्माता द्वारा जो सामग्री प्रदाय की जावेगी वह निगम द्वारा जारी आर.सी.ओ. में दिये गये स्पेसिफिकेशन, मापदण्ड अनुसार रहेगी। गुणवत्ता के संबंध में किसी भी स्तर पर शिकायत प्राप्त होने पर इसकी सूचना जिला प्रबंधक संबंधित प्रदायक को देते हुए शिकायत का निराकरण करायेंगे एवं की गयी कार्यवाही से क्षेत्रीय प्रबंधक को अवगत करायेंगे। यदि समयसीमा में शिकायत का निराकरण संबंधित प्रदायक/निर्माता कम्पनी द्वारा नहीं किया जाता है तो प्रदाय सामग्री में से विधिवत सैम्पल का परीक्षण किसी मान्यता प्राप्त शासकीय संस्था को गुणवत्ता की जांच के लिए भिजवाया जाये एवं क्षेत्रीय कार्यालय एवं निगम मुख्यालय को सूचित किया जाये, सामग्री की गुणवत्ता उचित मापदण्ड अनुसार नहीं होने पर संबंधित प्रदायक/निर्माता कम्पनी के विरुद्ध अनुबंध एवं आर.सी.ओ. की शर्तों अनुसार कार्यवाही की जा सके। निरीक्षण की फीस प्रदायक को वहन करनी होगी।
- (ब) सामग्री की गुणवत्ता का परीक्षण निगम द्वारा जारी आर.सी.ओ. में उल्लेखित अधिकृत थर्डपार्टी एजेंसी द्वारा किया जावेगा। गुणवत्ता परीक्षण रिपोर्ट प्रदायक द्वारा देयक के साथ संलग्न की जावेगी, जिसमें क्षेत्रीय प्रबंधक द्वारा जारी आदेश की दिनांक एवं संख्या व अन्य पूर्ण विवरण रहेगा। बिना परीक्षण रिपोर्ट के भुगतान नहीं किया जावेगा। निर्माता यह सुनिश्चित करें कि निर्धारित थर्डपार्टी परीक्षण समय पर हो जावे इसके लिए वह स्वयं थर्डपार्टी को अग्रिम में सूचित करेंगे।
6. **भुगतान** - प्रदायक के देयक का भुगतान आदेशानुसार सामग्री प्राप्त होने के उपरान्त संबंधित विभाग/केंद्र से विधिवत पावती, संतुष्टि प्रमाण पत्र, निगम को पूर्ण राशि प्राप्त होने पर **"भुगतान पश्चात् भुगतान"** की शर्त पर तथा थर्डपार्टी निरीक्षण रिपोर्ट प्राप्त होने पर निगम के संबंधित जिला प्रबंधक द्वारा किया जावेगा।
7. **तकनीकी मापदण्ड** : सामग्री के तकनीकी मापदण्ड मुख्यालय द्वारा WATER TANKER MOUNTED ON TWO WHEEL TRACTOR TRAILER हेतु जारी आनलाईन आर.सी.ओ. दिनांक 22.05.2026 में दिये गये हैं। आदेश के साथ तकनीकी मापदण्डों की प्रति भी संलग्न की जावे ताकि प्रदायक यह सुनिश्चित करे कि सामग्री इन्हीं तकनीकी मापदण्ड अनुसार प्रदाय हो सके। (निगम द्वारा जारी आर.सी.ओ. दिनांक 22.05.2026 एवं तकनीकी मापदण्ड निगम के वेबसाइट www.mpagro.org पर उपलब्ध हैं जिला प्रबंधक/क्षेत्रीय प्रबंधक उक्त आर.सी.ओ. एवं तकनीकी मापदण्डों की एक प्रति वेबसाइट से प्रिंट कर रिकार्ड में रखे ताकि प्रदायगी के समय सामग्री की गुणवत्ता का निरीक्षण किया जा सके)
8. **सेल लेटर** : जिला प्रबंधक वाटर टैंकर प्रदायगी में प्रत्येक वाटर टैंकर का ट्रांसपोर्ट विभाग द्वारा निर्धारित "सेल लेटर" निर्माता से प्राप्त किया जाकर संबंधित केंद्र विभाग को उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित करेंगे। टैंकर का ट्रांसपोर्ट विभाग में पंजीयन कराने की जिम्मेवारी केंद्र विभाग की रहेगी। निगम मात्र संबंधित प्रपत्र उपलब्ध करावेगा। निगम के क्षेत्रीय प्रबंधक अपने आदेश में सेल लेटर का स्पष्ट उल्लेख करें एवं आदेश की प्रति केंद्र विभाग को उपलब्ध करायें।
9. **अधिरूपित शास्ति** : In case the supplier does not produce the ordered material within the specified time limit penalty will be imposed as under :-

No.	WEEKS	Rate of penalty imposed
1	1 st to 2 nd week	0.25% per week
2	3 rd to 4th week	0.50% per week
3	in Case the supplier refuse to supply the ordered material	Cancelling the supply order and termination of Agreement and Black listing for 1-5 years.



10. **वारण्टी** : आर.सी.ओ. की कंडिका कर्मांक 14 अनुसार प्रदाय किये जाने वाले WATER TANKER MOUNTED ON TWO WHEEL TRACTOR TRAILER की वारण्टी अवधि 1 वर्ष रहेगी, का उल्लेख आदेश में आवश्यक रूप से किया जावे।

Warranty of Tyre Tube will be as per company rules. If any defect occur in the Tyre Tube within the Warrantee Period then it will be replaced by the Vender. Remolded Tyre will not be allowed at any cost.

11. **ट्रेड सार्टिफिकेट** : वाटर टैंकर प्रदायगी के पूर्व जिला प्रबंधक यह सुनिश्चित करेंगे कि प्रदायक/ निर्माता द्वारा ट्रेड सार्टिफिकेट की वैधता अवधि में रागम्री का प्रदाय किया गया है। जिला प्रबंधक/ क्षेत्रीय प्रबंधक प्रदायक से ट्रेड सार्टिफिकेट की प्रति प्राप्त करें। यदि प्रदायक/ निर्माता द्वारा ट्रेड सार्टिफिकेट की वैधता अवधि समाप्ति के उपरांत वाटर टैंकर का प्रदाय किया जाता है तो जिला प्रबंधक को उक्त प्रदाय आदेश निरस्त करने का अधिकार होगा। ऐसी स्थिति में क्षतिपूर्ति के लिए निर्माता/ प्रदायक पूर्ण रूप से उत्तरदायी है।

12. **दरों की एक मात्र मान्यता** : अनुमोदित दरें केवल निगम के माध्यम से प्रदायगी हेतु हैं, अन्य किसी विभाग द्वारा इन दरों पर व्यवसाय करने की स्थिति में निगम किसी भी प्रकार से उत्तरदायी नहीं होगा।

13. **अन्य नियम एवं शर्तें** : उपरोक्त के अतिरिक्त अन्य नियम एवं शर्तें मुख्यालय द्वारा WATER TANKER MOUNTED ON TWO WHEEL TRACTOR TRAILER 5000 लीटर, 5500 लीटर तथा 5000 लीटर फायर फायटर (MS/GI) के प्रदाय हेतु जारी ऑनलाईन आर.सी.ओ. दिनांक 22.05.2026 अनुसार रहेगी।

इस परिपत्र प्रसारण के जारी होने की दिनांक से मुख्यालय द्वारा WATER TANKER MOUNTED ON TWO WHEEL TRACTOR TRAILER 5000 लीटर, 5500 लीटर तथा 5000 लीटर फायर फायटर (MS/GI) हेतु उपरोक्त प्रदायक की पूर्व प्रसारित समस्त दरें निरस्त मानी जावेगी।

प्रतिलिपि :- ¹⁰⁹⁷
23-5-26

1. आयुक्त, म.प्र.शासन, उद्यानिकी एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग की ओर सूचनार्थ।
2. कलेक्टर (समस्त) की ओर सूचनार्थ।
3. आयुक्त, आर्थिक एवं सांख्यिकी संचालनालय, भूतल - विन्ध्याचल भवन, भोपाल (म.प्र.)
4. संचालक कृषि अभियांत्रिकी, आफिस काम्पलेक्स, बी-ब्लॉक, गौतम नगर, भोपाल।
5. आयुक्त नगरीय प्रशासन एवं विकास, पालिका भवन, नियर 6 नम्बर बस स्टाप, शिवाजी नगर, भोपाल - 462016
6. निज सहायक मा. प्रबंध संचालक, मुख्यालय, भोपाल की ओर सूचनार्थ।
7. महाप्रबंधक (वित्त), मुख्यालय, भोपाल की ओर सूचनार्थ।
8. **M/S NEW MALWA AGRO & FABRICATORS - OFFICE ADDRESS - 81 BASANT VIHAR DHAR**



प्रबंधक (विपणन)
23/5/26

प्रबंधक (विपणन)
23/5/26



M.P. STATE AGRO INDUSTRIES DEVELOPMENT CORPORATION LTD.
PANCHANAN, 3RD FLOOR, MALVIYA NAGAR, BHOPAL-462003
☎- 0755- 2551652, 2551756 Fax - 0755 2557305 email - mpagrohobpl@gmail.com
website : www.mpstateagro.nic.in - CIN No. U01119MP1969SGC001055

क्रमांक : मुख्या/विपणन/वाटर टैंकर/2026-27/1098

दिनांक : 23.07.2026

प्रति,

जिला प्रबंधक (समस्त),
क्षेत्रीय प्रबंधक (समस्त),

विषय : WATER TANKER MOUNTED ON TWO WHEEL TRACTOR TRAILER (MS/GI) की दरों के प्रसारण के संबंध में।

संदर्भ : मुख्यालय द्वारा WATER TANKER MOUNTED ON TWO WHEEL TRACTOR TRAILER (MS/GI) हेतु जारी आर.सी.ओ. दिनांक 22.05.2026

निगम के माध्यम से WATER TANKER MOUNTED ON TWO WHEEL TRACTOR TRAILER (5000 लीटर, 5500 लीटर तथा 5000 लीटर फायर फायटर - MS/GI) हेतु "ऑन-लाइन" रेट कॉन्ट्रैक्ट ऑफर आमंत्रित किया गया था, आकर में प्राप्त न्यूनतम एल-1 दरों के आधार पर समिति द्वारा की गयी अनुशंसा अनुसार निर्माताओं से सहमति प्राप्त कर अनुबंध संपादित किया गया है। अनुबंधित प्रदायक का विवरण एवं निगम की कय-विकय दरें FOR DESTINATION (प्रदाय स्थल तक पहुंचाकर) लोडिंग एवं अनलोडिंग सहित निम्नानुसार रहेंगी :-

M/S PUNA IRON INDUSTRIES - IN FRONT OF PANDEY BUILDING, BADABAGH, NEEM CHOWK REWA (MP) CONTECT PERSON - RAMAKANT PANDEY : 9090871100								
S.N.	NAME OF ITEM	PURCHASE PRICE			SELLING PRICE			
		BASIC PRICE	GST @ 18% ON (A)	TOTAL PURCHASE PRICE (A+B)	BASIC PRICE	CORPORATION MARGIN @ 5% ON BASIC	GST @ 18% ON (D+ E)	FINAL SALLING PRICE (D+E+F)
M.S. WATER TANKER		A	B	C	D	E	F	G
1	M.S. WATER TANKER MOUNTED ON TWO WHEEL TRACTOR TRAILER CAPACITY 5500 LITER WITH 900x16 NEW TYRES. MODEL - 3	103150	18567	121717	103150	5158	19495	127803
2	M.S. WATER TANKER MOUNTED ON TWO WHEEL TRACTOR TRAILER CAPACITY 5500 LITER WITH 900x20 NEW TYRES. MODEL - 4	101400	18252	119652	101400	5070	19165	125635
3	M.S. WATER TANKER MOUNTED ON TWO WHEEL TRACTOR TRAILER CAPACITY 5000 LITER WITH FIRE FIGHTING PUMP AND 900x16 NEW TYRES. MODEL - 5	135000	24300	159300	135000	6750	25515	167265
4	M.S. WATER TANKER MOUNTED ON TWO WHEEL TRACTOR TRAILER CAPACITY 5000 LITER WITH FIRE FIGHTING PUMP AND 900x20 NEW TYRES. MODEL - 6	142200	25596	167796	142200	7110	26876	176186
G.I. WATER TANKER								
5	G.I. WATER TANKER MOUNTED ON TWO WHEEL TRACTOR TRAILER CAPACITY 5500 LITER WITH 900x16 NEW TYRES. MODEL - 9	118800	21384	140184	118800	5940	22453	147193
6	G.I. WATER TANKER MOUNTED ON TWO WHEEL TRACTOR TRAILER CAPACITY 5500 LITER WITH 900x20 NEW TYRES. MODEL - 10	130100	23418	153518	130100	6505	24589	161194
7	G.I. WATER TANKER MOUNTED ON TWO WHEEL TRACTOR TRAILER CAPACITY 5000 LITER WITH FIRE FIGHTING PUMP AND 900x16 NEW TYRES. MODEL - 11	143200	25776	168976	143200	7160	27065	177425



S.N.	NAME OF ITEM	PURCHASE PRICE			SELLING PRICE			
		A	B	C	D	E	F	G
8	G.I WATER TANKER MOUNTED ON TWO WHEEL TRACTOR TRAILER CAPACITY 5000 LITER WITH FIRE FIGHTING PUMP AND 900x20 NEW TYRES MODEL - 12	156600	28188	184788	156600	7830	29597	194027

प्रदाय से संबंधित अन्य नियम एवं शर्तें निम्नानुसार रहेंगी :-

- दरों की प्रभावशीलता** : उपरोक्त कय एवं विक्रय दरें समस्त कर (जी.एस.टी, ड्यूटी, अन्य व्यय), परिवहन/निरीक्षण शुल्क, सहित एफ.ओ.आर. डेस्टीनेशन (विकासखण्ड स्तर तक) पहुंचाकर प्रथम पत्र प्रसारण की दिनांक से आगामी 03 माह तक लागू रहेंगी।
- आदेश की प्रक्रिया** : जिला प्रबंधक प्रदायक/निर्माता कम्पनी के अनुशंसा के साथ प्राप्त मांग को निगम के क्षेत्रीय प्रबंधक को अग्रेषित करेंगे एवं क्षेत्रीय प्रबंधक द्वारा विभाग से राशि प्राप्ति की सुनिश्चितता करते हुए संबंधित प्रदायक/निर्माता कम्पनी के पक्ष में "ऑन-लाइन" रेट कांटेक्ट ऑफर डाक्यूमेंट की शर्तानुसार प्रदाय आदेश जारी करेंगे।
 - प्रदाय आदेश में सामग्री का विवरण, प्रदाय दर, प्रदाय शर्तें, प्रदाय स्थल की जानकारी एवं निगम के GSTIN नम्बर आदि का स्पष्ट उल्लेख किया जावे।
 - प्रदाय आदेश में प्रदायगी की समयसीमा का उल्लेख किया जावे। जिला प्रबंधक यह सुनिश्चित करेंगे कि प्रदायक द्वारा आदेशित सामग्री का प्रदाय सही हालत एवं समयसीमा में किया जावे। विलम्ब की स्थिति में प्राप्तकर्ता विभाग की सहमति प्राप्त होने के उपरांत ही प्रदायगी स्वीकार की जावे।
 - क्षेत्रीय प्रबंधक द्वारा आदेश जारी करने के पूर्व यह अवश्य ध्यान रखा जावे कि जिला प्रबंधकों द्वारा जो मांग दी जा रही है वह निश्चित व्यवसाय के विरुद्ध है।
- सामग्री की प्रदायगी** - प्रदायगी क्षेत्रीय प्रबंधक द्वारा लिखित प्रदाय आदेश जारी करने के उपरांत प्रदायक/निर्माता कम्पनी द्वारा प्रदाय आदेश में दिये गये निर्देशों के अनुरूप की जावे।
 - प्रदायक द्वारा देयक पर निगम का GST NO. 23AACCM0330Q1ZM का उल्लेख किया जाना आवश्यक है। देयक में CGST एवं SGST की राशि का भी उल्लेख किया जावेगा। प्रदायक का उत्तरदायित्व है कि GST का भुगतान नियमानुसार समय से किया जावे व मासिक रिटर्न GSTR-1 में दर्शाया जावे। किसी प्रकार की विसंगति के कारण निगम को कोई हानि होती है तो तदनुसार हानि की राशि की कटौती प्रदायक/निर्माता कम्पनी के देयक से की जावेगी।
 - प्रदायक/निर्माता कम्पनी द्वारा आदेशित सामग्री के प्रदाय के उपरांत देयक तीन प्रतियों में भुगतान हेतु संबंधित जिला प्रबंधक को प्रस्तुत किया जावेगा। देयक के साथ जियो टैगिंग फोटोग्राफ, पावती/संतुष्टि प्रमाण पत्र, सेल लेटर एवं थर्डपार्टी गुणवत्ता रिपोर्ट प्रस्तुत की जानी होगी।
 - आदेशित सामग्री का प्रदाय करते समय प्रदाय की जा रही सामग्री का भौतिक निरीक्षण निगम के जिला प्रबंधक एवं संबंधित विभाग के सक्षम अधिकारी द्वारा किया जावेगा। तदोपरांत पावती एवं संतुष्टि प्रमाण पत्र संयुक्त हस्ताक्षर से जारी किये जावेंगे।
- प्राइज फार क्लॉस** - निगम के माध्यम से प्रसारित की जा रही विक्रय दरें किसी अन्य शासकीय संस्था/उपक्रम अथवा बाजार में कम्पनी की विक्रय दरों के समतुल्य है। यदि भविष्य में बाजार अथवा अन्य संस्था में विक्रय दरों का कम होना निगम के संज्ञान में आता है तो प्रदायकर्ता द्वारा निगम के साथ किये गये अनुबंध दिनांक से उक्त स्थिति के प्रमाणित होने तक प्रदाय की गयी समस्त सामग्री पर वही दर लागू मानते हुए अंतर की राशि की वसूली प्रदायक के लंबित देयकों से की जावेगी। साथ ही निगम प्रदायक के अनुबंध को निरस्त करने हेतु निगम स्वतंत्र रहेगा, जिसके लिए प्रदायक स्वयं उत्तरदायी रहेगा।



5. सामग्री की गुणवत्ता -

(अ) निगम के माध्यम से प्रदाय की जाने वाली सामग्री की गुणवत्ता के लिए प्रदायक / निर्माता कम्पनी पूर्ण रूप से उत्तरदायी होंगे। निर्माता द्वारा जो सामग्री प्रदाय की जावेगी वह निगम द्वारा जारी आर.सी.ओ. में दिये गये स्पेसिफिकेशन, मापदण्ड अनुसार रहेगी। गुणवत्ता के संबंध में किसी भी स्तर पर शिकायत प्राप्त होने पर इसकी सूचना जिला प्रबंधक संबंधित प्रदायक को देते हुए शिकायत का निराकरण करावेंगे एवं की गयी कार्यवाही से क्षेत्रीय प्रबंधक को अवगत करावेंगे। यदि समयसीमा में शिकायत का निराकरण संबंधित प्रदायक/निर्माता कम्पनी द्वारा नहीं किया जाता है तो प्रदाय सामग्री में से विधिवत सैम्पल का परीक्षण किसी मान्यता प्राप्त शासकीय संस्था को गुणवत्ता की जांच के लिए भिजवाया जावे एवं क्षेत्रीय कार्यालय एवं निगम मुख्यालय को सूचित किया जावे, सामग्री की गुणवत्ता उचित मापदण्ड अनुसार नहीं होने पर संबंधित प्रदायक/निर्माता कम्पनी के विरुद्ध अनुबंध एवं आर.सी.ओ. की शर्तों अनुसार कार्यवाही की जा सके। निरीक्षण की फीस प्रदायक को वहन करनी होगी।

(ब) सामग्री की गुणवत्ता का परीक्षण निगम द्वारा जारी आर.सी.ओ. में उल्लेखित अधिकृत थर्डपार्टी एजेन्सी द्वारा किया जावेगा। गुणवत्ता परीक्षण रिपोर्ट प्रदायक द्वारा देयक के साथ संलग्न की जावेगी, जिसमें क्षेत्रीय प्रबंधक द्वारा जारी आदेश की दिनांक एवं संख्या व अन्य पूर्ण विवरण रहेगा। बिना परीक्षण रिपोर्ट के भुगतान नहीं किया जावेगा। निर्माता यह सुनिश्चित करें कि निर्धारित थर्डपार्टी परीक्षण समय पर हो जावे इसके लिए वह स्वयं थर्डपार्टी को अग्रिम में सूचित करेंगे।

6. **भुगतान** - प्रदायक के देयक का भुगतान आदेशानुसार सामग्री प्राप्त होने के उपरांत संबंधित विभाग/कंता से विधिवत पावती, संतुष्टि प्रमाण पत्र, निगम को पूर्ण राशि प्राप्त होने पर **"भुगतान पश्चात् भुगतान"** की शर्त पर तथा थर्डपार्टी निरीक्षण रिपोर्ट प्राप्त होने पर निगम के संबंधित जिला प्रबंधक द्वारा किया जावेगा।

7. **तकनीकी मापदण्ड** : सामग्री के तकनीकी मापदण्ड मुख्यालय द्वारा WATER TANKER MOUNTED ON TWO WHEEL TRACTOR TRAILER हेतु जारी आनलाईन आर.सी.ओ. दिनांक 22.05.2026 में दिये गये हैं। आदेश के साथ तकनीकी मापदण्डों की प्रति भी संलग्न की जावे ताकि प्रदायक यह सुनिश्चित करे कि सामग्री इन्हीं तकनीकी मापदण्ड अनुसार प्रदाय हो सके। (निगम द्वारा जारी आर.सी.ओ. दिनांक 22.05.2026 एवं तकनीकी मापदण्ड निगम के वेबसाइट www.mpagro.org पर उपलब्ध हैं जिला प्रबंधक/क्षेत्रीय प्रबंधक उक्त आर.सी.ओ. एवं तकनीकी मापदण्डों की एक प्रति वेबसाइट से प्रिंट कर रिकार्ड में रखे ताकि प्रदायगी के समय सामग्री की गुणवत्ता का निरीक्षण किया जा सके)

8. **सेल लेटर** : जिला प्रबंधक वाटर टैंकर प्रदायगी में प्रत्येक वाटर टैंकर का ट्रांसपोर्ट विभाग द्वारा निर्धारित "सेल लेटर" निर्माता से प्राप्त किया जाकर संबंधित कंता विभाग को उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित करेंगे। टैंकर का ट्रांसपोर्ट विभाग में पंजीयन कराने की जिम्मेवारी कंता विभाग की रहेगी। निगम मात्र संबंधित प्रपत्र उपलब्ध करावेगा। निगम के क्षेत्रीय प्रबंधक अपने आदेश में सेल लेटर का स्पष्ट उल्लेख करें एवं आदेश की प्रति कंता विभाग को उपलब्ध करावें।

9. **अधिशोषित शास्ति** : In case the supplier does not produce the ordered material within the specified time limit penalty will be imposed as under :-

No.	WEEKS	Rate of penalty imposed
1	1 st to 2 nd week	0.25% per week
2	3 rd to 4th week	0.50% per week
3	in Case the supplier refuse to supply the ordered material	Cancelling the supply order and temination of Agreement and Black listing for 1-5 years.

10. **वारण्टी** : आर.सी.ओ. की कंडिका क्रमांक 14 अनुसार प्रदाय किये जाने वाले WATER TANKER MOUNTED ON TWO WHEEL TRACTOR TRAILER की वारण्टी अवधि 1 वर्ष रहेगी, का उल्लेख आदेश में आवश्यक रूप से किया जावे।

Warranty of Tyre Tube will be as per company rules. if any defect occur in the Tyre Tube within the Warrantee Period then it will be replaced by the Vender. Remolded Tyre will not be allowed at any cost .



11. **ट्रेड सार्टिफिकेट** : वाटर टैंकर प्रदायगी के पूर्व जिला प्रबंधक यह सुनिश्चित करेंगे कि प्रदायक/ निर्माता द्वारा ट्रेड सार्टिफिकेट की वैधता अवधि में सामग्री का प्रदाय किया गया है। जिला प्रबंधक/ क्षेत्रीय प्रबंधक प्रदायक से ट्रेड सार्टिफिकेट की प्रति प्राप्त करें। यदि प्रदायक/निर्माता द्वारा ट्रेड सार्टिफिकेट की वैधता अवधि समाप्ति के उपरांत वाटर टैंकर का प्रदाय किया जाता है तो जिला प्रबंधक को उक्त प्रदाय आदेश निरस्त करने का अधिकार होगा। ऐसी स्थिति में क्षतिपूर्ति के लिए निर्माता/प्रदायक पूर्ण रूप से उत्तरदायी है।
12. **दरों की एक मात्र मान्यता** : अनुमोदित दरें केवल निगम के माध्यम से प्रदायगी हेतु हैं, अन्य किसी विभाग द्वारा इन दरों पर व्यवसाय करने की स्थिति में निगम किसी भी प्रकार से उत्तरदायी नहीं होगा।
13. **अन्य नियम एवं शर्तें** : उपरोक्त के अतिरिक्त अन्य नियम एवं शर्तें मुख्यालय द्वारा WATER TANKER MOUNTED ON TWO WHEEL TRACTOR TRAILER 5000 लीटर, 5500 लीटर तथा 5000 लीटर फायर फायटर (MS/GI) के प्रदाय हेतु जारी ऑनलाईन आर.सी.ओ. दिनांक 22.05.2026 अनुसार रहेगी।

इस परिपत्र प्रसारण के जारी होने की दिनांक से मुख्यालय द्वारा WATER TANKER MOUNTED ON TWO WHEEL TRACTOR TRAILER 5000 लीटर, 5500 लीटर तथा 5000 लीटर फायर फायटर (MS/GI) हेतु उपरोक्त प्रदायक की पूर्व प्रसारित समस्त दरें निरस्त मानी जावेगी।

प्रतिलिपि :-

1099
23-7-26

1. आयुक्त, म.प्र.शासन, उद्यानिकी एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग की ओर सूचनार्थ।
2. कलेक्टर (समस्त) की ओर सूचनार्थ।
3. आयुक्त, आर्थिक एवं सांख्यिकी संचालनालय, भूतल - विन्ध्याचल भवन, भोपाल (म.प्र.)
4. संचालक कृषि अभियांत्रिकी, आफिस काम्पलेक्स, बी-ब्लॉक, गौतम नगर, भोपाल।
5. आयुक्त नगरीय प्रशासन एवं विकास, पालिका भवन, नियर 6 नम्बर बस स्टॉप, शिवाजी नगर, भोपाल - 462016
6. निज सहायक मा. प्रबंध संचालक, मुख्यालय, भोपाल की ओर सूचनार्थ।
7. महाप्रबंधक (वित्त), मुख्यालय, भोपाल की ओर सूचनार्थ।
8. **M/S PUNA IRON INDUSTRIES - IN FRONT OF PANDEY BUILDING, BADABAGH, NEEM CHOWK REWA (MP)**

प्रबंधक (विपणन)
23/7/26

प्रबंधक (विपणन)
23/7/26





M.P. STATE AGRO INDUSTRIES DEVELOPMENT CORPORATION LTD.
PANCHANAN, 3RD FLOOR, MALVIYA NAGAR, BHOPAL-462003
☎- 0755- 2551652, 2551756 Fax - 0755 2557305 email - mpagrohbpl@gmail.com
website : www.mpstateagro.nic.in - CIN No. U01119MP1969SGC001055

क्रमांक : मुख्या/विपणन/वाटर टैंकर/2026-27/1102

दिनांक : 23.07.2026

प्रति,

जिला प्रबंधक (समस्त),
क्षेत्रीय प्रबंधक (समस्त),

विषय : WATER TANKER MOUNTED ON TWO WHEEL TRACTOR TRAILER (MS/GI) की दरों के प्रसारण के संबंध में।

संदर्भ : मुख्यालय द्वारा WATER TANKER MOUNTED ON TWO WHEEL TRACTOR TRAILER (MS/GI) हेतु जारी आर.सी.ओ. दिनांक 22.05.2026

निगम के माध्यम से WATER TANKER MOUNTED ON TWO WHEEL TRACTOR TRAILER (5000 लीटर, 5500 लीटर तथा 5000 लीटर फायर फायटर - MS/GI) हेतु "ऑन-लाईन" रेट कॉन्ट्रैक्ट ऑफर आमंत्रित किया गया था, आफर में प्राप्त न्यूनतम एल-1 दरों के आधार पर समिति द्वारा की गयी अनुशंसा अनुसार निर्माताओं से सहमति प्राप्त कर अनुबंध संपादित किया गया है। अनुबंधित प्रदायक का विवरण एवं निगम की कय-विकय दरें FOR DESTINATION (प्रदाय स्थल तक पहुंचाकर) लोडिंग एवं अनलोडिंग सहित निम्नानुसार रहेंगी :-

M/S TRUE VISION INC - OFFICE ADDRESS : 205, PRAMILA PLAZA NEAR CHAUHAN PIYAU, THTIPUR, GWALIOR **CONTACT PERSON - HARI MOHAN BOHRE :** 7999019721

S.N.	NAME OF ITEM	PURCHASE PRICE			SELLING PRICE			
		BASIC PRICE	GST @ 18% ON (A)	TOTAL PURCHASE PRICE (A+B)	BASIC PRICE	CORPORATION MARGIN @ 5% ON BASIC	GST @ 18% ON (D+ E)	FINAL SALLING PRICE (D+E+F)
M.S. WATER TANKER		A	B	C	D	E	F	G
1	M.S. WATER TANKER MOUNTED ON TWO WHEEL TRACTOR TRAILER CAPACITY 5000 LITER WITH 900x16 NEW TYRES. MODEL - 1	101700	18306	120006	101700	5085	19221	126006
2	M.S. WATER TANKER MOUNTED ON TWO WHEEL TRACTOR TRAILER CAPACITY 5000 LITER WITH NEW 900x20 TYRES. MODEL - 2	104131	18744	122875	104131	5207	19681	129018
3	M.S. WATER TANKER MOUNTED ON TWO WHEEL TRACTOR TRAILER CAPACITY 5500 LITER WITH 900x16 NEW TYRES. MODEL - 3	103150	18567	121717	103150	5158	19495	127803
4	M.S. WATER TANKER MOUNTED ON TWO WHEEL TRACTOR TRAILER CAPACITY 5500 LITER WITH 900x20 NEW TYRES. MODEL - 4	101400	18252	119652	101400	5070	19165	125635
5	M.S. WATER TANKER MOUNTED ON TWO WHEEL TRACTOR TRAILER CAPACITY 5000 LITER WITH FIRE FIGHTING PUMP AND 900x16 NEW TYRES. MODEL - 5	135000	24300	159300	135000	6750	25515	167265
6	M.S. WATER TANKER MOUNTED ON TWO WHEEL TRACTOR TRAILER CAPACITY 5000 LITER WITH FIRE FIGHTING PUMP AND 900x20 NEW TYRES. MODEL - 6	142200	25596	167796	142200	7110	26876	176186
G.I. WATER TANKER								
7	G.I. WATER TANKER MOUNTED ON TWO WHEEL TRACTOR TRAILER CAPACITY 5000 LITER WITH 900x16 NEW TYRES. MODEL - 7	113200	20376	133576	113200	5660	21395	140255



8	G.I. WATER TANKER MOUNTED ON TWO WHEEL TRACTOR TRAILER CAPACITY 5000 LITER WITH NEW 900x20 TYRES. MODEL - 8	117600	21168	138768	117600	5880	22226	145706
9	G.I. WATER TANKER MOUNTED ON TWO WHEEL TRACTOR TRAILER CAPACITY 5500 LITER WITH 900x16 NEW TYRES. MODEL - 9	118800	21384	140184	118800	5940	22453	147193
10	G.I. WATER TANKER MOUNTED ON TWO WHEEL TRACTOR TRAILER CAPACITY 5500 LITER WITH 900x20 NEW TYRES. MODEL - 10	130100	23418	153518	130100	6505	24589	161194
11	G.I. WATER TANKER MOUNTED ON TWO WHEEL TRACTOR TRAILER CAPACITY 5000 LITER WITH FIRE FIGHTING PUMP AND 900x16 NEW TYRES. MODEL - 11	143200	25776	168976	143200	7160	27065	177425
12	G.I. WATER TANKER MOUNTED ON TWO WHEEL TRACTOR TRAILER CAPACITY 5000 LITER WITH FIRE FIGHTING PUMP AND 900x20 NEW TYRES. MODEL - 12	156600	28188	184788	156600	7830	29597	194027

प्रदाय से संबंधित अन्य नियम एवं शर्तें निम्नानुसार रहेंगी :-

- दरों की प्रभावशीलता** : उपरोक्त कय एवं विकय दरें समस्त कर (जी.एस.टी, ड्यूटी, अन्य व्यय), परिवहन/निरीक्षण शुल्क, सहित एफ.ओ.आर. डेस्टीनेशन (विकासखण्ड स्तर तक) पहुंचाकर प्रथम पत्र प्रसारण की दिनांक से आगामी 03 माह तक लागू रहेंगी।
- आदेश की प्रक्रिया** : जिला प्रबंधक प्रदायक/निर्माता कम्पनी के अनुशंसा के साथ प्राप्त मांग को निगम के क्षेत्रीय प्रबंधक को अग्रेषित करेंगे एवं क्षेत्रीय प्रबंधक द्वारा विभाग से राशि प्राप्ति की सुनिश्चितता करते हुए संबंधित प्रदायक/निर्माता कम्पनी के पक्ष में "ऑन-लाइन" रेट काट्रेक्ट ऑफर डाक्यूमेंट की शर्तानुसार प्रदाय आदेश जारी करेंगे।
 - प्रदाय आदेश में सामग्री का विवरण, प्रदाय दर, प्रदाय शर्तें, प्रदाय स्थल की जानकारी एवं निगम के GSTN नम्बर आदि का स्पष्ट उल्लेख किया जावे।
 - प्रदाय आदेश में प्रदायगी की समयसीमा का उल्लेख किया जावे। जिला प्रबंधक यह सुनिश्चित करेंगे कि प्रदायक द्वारा आदेशित सामग्री का प्रदाय सही हालत एवं समयसीमा में किया जावे। विलम्ब की स्थिति में प्राप्तकर्ता विभाग की सहमति प्राप्त होने के उपरांत ही प्रदायगी स्वीकार की जावे।
 - क्षेत्रीय प्रबंधक द्वारा आदेश जारी करने के पूर्व यह अवश्य ध्यान रखा जावे कि जिला प्रबंधकों द्वारा जो मांग दी जा रही है वह निश्चित व्यवसाय के विरुद्ध है।
- सामग्री की प्रदायगी** - प्रदायगी क्षेत्रीय प्रबंधक द्वारा लिखित प्रदाय आदेश जारी करने के उपरांत प्रदायक/निर्माता कम्पनी द्वारा प्रदाय आदेश में दिये गये निर्देशों के अनुरूप की जावे।
 - प्रदायक द्वारा देयक पर निगम का GST NO. 23AACCM0330Q1ZM का उल्लेख किया जाना आवश्यक है। देयक में CGST एवं SGST की राशि का भी उल्लेख किया जावेगा। प्रदायक का उत्तरदायित्व है कि GST का भुगतान नियमानुसार समय से किया जावे व मासिक रिटर्न GSTR-1 में दर्शाया जावे। किसी प्रकार की विसंगति के कारण निगम को कोई हानि होती है तो तदनुसार हानि की राशि की कटौती प्रदायक/निर्माता कम्पनी के देयक से की जावेगी।
 - प्रदायक/निर्माता कम्पनी द्वारा आदेशित सामग्री के प्रदाय के उपरांत देयक तीन प्रतियों में भुगतान हेतु संबंधित जिला प्रबंधक को प्रस्तुत किया जावेगा। देयक के साथ जियो टैगिंग फोटोग्राफ, पावती/संतुष्टि प्रमाण पत्र, सेल लेटर एवं थर्डपार्टी गुणवत्ता रिपोर्ट प्रस्तुत की जानी होगी।
 - आदेशित सामग्री का प्रदाय करते समय प्रदाय की जा रही सामग्री का भौतिक निरीक्षण निगम के जिला प्रबंधक एवं संबंधित विभाग के सक्षम अधिकारी द्वारा किया जावेगा। तदोपरांत पावती एवं संतुष्टि प्रमाण पत्र संयुक्त हस्ताक्षर से जारी किये जावेंगे।



4. **प्राइज़ फार क्लॉस** – निगम के माध्यम से प्रसारित की जा रही विक्रय दरें किसी अन्य शासकीय संस्था/उपक्रम अथवा बाजार में कम्पनी की विक्रय दरों के समतुल्य है। यदि भविष्य में बाजार अथवा अन्य संस्था में विक्रय दरों का कम होना निगम के संज्ञान में आता है तो प्रदायकर्ता द्वारा निगम के साथ किये गये अनुबंध दिनांक से उक्त स्थिति के प्रमाणित होने तक प्रदाय की गयी समस्त सामग्री पर वही दर लागू मानते हुए अंतर की राशि की वसूली प्रदायक के लंबित देयकों से की जावेगी। साथ ही निगम प्रदायक के अनुबंध को निरस्त करने हेतु निगम स्वतंत्र रहेगा, जिसके लिए प्रदायक स्वयं उत्तरदायी रहेगा।
5. **सामग्री की गुणवत्ता** –
- (अ) निगम के माध्यम से प्रदाय की जाने वाली सामग्री की गुणवत्ता के लिए प्रदायक / निर्माता कम्पनी पूर्ण रूप से उत्तरदायी होंगे। निर्माता द्वारा जो सामग्री प्रदाय की जावेगी वह निगम द्वारा जारी आर.सी.ओ. में दिये गये स्पेसिफिकेशन, मापदण्ड अनुसार रहेगी। गुणवत्ता के संबंध में किसी भी स्तर पर शिकायत प्राप्त होने पर इसकी सूचना जिला प्रबंधक संबंधित प्रदायक को देते हुए शिकायत का निराकरण करावेंगे एवं की गयी कार्यवाही से क्षेत्रीय प्रबंधक को अवगत करावेंगे। यदि समयसीमा में शिकायत का निराकरण संबंधित प्रदायक/निर्माता कम्पनी द्वारा नहीं किया जाता है तो प्रदाय सामग्री में से विधिवत सैम्पल का परीक्षण किसी मान्यता प्राप्त शासकीय संस्था को गुणवत्ता की जांच के लिए भिजवाया जावे एवं क्षेत्रीय कार्यालय एवं निगम मुख्यालय को सूचित किया जावे, सामग्री की गुणवत्ता उचित मापदण्ड अनुसार नहीं होने पर संबंधित प्रदायक/निर्माता कम्पनी के विरुद्ध अनुबंध एवं आर.सी.ओ. की शर्तों अनुसार कार्यवाही की जा सके। निरीक्षण की फीस प्रदायक को वहन करनी होगी।
- (ब) सामग्री की गुणवत्ता का परीक्षण निगम द्वारा जारी आर.सी.ओ. में उल्लेखित अधिकृत थर्डपार्टी एजेन्सी द्वारा किया जावेगा। गुणवत्ता परीक्षण रिपोर्ट प्रदायक द्वारा देयक के साथ संलग्न की जावेगी, जिसमें क्षेत्रीय प्रबंधक द्वारा जारी आदेश की दिनांक एवं संख्या व अन्य पूर्ण विवरण रहेगा। बिना परीक्षण रिपोर्ट के भुगतान नहीं किया जावेगा। निर्माता यह सुनिश्चित करें कि निर्धारित थर्डपार्टी परीक्षण समय पर हो जावे इसके लिए वह स्वयं थर्डपार्टी को अग्रिम में सूचित करेंगे।
6. **भुगतान** – प्रदायक के देयक का भुगतान आदेशानुसार सामग्री प्राप्त होने के उपरान्त संबंधित विभाग/क़ेता से विधिवत पावती, संतुष्टि प्रमाण पत्र, निगम को पूर्ण राशि प्राप्त होने पर **“भुगतान पश्चात् भुगतान”** की शर्त पर तथा थर्डपार्टी निरीक्षण रिपोर्ट प्राप्त होने पर निगम के संबंधित जिला प्रबंधक द्वारा किया जावेगा।
7. **तकनीकी मापदण्ड** : सामग्री के तकनीकी मापदण्ड मुख्यालय द्वारा WATER TANKER MOUNTED ON TWO WHEEL TRACTOR TRAILER हेतु जारी आनलाईन आर.सी.ओ. दिनांक 22.05.2026 में दिये गये हैं। आदेश के साथ तकनीकी मापदण्डों की प्रति भी संलग्न की जावे ताकि प्रदायक यह सुनिश्चित करे कि सामग्री इन्हीं तकनीकी मापदण्ड अनुसार प्रदाय हो सके। (निगम द्वारा जारी आर.सी.ओ. दिनांक 22.05.2026 एवं तकनीकी मापदण्ड निगम के वेबसाइट www.mpagro.org पर उपलब्ध हैं जिला प्रबंधक/क्षेत्रीय प्रबंधक उक्त आर.सी.ओ. एवं तकनीकी मापदण्डों की एक प्रति वेबसाइट से प्रिंट कर रिकार्ड में रखे ताकि प्रदायगी के समय सामग्री की गुणवत्ता का निरीक्षण किया जा सके)
8. **सेल लेटर** : जिला प्रबंधक वाटर टैंकर प्रदायगी में प्रत्येक वाटर टैंकर का ट्रांसपोर्ट विभाग द्वारा निर्धारित **“सेल लेटर”** निर्माता से प्राप्त किया जाकर संबंधित क़ेता विभाग को उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित करेंगे। टैंकर का ट्रांसपोर्ट विभाग में पंजीयन कराने की जिम्मेवारी क़ेता विभाग की रहेगी। निगम मात्र संबंधित प्रपत्र उपलब्ध करावेगा। निगम के क्षेत्रीय प्रबंधक अपने आदेश में सेल लेटर का स्पष्ट उल्लेख करें एवं आदेश की प्रति क़ेता विभाग को उपलब्ध करावें।
9. **अधिरूपित शास्ति** : In case the supplier does not produce the ordered material within the specified time limit penalty will be imposed as under :-

No.	WEEKS	Rate of penalty imposed
1	1 st to 2 nd week	0.25% per week
2	3 rd to 4th week	0.50% per week
3	in Case the supplier refuse to supply the ordered material	Cancelling the supply order and termination of Agreement and Black listing for 1-5 years.



10. **वारण्टी** : आर.सी.ओ. की कंडिका कमांक 14 अनुसार प्रदाय किये जाने वाले WATER TANKER MOUNTED ON TWO WHEEL TRACTOR TRAILER की वारण्टी अवधि 1 वर्ष रहेगी, का उल्लेख आदेश में आवश्यक रूप से किया जावे।
Warranty of Tyre Tube will be as per company rules. If any defect occur in the Tyre Tube within the Warrantee Period then it will be replaced by the Vender. Remolded Tyre will not be allowed at any cost.
11. **ट्रेड सर्टिफिकेट** : वाटर टैंकर प्रदायगी के पूर्व जिला प्रबंधक यह सुनिश्चित करेंगे कि प्रदायक/ निर्माता द्वारा ट्रेड सर्टिफिकेट की वैधता अवधि में सामग्री का प्रदाय किया गया है। जिला प्रबंधक/ क्षेत्रीय प्रबंधक प्रदायक से ट्रेड सर्टिफिकेट की प्रति प्राप्त करें। यदि प्रदायक/निर्माता द्वारा ट्रेड सर्टिफिकेट की वैधता अवधि समाप्ति के उपरांत वाटर टैंकर का प्रदाय किया जाता है तो जिला प्रबंधक को उक्त प्रदाय आदेश निरस्त करने का अधिकार होगा। ऐसी स्थिति में क्षतिपूर्ति के लिए निर्माता/प्रदायक पूर्ण रूप से उत्तरदायी है।
12. **दरों की एक मात्र मान्यता** : अनुमोदित दरें केवल निगम के माध्यम से प्रदायगी हेतु हैं, अन्य किसी विभाग द्वारा इन दरों पर व्यवसाय करने की स्थिति में निगम किसी भी प्रकार से उत्तरदायी नहीं होगा।
13. **अन्य नियम एवं शर्तें** : उपरोक्त के अतिरिक्त अन्य नियम एवं शर्तें मुख्यालय द्वारा WATER TANKER MOUNTED ON TWO WHEEL TRACTOR TRAILER 5000 लीटर, 5500 लीटर तथा 5000 लीटर फायर फायटर (MS/GI) के प्रदाय हेतु जारी ऑनलाईन आर.सी.ओ. दिनांक 22.05.2026 अनुसार रहेगी।

इस परिपत्र प्रसारण के जारी होने की दिनांक से मुख्यालय द्वारा WATER TANKER MOUNTED ON TWO WHEEL TRACTOR TRAILER 5000 लीटर, 5500 लीटर तथा 5000 लीटर फायर फायटर (MS/GI) हेतु उपरोक्त प्रदायक की पूर्व प्रसारित समस्त दरें निरस्त मानी जावेगी।

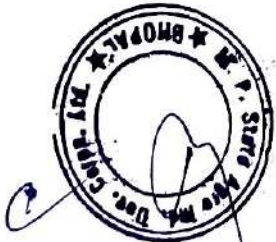
प्रतिलिपि :-

1103
23-7-26

1. आयुक्त, म.प्र.शासन, उद्यानिकी एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग की ओर सूचनार्थ।
2. कलेक्टर (समस्त) की ओर सूचनार्थ।
3. आयुक्त, आर्थिक एवं सांख्यिकी संचालनालय, भूतल - विन्ध्याचल भवन, भोपाल (म.प्र.)
4. संचालक कृषि अभियांत्रिकी, आफिस काम्पलेक्स, बी-ब्लॉक, गौतम नगर, भोपाल।
5. आयुक्त नगरीय प्रशासन एवं विकास, पालिका भवन, नियर 6 नम्बर बस स्टाप, शिवाजी नगर, भोपाल - 462016
6. निज सहायक मा. प्रबंध संचालक, मुख्यालय, भोपाल की ओर सूचनार्थ।
7. महाप्रबंधक (वित्त), मुख्यालय, भोपाल की ओर सूचनार्थ।
8. **M/S TRUE VISION INC - OFFICE ADDRESS** : 205, PRAMILA PLAZA NEAR CHAUHAN PIYAU, THTIPUR, GWALIOR

प्रबंधक (विपणन)

प्रबंधक (विपणन)





M.P. STATE AGRO INDUSTRIES DEVELOPMENT CORPORATION LTD.
PANCHANAN, 3RD FLOOR, MALVIYA NAGAR, BHOPAL-462003
☎ 0755- 2551652, 2551756 Fax - 0755 2557305 email - mpagrohbpl@gmail.com
website : www.mpstateagro.nic.in - CIN No. U01119MP1969SGC001055

क्रमांक : मुख्या/विपणन/वाटर टैंकर/2026-27/1164

दिनांक : 23.07.2026

प्रति,

ज़िला प्रबंधक (समस्त),
क्षेत्रीय प्रबंधक (समस्त).

विषय : WATER TANKER MOUNTED ON TWO WHEEL TRACTOR TRAILER (MS/GI) की दरों के प्रसारण के संबंध में।

संदर्भ : मुख्यालय द्वारा WATER TANKER MOUNTED ON TWO WHEEL TRACTOR TRAILER (MS/GI) हेतु जारी आर सी.ओ. दिनांक 22.05.2026

निगम के माध्यम से WATER TANKER MOUNTED ON TWO WHEEL TRACTOR TRAILER (5000 लीटर, 5500 लीटर तथा 5000 लीटर फायर फायटर - MS/GI) हेतु "ऑन-लाईन" रेट कॉन्ट्रैक्ट ऑफर आमंत्रित किया गया था, आफर में प्राप्त न्यूनतम एल-1 दरों के आधार पर समिति द्वारा की गयी अनुशंसा अनुसार निर्माताओं से सहमति प्राप्त कर अनुबंध संपादित किया गया है। अनुबंधित प्रदायक का विवरण एवं निगम की कय-विकय दरें FOR DESTINATION (प्रदाय स्थल तक पहुंचाकर) लोडिंग एवं अनलोडिंग सहित निम्नानुसार रहेंगी :-

M/S ANSH KRISHI UDYOG AND FEBRICATERS - INFRONT INDIAN GAS GODAM,MAIDANI HUZUR REWA(MP)-486001 CONTECT PERSON - SMT YOGITA SINGH MO-9131889282								
S.N.	NAME OF ITEM	PURCHASE PRICE			SELLING PRICE			
		BASIC PRICE	GST @ 18% ON (A)	TOTAL PURCHASE PRICE (A+B)	BASIC PRICE	CORPORATION MARGIN @ 5% ON BASIC	GST @ 18% ON (D+ E)	FINAL SALLING PRICE (D+E+F)
M.S. WATER TANKER		A	B	C	D	E	F	G
1	M.S. WATER TANKER MOUNTED ON TWO WHEEL TRACTOR TRAILER CAPACITY 5000 LITER WITH 900x16 NEW TYRES. MODEL - 1	101700	18306	120006	101700	5085	19221	126006
2	M S WATER TANKER MOUNTED ON TWO WHEEL TRACTOR TRAILER CAPACITY 5000 LITER WITH NEW 900x20 TYRES. MODEL - 2	104131	18744	122875	104131	5207	19681	129018
3	M.S. WATER TANKER MOUNTED ON TWO WHEEL TRACTOR TRAILER CAPACITY 5500 LITER WITH 900x16 NEW TYRES. MODEL - 3	103150	18567	121717	103150	5158	19495	127803
4	M.S. WATER TANKER MOUNTED ON TWO WHEEL TRACTOR TRAILER CAPACITY 5500 LITER WITH 900x20 NEW TYRES. MODEL - 4	101400	18252	119652	101400	5070	19165	125635
5	M.S. WATER TANKER MOUNTED ON TWO WHEEL TRACTOR TRAILER CAPACITY 5000 LITER WITH FIRE FIGHTING PUMP AND 900x16 NEW TYRES. MODEL - 5	135000	24300	159300	135000	6750	25515	167265
6	M.S. WATER TANKER MOUNTED ON TWO WHEEL TRACTOR TRAILER CAPACITY 5000 LITER WITH FIRE FIGHTING PUMP AND 900x20 NEW TYRES. MODEL - 6	142200	25596	167796	142200	7110	26876	176186
G.I. WATER TANKER								
7	G.I. WATER TANKER MOUNTED ON TWO WHEEL TRACTOR TRAILER CAPACITY 5000 LITER WITH 900x16 NEW TYPES. MODEL - 7	113200	20376	133576	113200	5660	21395	140255



8	G.I. WATER TANKER MOUNTED ON TWO WHEEL TRACTOR TRAILER CAPACITY 5000 LITER WITH NEW 900x20 TYRES. MODEL - 8	117600	21168	138768	117600	5880	22226	145706
9	G.I. WATER TANKER MOUNTED ON TWO WHEEL TRACTOR TRAILER CAPACITY 5500 LITER WITH 900x16 NEW TYRES. MODEL - 9	118800	21384	140184	118800	5940	22453	147193
10	G.I. WATER TANKER MOUNTED ON TWO WHEEL TRACTOR TRAILER CAPACITY 5500 LITER WITH 900x20 NEW TYRES. MODEL - 10	130100	23418	153518	130100	6505	24589	161194
11	G.I. WATER TANKER MOUNTED ON TWO WHEEL TRACTOR TRAILER CAPACITY 5000 LITER WITH FIRE FIGHTING PUMP AND 900x16 NEW TYRES. MODEL - 11	143200	25776	168976	143200	7160	27065	177425
12	G.I. WATER TANKER MOUNTED ON TWO WHEEL TRACTOR TRAILER CAPACITY 5000 LITER WITH FIRE FIGHTING PUMP AND 900x20 NEW TYRES. MODEL - 12	156600	28188	184788	156600	7830	29597	194027

प्रदाय से संबंधित अन्य नियम एवं शर्तें निम्नानुसार रहेंगी :-

- दरों की प्रभावशीलता** : उपरोक्त कय एवं विकय दरें समस्त कर (जी.एस.टी, ड्यूटी, अन्य व्यय), परिवहन/निरीक्षण शुल्क, सहित एफ.ओ.आर. डेस्टीनेशन (विकासखण्ड स्तर तक) पहुंचाकर प्रथम पत्र प्रसारण की दिनांक से आगामी 03 माह तक लागू रहेंगी।
- आदेश की प्रक्रिया** : जिला प्रबंधक प्रदायक/निर्माता कम्पनी के अनुशंसा के साथ प्राप्त मांग को निगम के क्षेत्रीय प्रबंधक को अग्रेषित करेंगे एवं क्षेत्रीय प्रबंधक द्वारा विभाग से राशि प्राप्ति की सुनिश्चितता करते हुए संबंधित प्रदायक/निर्माता कम्पनी के पक्ष में "ऑन-लाइन" रेट कांट्रैक्ट ऑफर डाक्यूमेंट की शर्तानुसार प्रदाय आदेश जारी करेंगे।
 - प्रदाय आदेश में सामग्री का विवरण, प्रदाय दर, प्रदाय शर्तें, प्रदाय स्थल की जानकारी एवं निगम के GSTN नम्बर आदि का स्पष्ट उल्लेख किया जावे।
 - प्रदाय आदेश में प्रदायगी की समयसीमा का उल्लेख किया जावे। जिला प्रबंधक यह सुनिश्चित करेंगे कि प्रदायक द्वारा आदेशित सामग्री का प्रदाय सही हालत एवं समयसीमा में किया जावे। विलम्ब की स्थिति में प्राप्तकर्ता विभाग की सहमति प्राप्त होने के उपरांत ही प्रदायगी स्वीकार की जावे।
 - क्षेत्रीय प्रबंधक द्वारा आदेश जारी करने के पूर्व यह अवश्य ध्यान रखा जावे कि जिला प्रबंधकों द्वारा जो मांग दी जा रही है वह निश्चित व्यवसाय के विरुद्ध है।
- सामग्री की प्रदायगी** - प्रदायगी क्षेत्रीय प्रबंधक द्वारा लिखित प्रदाय आदेश जारी करने के उपरांत प्रदायक/निर्माता कम्पनी द्वारा प्रदाय आदेश में दिये गये निर्देशों के अनुरूप की जावे।
 - प्रदायक द्वारा देयक पर निगम का GST NO. 23AACCM0330Q12M का उल्लेख किया जाना आवश्यक है। देयक में CGST एवं SGST की राशि का भी उल्लेख किया जावेगा। प्रदायक का उत्तरदायित्व है कि GST का भुगतान नियमानुसार समय से किया जावे व मासिक रिटर्न GSTR-1 में दर्शाया जावे। किसी प्रकार की विसंगति के कारण निगम को कोई हानि होती है तो तदनुसार हानि की राशि की कटौती प्रदायक/निर्माता कम्पनी के देयक से की जावेगी।
 - प्रदायक/निर्माता कम्पनी द्वारा आदेशित सामग्री के प्रदाय के उपरांत देयक तीन प्रतियों में भुगतान हेतु संबंधित जिला प्रबंधक को प्रस्तुत किया जावेगा। देयक के साथ जियो टैगिंग फोटोग्राफ, पावती/संतुष्टि प्रमाण पत्र, सेल लेटर एवं थर्डपार्टी गुणवत्ता रिपोर्ट प्रस्तुत की जानी होगी।
 - आदेशित सामग्री का प्रदाय करते समय प्रदाय की जा रही सामग्री का भौतिक निरीक्षण निगम के जिला प्रबंधक एवं संबंधित विभाग के सक्षम अधिकारी द्वारा किया जावेगा। तदोपरांत पावती एवं संतुष्टि प्रमाण पत्र संयुक्त हस्ताक्षर से जारी किये जावेंगे।



4. **प्राइज फार क्लॉस** - निगम के माध्यम से प्रसारित की जा रही विक्रय दरें किसी अन्य शासकीय संस्था/उपक्रम अथवा बाजार में कम्पनी की विक्रय दरों के समतुल्य है। यदि भविष्य में बाजार अथवा अन्य संस्था में विक्रय दरों का कम होना निगम के संज्ञान में आता है तो प्रदायकर्ता द्वारा निगम के साथ किये गये अनुबंध दिनांक से उक्त स्थिति के प्रमाणित होने तक प्रदाय की गयी समस्त सामग्री पर वही दर लागू मानते हुए अंतर की राशि की वसूली प्रदायक के लंबित देयकों से की जावेगी। साथ ही निगम प्रदायक के अनुबंध को निरस्त करने हेतु निगम स्वतंत्र रहेगा, जिसके लिए प्रदायक स्वयं उत्तरदायी रहेगा।
5. **सामग्री की गुणवत्ता** -
- (अ) निगम के माध्यम से प्रदाय की जाने वाली सामग्री की गुणवत्ता के लिए प्रदायक / निर्माता कम्पनी पूर्ण रूप से उत्तरदायी होंगे। निर्माता द्वारा जो सामग्री प्रदाय की जावेगी वह निगम द्वारा जारी आर.सी.ओ. में दिये गये स्पेसिफिकेशन, मापदण्ड अनुसार रहेगी। गुणवत्ता के संबंध में किसी भी स्तर पर शिकायत प्राप्त होने पर इसकी सूचना जिला प्रबंधक संबंधित प्रदायक को देते हुए शिकायत का निराकरण करावेंगे एवं की गयी कार्यवाही से क्षेत्रीय प्रबंधक को अवगत करावेंगे। यदि समयसीमा में शिकायत का निराकरण संबंधित प्रदायक/निर्माता कम्पनी द्वारा नहीं किया जाता है तो प्रदाय सामग्री में से विधिवत सैम्पल का परीक्षण किसी मान्यता प्राप्त शासकीय संस्था को गुणवत्ता की जांच के लिए भिजवाया जावे एवं क्षेत्रीय कार्यालय एवं निगम मुख्यालय को सूचित किया जावे, सामग्री की गुणवत्ता उचित मापदण्ड अनुसार नहीं होने पर संबंधित प्रदायक/निर्माता कम्पनी के विरुद्ध अनुबंध एवं आर.सी.ओ. की शर्तों अनुसार कार्यवाही की जा सके। निरीक्षण की फीस प्रदायक को वहन करनी होगी।
- (ब) सामग्री की गुणवत्ता का परीक्षण निगम द्वारा जारी आर.सी.ओ. में उल्लेखित अधिकृत थर्डपार्टी एजेन्सी द्वारा किया जावेगा। गुणवत्ता परीक्षण रिपोर्ट प्रदायक द्वारा देयक के साथ संलग्न की जावेगी, जिसमें क्षेत्रीय प्रबंधक द्वारा जारी आदेश की दिनांक एवं संख्या व अन्य पूर्ण विवरण रहेगा। बिना परीक्षण रिपोर्ट के भुगतान नहीं किया जावेगा। निर्माता यह सुनिश्चित करें कि निर्धारित थर्डपार्टी परीक्षण समय पर हो जावे इसके लिए वह स्वयं थर्डपार्टी को अग्रिम में सूचित करेंगे।
6. **भुगतान** - प्रदायक के देयक का भुगतान आदेशानुसार सामग्री प्राप्त होने के उपरांत संबंधित विभाग/क्रेता से विधिवत पावती, संतुष्टि प्रमाण पत्र, निगम को पूर्ण राशि प्राप्त होने पर **"भुगतान पश्चात् भुगतान"** की शर्त पर तथा थर्डपार्टी निरीक्षण रिपोर्ट प्राप्त होने पर निगम के संबंधित जिला प्रबंधक द्वारा किया जावेगा।
7. **तकनीकी मापदण्ड** : सामग्री के तकनीकी मापदण्ड मुख्यालय द्वारा WATER TANKER MOUNTED ON TWO WHEEL TRACTOR TRAILER हेतु जारी आनलाईन आर.सी.ओ. दिनांक 22.05.2026 में दिये गये हैं। आदेश के साथ तकनीकी मापदण्डों की प्रति भी संलग्न की जावे ताकि प्रदायक यह सुनिश्चित करे कि सामग्री इन्हीं तकनीकी मापदण्ड अनुसार प्रदाय हो सके। (निगम द्वारा जारी आर.सी.ओ. दिनांक 22.05.2026 एवं तकनीकी मापदण्ड निगम के वेबसाइट www.mpagro.org पर उपलब्ध हैं जिला प्रबंधक/क्षेत्रीय प्रबंधक उक्त आर.सी.ओ. एवं तकनीकी मापदण्डों की एक प्रति वेबसाइट से प्रिंट कर रिकार्ड में रखे ताकि प्रदायगी के समय सामग्री की गुणवत्ता का निरीक्षण किया जा सके)
8. **सेल लेटर** : जिला प्रबंधक वाटर टैंकर प्रदायगी में प्रत्येक वाटर टैंकर का ट्रांसपोर्ट विभाग द्वारा निर्धारित "सेल लेटर" निर्माता से प्राप्त किया जाकर संबंधित क्रेता विभाग को उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित करेंगे। टैंकर का ट्रांसपोर्ट विभाग में पंजीयन कराने की जिम्मेवारी क्रेता विभाग की रहेगी। निगम मात्र संबंधित प्रपत्र उपलब्ध करावेगा। निगम के क्षेत्रीय प्रबंधक अपने आदेश में सेल लेटर का स्पष्ट उल्लेख करें एवं आदेश की प्रति क्रेता विभाग को उपलब्ध करावें।
9. **अधिशोषित शास्ति** : In case the supplier does not produce the ordered material within the specified time limit penalty will be imposed as under :-

No.	WEEKS	Rate of penalty imposed
1	1 st to 2 nd week	0.25% per week
2	3 rd to 4th week	0.50% per week
3	in Case the supplier refuse to supply the ordered material	Cancelling the supply order and temination of Agreement and Black listing for 1-5 years.



10. **वारण्टी** : आर.सी.ओ. की कंडिका क्रमांक 14 अनुसार प्रदाय किये जाने वाले WATER TANKER MOUNTED ON TWO WHEEL TRACTOR TRAILER की वारण्टी अवधि 1 वर्ष रहेगी, का उल्लेख आदेश में आवश्यक रूप से किया जावे।

Warranty of Tyre Tube will be as per company rules. if any defect occur in the Tyre Tube within the Warrantee Period then it will be replaced by the Vender. Remolded Tyre will not be allowed at any cost .

11. **ट्रेड सर्टिफिकेट** : वाटर टैंकर प्रदायगी के पूर्व जिला प्रबंधक यह सुनिश्चित करेंगे कि प्रदायक/ निर्माता द्वारा ट्रेड सर्टिफिकेट की वैधता अवधि में सामग्री का प्रदाय किया गया है। जिला प्रबंधक/ क्षेत्रीय प्रबंधक प्रदायक से ट्रेड सर्टिफिकेट की प्रति प्राप्त करें। यदि प्रदायक/निर्माता द्वारा ट्रेड सर्टिफिकेट की वैधता अवधि समाप्ति के उपरांत वाटर टैंकर का प्रदाय किया जाता है तो जिला प्रबंधक को उक्त प्रदाय आदेश निरस्त करने का अधिकार होगा। ऐसी स्थिति में क्षतिपूर्ति के लिए निर्माता/प्रदायक पूर्ण रूप से उत्तरदायी है।
12. **दरों की एक मात्र मान्यता** : अनुमोदित दरें केवल निगम के माध्यम से प्रदायगी हेतु हैं, अन्य किसी विभाग द्वारा इन दरों पर व्यवसाय करने की स्थिति में निगम किसी भी प्रकार से उत्तरदायी नहीं होगा।
13. **अन्य नियम एवं शर्तें** : उपरोक्त के अतिरिक्त अन्य नियम एवं शर्तें मुख्यालय द्वारा WATER TANKER MOUNTED ON TWO WHEEL TRACTOR TRAILER 5000 लीटर, 5500 लीटर तथा 5000 लीटर फायर फायटर (MS/GI) के प्रदाय हेतु जारी ऑनलाईन आर.सी.ओ. दिनांक 22.05.2026 अनुसार रहेगी।

इस परिपत्र प्रसारण के जारी होने की दिनांक से मुख्यालय द्वारा WATER TANKER MOUNTED ON TWO WHEEL TRACTOR TRAILER 5000 लीटर, 5500 लीटर तथा 5000 लीटर फायर फायटर (MS/GI) हेतु उपरोक्त प्रदायक की पूर्व प्रसारित समस्त दरें निरस्त मानी जावेगी।

प्रतिलिपि :-

1105
23-7-26

1. आयुक्त, म.प्र.शासन, उद्यानिकी एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग की ओर सूचनार्थ।
2. कलेक्टर (समस्त) की ओर सूचनार्थ।
3. आयुक्त, आर्थिक एवं सांख्यिकी संचालनालय, भूतल - विन्ध्याचल भवन, भोपाल (म.प्र.)
4. संचालक कृषि अभियांत्रिकी, आफिस काम्पलेक्स, बी-ब्लॉक, गौतम नगर, भोपाल।
5. आयुक्त नगरीय प्रशासन एवं विकास, पालिका भवन, नियर 6 नम्बर बस स्टाप, शिवाजी नगर, भोपाल - 462016
6. निज सहायक मा. प्रबंध संचालक, मुख्यालय, भोपाल की ओर सूचनार्थ।
7. महाप्रबंधक (वित्त), मुख्यालय, भोपाल की ओर सूचनार्थ।
8. **M/S ANSH KRISHI UDYOG AND FEBRICATORS - INFRONT INDIAN GAS GODAM,MAIDANI HUZUR REWA(MP)-486001**



प्रबंधक (विपणन)
23/7/26

प्रबंधक (विपणन)
23/7/26



M.P. STATE AGRO INDUSTRIES DEVELOPMENT CORPORATION LTD.
PANCHANAN, 3RD FLOOR, MALVIYA NAGAR, BHOPAL-462003
☎ 0755- 2551652, 2551756 Fax - 0755 2557305 email - mpagrohbpl@gmail.com
website : www.mpstateagro.nic.in - CIN No. U01119MP1969SGC001055

क्रमांक : मुख्या/विपणन/वाटर टैंकर/2026-27/1156

दिनांक : 23.07.2026

प्रति,

जिला प्रबंधक (समस्त),
क्षेत्रीय प्रबंधक (समस्त),

विषय : WATER TANKER MOUNTED ON TWO WHEEL TRACTOR TRAILER (MS/GI) की दरों के प्रसारण के संबंध में।

संदर्भ : मुख्यालय द्वारा WATER TANKER MOUNTED ON TWO WHEEL TRACTOR TRAILER (MS/GI) हेतु जारी आर.सी.ओ. दिनांक 22.05.2026

निगम के माध्यम से WATER TANKER MOUNTED ON TWO WHEEL TRACTOR TRAILER (5000 लीटर, 5500 लीटर तथा 5000 लीटर फायर फायटर - MS/GI) हेतु "ऑन-लाईन" रेट कॉन्ट्रैक्ट ऑफर आमंत्रित किया गया था, आफर में प्राप्त न्यूनतम एल-1 दरों के आधार पर समिति द्वारा की गयी अनुशंसा अनुसार निर्माताओं से सहमति प्राप्त कर अनुबंध संपादित किया गया है। अनुबंधित प्रदायक का विवरण एवं निगम की कय-विकय दरें FOR DESTINATION (प्रदाय स्थल तक पहुंचाकर) लोडिंग एवं अनलोडिंग सहित निम्नानुसार रहेंगी :-

M/S BALAJI ENTERPRISES - OFFICE ADD- 178, BAKHTAWAR MARG, DHAR
CONTACT PERSON- ANSHUL MITTAL - MO- 9827728815, 7999553033

S.N.	NAME OF ITEM	PURCHASE PRICE			SELLING PRICE			
		BASIC PRICE	GST @ 18% ON (A)	TOTAL PURCHASE PRICE (A+B)	BASIC PRICE	CORPORATION MARGIN @ 5% ON BASIC	GST @ 18% ON (D+ E)	FINAL SALLING PRICE (D+E+F)
M.S. WATER TANKER		A	B	C	D	E	F	G
1	M.S. WATER TANKER MOUNTED ON TWO WHEEL TRACTOR TRAILER CAPACITY 5000 LITER WITH 900x16 NEW TYRES. MODEL - 1	101700	18306	120006	101700	5085	19221	126006
2	M.S. WATER TANKER MOUNTED ON TWO WHEEL TRACTOR TRAILER CAPACITY 5000 LITER WITH NEW 900x20 TYRES. MODEL - 2	104131	18744	122875	104131	5207	19681	129018
3	M.S. WATER TANKER MOUNTED ON TWO WHEEL TRACTOR TRAILER CAPACITY 5500 LITER WITH 900x16 NEW TYRES. MODEL - 3	103150	18567	121717	103150	5158	19495	127803
4	M.S. WATER TANKER MOUNTED ON TWO WHEEL TRACTOR TRAILER CAPACITY 5500 LITER WITH 900x20 NEW TYRES. MODEL - 4	101400	18252	119652	101400	5070	19165	125635
5	M.S. WATER TANKER MOUNTED ON TWO WHEEL TRACTOR TRAILER CAPACITY 5000 LITER WITH FIRE FIGHTING PUMP AND 900x16 NEW TYRES. MODEL - 5	135000	24300	159300	135000	6750	25515	167265
6	M.S. WATER TANKER MOUNTED ON TWO WHEEL TRACTOR TRAILER CAPACITY 5000 LITER WITH FIRE FIGHTING PUMP AND 900x20 NEW TYRES. MODEL - 6	142200	25596	167796	142200	7110	26876	176186
G.I. WATER TANKER								
7	G.I. WATER TANKER MOUNTED ON TWO WHEEL TRACTOR TRAILER CAPACITY 5000 LITER WITH 900x16 NEW TYRES. MODEL - 7	113200	20376	133576	113200	5660	21395	140255



8	G.I. WATER TANKER MOUNTED ON TWO WHEEL TRACTOR TRAILER CAPACITY 5000 LITER WITH NEW 900x20 TYRES. MODEL - 8	117600	21168	138768	117600	5880	22226	145706
9	G.I. WATER TANKER MOUNTED ON TWO WHEEL TRACTOR TRAILER CAPACITY 5500 LITER WITH 900x16 NEW TYRES. MODEL - 9	118800	21384	140184	118800	5940	22453	147193
10	G.I. WATER TANKER MOUNTED ON TWO WHEEL TRACTOR TRAILER CAPACITY 5500 LITER WITH 900x20 NEW TYRES. MODEL - 10	130100	23418	153518	130100	6505	24589	161194
11	G.I. WATER TANKER MOUNTED ON TWO WHEEL TRACTOR TRAILER CAPACITY 5000 LITER WITH FIRE FIGHTING PUMP AND 900x16 NEW TYRES. MODEL - 11	143200	25776	168976	143200	7160	27065	177425
12	G.I. WATER TANKER MOUNTED ON TWO WHEEL TRACTOR TRAILER CAPACITY 5000 LITER WITH FIRE FIGHTING PUMP AND 900x20 NEW TYRES. MODEL - 12	156600	28188	184788	156600	7830	29597	194027

प्रदाय से संबंधित अन्य नियम एवं शर्तें निम्नानुसार रहेंगी :-

- दरों की प्रभावशीलता** : उपरोक्त कय एवं विकय दरें समस्त कर (जी.एस.टी, ड्यूटी, अन्य व्यय), परिवहन/निरीक्षण शुल्क, सहित एफ.ओ.आर. डेस्टीनेशन (विकासखण्ड स्तर तक) पहुंचाकर प्रथम पत्र प्रसारण की दिनांक से आगामी 03 माह तक लागू रहेंगी।
- आदेश की प्रक्रिया** : जिला प्रबंधक प्रदायक/निर्माता कम्पनी के अनुशंसा के साथ प्राप्त मांग को निगम के क्षेत्रीय प्रबंधक को अग्रेषित करेंगे एवं क्षेत्रीय प्रबंधक द्वारा विभाग से राशि प्राप्ति की सुनिश्चितता करते हुए संबंधित प्रदायक/निर्माता कम्पनी के पक्ष में "ऑन-लाईन" रेट कांट्रेक्ट ऑफर डाक्यूमेंट की शर्तानुसार प्रदाय आदेश जारी करेंगे।
 - प्रदाय आदेश में सामग्री का विवरण, प्रदाय दर, प्रदाय शर्तें, प्रदाय स्थल की जानकारी एवं निगम के GSTIN नम्बर आदि का स्पष्ट उल्लेख किया जावे।
 - प्रदाय आदेश में प्रदायगी की समयसीमा का उल्लेख किया जावे। जिला प्रबंधक यह सुनिश्चित करेंगे कि प्रदायक द्वारा आदेशित सामग्री का प्रदाय सही हालत एवं समयसीमा में किया जावे। विलम्ब की स्थिति में प्राप्तकर्ता विभाग की सहमति प्राप्त होने के उपरांत ही प्रदायगी स्वीकार की जावे।
 - क्षेत्रीय प्रबंधक द्वारा आदेश जारी करने के पूर्व यह अवश्य ध्यान रखा जावे कि जिला प्रबंधकों द्वारा जो मांग दी जा रही है वह निश्चित व्यवसाय के विरुद्ध है।
- सामग्री की प्रदायगी** - प्रदायगी क्षेत्रीय प्रबंधक द्वारा लिखित प्रदाय आदेश जारी करने के उपरांत प्रदायक/निर्माता कम्पनी द्वारा प्रदाय आदेश में दिये गये निर्देशों के अनुरूप की जावे।
 - प्रदायक द्वारा देयक पर निगम का GST NO. 23AACCM0330Q12M का उल्लेख किया जाना आवश्यक है। देयक में CGST एवं SGST की राशि का भी उल्लेख किया जावेगा। प्रदायक का उत्तरदायित्व है कि GST का भुगतान नियमानुसार समय से किया जावे व मासिक रिटर्न GSTR-1 में दर्शाया जावे। किसी प्रकार की विसंगति के कारण निगम को कोई हानि होती है तो तदनुसार हानि की राशि की कटौती प्रदायक/निर्माता कम्पनी के देयक से की जावेगी।
 - प्रदायक/निर्माता कम्पनी द्वारा आदेशित सामग्री के प्रदाय के उपरांत देयक तीन प्रतियों में भुगतान हेतु संबंधित जिला प्रबंधक को प्रस्तुत किया जावेगा। देयक के साथ जियो टैगिंग फोटोग्राफ, पावती/संतुष्टि प्रमाण पत्र, सेल लेटर एवं थर्डपार्टी गुणवत्ता रिपोर्ट प्रस्तुत की जानी होगी।
 - आदेशित सामग्री का प्रदाय करते समय प्रदाय की जा रही सामग्री का भौतिक निरीक्षण निगम के जिला प्रबंधक एवं संबंधित विभाग के सक्षम अधिकारी द्वारा किया जावेगा। तदोपरांत पावती एवं संतुष्टि प्रमाण पत्र संयुक्त हस्ताक्षर से जारी किये जावेंगे।



4. **प्राइज फार ब्लॉस** - निगम के माध्यम से प्रसारित की जा रही विक्रय दरें किसी अन्य शासकीय संस्था/उपक्रम अथवा बाजार में कम्पनी की विक्रय दरों के समतुल्य है। यदि भविष्य में बाजार अथवा अन्य संस्था में विक्रय दरों का कम होना निगम के संज्ञान में आता है तो प्रदायकर्ता द्वारा निगम के साथ किये गये अनुबंध दिनांक से उक्त स्थिति के प्रमाणित होने तक प्रदाय की गयी समस्त सामग्री पर वही दर लागू मानते हुए अंतर की राशि की वसूली प्रदायक के लंबित देयकों से की जायेगी। साथ ही निगम प्रदायक के अनुबंध को निरस्त करने हेतु निगम स्वतंत्र रहेगा, जिसके लिए प्रदायक स्वयं उत्तरदायी रहेगा।
5. **सामग्री की गुणवत्ता** -
- (अ) निगम के माध्यम से प्रदाय की जाने वाली सामग्री की गुणवत्ता के लिए प्रदायक / निर्माता कम्पनी पूर्ण रूप से उत्तरदायी होंगे। निर्माता द्वारा जो सामग्री प्रदाय की जायेगी वह निगम द्वारा जारी आर.सी.ओ. में दिये गये स्पेसिफिकेशन, मापदण्ड अनुसार रहेगी। गुणवत्ता के संबंध में किसी भी स्तर पर शिकायत प्राप्त होने पर इसकी सूचना जिला प्रबंधक संबंधित प्रदायक को देते हुए शिकायत का निराकरण कराएंगे एवं की गयी कार्यवाही से क्षेत्रीय प्रबंधक को अवगत कराएंगे। यदि समयसीमा में शिकायत का निराकरण संबंधित प्रदायक/निर्माता कम्पनी द्वारा नहीं किया जाता है तो प्रदाय सामग्री में से विधिवत सैम्पल का परीक्षण किसी मान्यता प्राप्त शासकीय संस्था को गुणवत्ता की जांच के लिए भिजवाया जावे एवं क्षेत्रीय कार्यालय एवं निगम मुख्यालय को सूचित किया जावे, सामग्री की गुणवत्ता उचित मापदण्ड अनुसार नहीं होने पर संबंधित प्रदायक/निर्माता कम्पनी के विरुद्ध अनुबंध एवं आर.सी.ओ. की शर्तों अनुसार कार्यवाही की जा सके। निरीक्षण की फीस प्रदायक को वहन करनी होगी।
- (ब) सामग्री की गुणवत्ता का परीक्षण निगम द्वारा जारी आर.सी.ओ. में उल्लेखित अधिकृत थर्डपार्टी एजेन्सी द्वारा किया जावेगा। गुणवत्ता परीक्षण रिपोर्ट प्रदायक द्वारा देयक के साथ संलग्न की जावेगी, जिसमें क्षेत्रीय प्रबंधक द्वारा जारी आदेश की दिनांक एवं संख्या व अन्य पूर्ण विवरण रहेगा। बिना परीक्षण रिपोर्ट के भुगतान नहीं किया जावेगा। निर्माता यह सुनिश्चित करें कि निर्धारित थर्डपार्टी परीक्षण समय पर हो जावे इसके लिए वह स्वयं थर्डपार्टी को अग्रिम में सूचित करेंगे।
6. **भुगतान** - प्रदायक के देयक का भुगतान आदेशानुसार सामग्री प्राप्त होने के उपरांत संबंधित विभाग/केता से विधिवत पावती, संतुष्टि प्रमाण पत्र, निगम को पूर्ण राशि प्राप्त होने पर **"भुगतान पश्चात् भुगतान"** की शर्त पर तथा थर्डपार्टी निरीक्षण रिपोर्ट प्राप्त होने पर निगम के संबंधित जिला प्रबंधक द्वारा किया जावेगा।
7. **तकनीकी मापदण्ड** : सामग्री के तकनीकी मापदण्ड मुख्यालय द्वारा WATER TANKER MOUNTED ON TWO WHEEL TRACTOR TRAILER हेतु जारी आनलाईन आर.सी.ओ. दिनांक 22.05.2026 में दिये गये हैं। आदेश के साथ तकनीकी मापदण्डों की प्रति भी संलग्न की जावे ताकि प्रदायक यह सुनिश्चित करे कि सामग्री इन्हीं तकनीकी मापदण्ड अनुसार प्रदाय हो सके। (निगम द्वारा जारी आर.सी.ओ. दिनांक 22.05.2026 एवं तकनीकी मापदण्ड निगम के वेबसाइट www.mpagro.org पर उपलब्ध हैं जिला प्रबंधक/क्षेत्रीय प्रबंधक उक्त आर.सी.ओ. एवं तकनीकी मापदण्डों की एक प्रति वेबसाइट से प्रिंट कर रिकार्ड में रखे ताकि प्रदायगी के समय सामग्री की गुणवत्ता का निरीक्षण किया जा सके)
8. **सेल लेटर** : जिला प्रबंधक वाटर टैंकर प्रदायगी में प्रत्येक वाटर टैंकर का ट्रांसपोर्ट विभाग द्वारा निर्धारित **"सेल लेटर"** निर्माता से प्राप्त किया जाकर संबंधित केता विभाग को उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित करेंगे। टैंकर का ट्रांसपोर्ट विभाग में पंजीयन कराने की जिम्मेवारी केता विभाग की रहेगी। निगम मात्र संबंधित प्रपत्र उपलब्ध करावेगा। निगम के क्षेत्रीय प्रबंधक अपने आदेश में सेल लेटर का स्पष्ट उल्लेख करें एवं आदेश की प्रति केता विभाग को उपलब्ध करावें।
9. **अधिरूपित शास्ति** : In case the supplier does not produce the ordered material within the specified time limit penalty will be imposed as under :-

No.	WEEKS	Rate of penalty imposed
1	1 st to 2 nd week	0.25% per week
2	3 rd to 4th week	0.50% per week
3	in Case the supplier refuse to supply the ordered material	Cancelling the supply order and termination of Agreement and Black listing for 1-5 years.



10. **वारण्टी** : आर.सी.ओ. की कंडिका क्रमांक 14 अनुसार प्रदाय किये जाने वाले WATER TANKER MOUNTED ON TWO WHEEL TRACTOR TRAILER की वारण्टी अवधि 1 वर्ष रहेगी, का उल्लेख आदेश में आवश्यक रूप से किया जावे।
Warranty of Tyre Tube will be as per company rules, if any defect occur in the Tyre Tube within the Warrantee Period then it will be replaced by the Vender. Remolded Tyre will not be allowed at any cost .
11. **ट्रेड सार्टिफिकेट** : वाटर टैंकर प्रदायगी के पूर्व जिला प्रबंधक यह सुनिश्चित करेंगे कि प्रदायक/ निर्माता द्वारा ट्रेड सार्टिफिकेट की वैधता अवधि में सामग्री का प्रदाय किया गया है। जिला प्रबंधक/ क्षेत्रीय प्रबंधक प्रदायक से ट्रेड सार्टिफिकेट की प्रति प्राप्त करें। यदि प्रदायक/निर्माता द्वारा ट्रेड सार्टिफिकेट की वैधता अवधि समाप्ति के उपरांत वाटर टैंकर का प्रदाय किया जाता है तो जिला प्रबंधक को उक्त प्रदाय आदेश निरस्त करने का अधिकार होगा। ऐसी स्थिति में क्षतिपूर्ति के लिए निर्माता/प्रदायक पूर्ण रूप से उत्तरदायी है।
12. **दरों की एक मात्र मान्यता** : अनुमोदित दरें केवल निगम के माध्यम से प्रदायगी हेतु हैं, अन्य किसी विभाग द्वारा इन दरों पर व्यवसाय करने की स्थिति में निगम किसी भी प्रकार से उत्तरदायी नहीं होगा।
13. **अन्य नियम एवं शर्तें** : उपरोक्त के अतिरिक्त अन्य नियम एवं शर्तें मुख्यालय द्वारा WATER TANKER MOUNTED ON TWO WHEEL TRACTOR TRAILER 5000 लीटर, 5500 लीटर तथा 5000 लीटर फायर फायटर (MS/GI) के प्रदाय हेतु जारी ऑनलाईन आर.सी.ओ. दिनांक 22.05.2026 अनुसार रहेगी।

इस परिपत्र प्रसारण के जारी होने की दिनांक से मुख्यालय द्वारा WATER TANKER MOUNTED ON TWO WHEEL TRACTOR TRAILER 5000 लीटर, 5500 लीटर तथा 5000 लीटर फायर फायटर (MS/GI) हेतु उपरोक्त प्रदायक की पूर्व प्रसारित समस्त दरें निरस्त मानी जावेगी।

प्रतिलिपि :-

1. आयुक्त, म.प्र.शासन, उद्यानिकी एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग की ओर सूचनार्थ।
2. कलेक्टर (समस्त) की ओर सूचनार्थ।
3. आयुक्त, आर्थिक एवं सांख्यिकी संचालनालय, भूतल - विन्ध्याचल भवन, भोपाल (म.प्र.)
4. संचालक कृषि अभियांत्रिकी, आफिस काम्पलेक्स, बी-ब्लॉक, गौतम नगर, भोपाल।
5. आयुक्त नगरीय प्रशासन एवं विकास, पालिका भवन, नियर 6 नम्बर बस स्टाप, शिवाजी नगर, भोपाल - 462016
6. निज सहायक मा. प्रबंध संचालक, मुख्यालय, भोपाल की ओर सूचनार्थ।
7. महाप्रबंधक (वित्त), मुख्यालय, भोपाल की ओर सूचनार्थ।
8. **M/S BALAJI ENTERPRISES - OFFICE ADD- 178, BAKHTAWAR MARG, DHAR**



प्रबंधक (विपणन)
23/7/26

प्रबंधक (विपणन)
23/7/26